खण्ड–523, अंक–01
सोमवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1945
(दिनांक 07 अगस्त, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2023)

(खण्ड 523 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
अट्ठारहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	...	...	1-14
उपस्थित सदस्य	...	...	15-22
राष्ट्रीय गीत	...	...	23
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)	...		23-24
प्रश्नोत्तर	...	...	25-151
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार (क्रमागत)	...		151
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)	...		151-153
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार	...		153-157
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग (जारी)	...	...	157-162
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	162-164
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में कतिपय विद्यालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		164-165
जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा क्षेत्र में नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		165
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत रौसहा के कतिपय विकास कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	165-166
प्रदेश के जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	166
जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में धान क्रय केन्द्र तथा मण्डी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		166-167
जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने तथा तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		167-168

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर के बाईं पट्टी के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम नगला से किरावली मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	168
नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से सुभाष मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	169
जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे स्थित ग्राम सभा मेढ़ा में पम्प कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
जनपद जौनपुर के केराकत से गाजीपुर जिला मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169-170
जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के विकास खण्ड निचलौल में कराये गये रि-बोर कार्यों का शासन स्तर से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	170-171
माननीय सदस्यों को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई ...	171
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	172
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	172
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	172
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	172

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	172
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	174
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	174
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	174
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 (मा0 राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	174
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (मा0 राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना) ...	174-175
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (मा0 राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	175
बदली हुई परिस्थितियों के आलोक में नई नियमावली प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में सूचना	175-176
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की नियम समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 से सम्बन्धित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	176

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 हेतु पुरानी नियमावली 1958 के नियम-251(क) में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन को कालावधि मानने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	176
याचिकाओं का उपस्थापन	177
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	177
डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	177
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	177
डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	177
श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	178
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	178
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	178
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	178
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	178
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	178
श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	179
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	179

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	179
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	179
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	179
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मनी गई) ...	179
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	180
श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	180
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	180
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	180
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180
श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	181
श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	181
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	181
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	181
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	181

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	181-183
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)...	183-184
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (जारी) ...	184
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)	184
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	185
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	185
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (जारी) ...	185
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)...	185-186
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	186
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	186
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	187
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	187
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)...	188
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	188
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	188-189
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	189
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	189-190
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग (क्रमागत)	190-191
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)... ...	191-194
मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग (क्रमागत)	194
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	194-196
नत्थियाँ	197-223

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — संतकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
12. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
13. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
14. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
15. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
16. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
17. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
18. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
19. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
20. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
21. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
22. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
23. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
24. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
25. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
26. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
27. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
28. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
29. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
30. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
32. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
33. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
34. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
35. अरमान खान, श्री — लखनऊ
36. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
37. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
38. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
39. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
40. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
41. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
42. अशरफ अली खान, श्री — शामली
43. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
44. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
45. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
46. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
47. आकाश सक्सैना (हन्नी) श्री — रामपुर
48. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
49. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
50. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
51. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
52. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
53. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
54. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
55. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
56. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
57. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव

58. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
59. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
60. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
61. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
62. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
63. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
64. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
65. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
66. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
67. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
68. ओमकुमार, श्री बिजनौर
69. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
70. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
71. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
72. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
73. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
74. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
75. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
76. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
77. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
78. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
79. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
80. कैलाश, श्री चंदौली
81. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
82. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
83. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
84. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
85. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
86. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
87. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
88. गुलाब देबी, श्रीमती सम्भल
89. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
90. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
91. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
92. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
93. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
94. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
95. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
96. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
97. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
98. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
99. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
100. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
101. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
102. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
103. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
104. जयमंगल, श्री महराजगंज
105. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
106. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
107. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
108. जाहीद, श्री भदोही
109. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
110. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
111. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
112. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
113. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
114. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
115. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
116. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
117. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
118. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
119. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
120. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
121. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
122. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया

123. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
124. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
125. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
126. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
127. दुधराम, श्री बस्ती
128. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
129. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
130. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
131. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
132. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
133. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
134. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
135. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
136. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
137. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
138. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
139. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
140. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
141. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
142. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
143. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
144. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
145. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
146. नाहिद हसन, श्री शामली
147. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
148. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
149. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
150. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
151. नील रतन सिंह, श्री वाराणसी
152. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
153. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
154. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
156. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
157. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
158. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
159. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
160. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
161. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
162. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
163. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
164. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
165. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
166. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
167. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
168. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
169. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
170. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
171. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
172. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
173. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
174. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
175. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
176. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चंदौली
177. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
178. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
179. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
180. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
181. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
182. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
183. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
184. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
185. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
186. बाबूराम, श्री पीलीभीत

187. बाबूलाल, श्री आगरा
188. बावन सिंह, श्री गोण्डा
189. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
190. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
191. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
192. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
193. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
194. बेदी, श्री गाजीपुर
195. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
196. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
197. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
198. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
199. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
200. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
201. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
202. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
203. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
204. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
205. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
206. मनीष रावत, श्री सीतापुर
207. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
208. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
209. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
210. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
211. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
212. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
213. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
214. महबूब अली, श्री अमरोहा
215. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
216. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
217. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
218. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
219. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
220. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
221. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
222. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
223. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
224. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
225. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
226. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
227. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
228. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
229. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
230. मेघश्याम, श्री मथुरा
231. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
232. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
233. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
234. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
235. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
236. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
237. योगेश धामा, श्री बागपत
238. योगेश वर्मा, श्री खीरी
239. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
240. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
241. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
242. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
243. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
244. रमाकांत यादव, श्री आजमगढ़
245. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
246. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
247. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
248. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
249. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
250. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
251. रवि शर्मा, श्री झांसी

252. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
253. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
254. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
255. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
256. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
257. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
258. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
259. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
260. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
261. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
262. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
263. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
264. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
265. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
266. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
267. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
268. राजमणि, श्री प्रयागराज
269. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
270. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
271. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
272. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
273. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
274. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
275. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
276. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
277. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
278. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
279. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
280. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
281. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
282. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
283. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
284. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
285. रामकेश निषाद, श्री बांदा
286. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
287. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
288. रामदुलार, श्री सोनभद्र
289. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
290. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
291. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
292. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
293. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
294. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
295. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
296. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
297. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
298. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
299. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
300. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
301. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
302. लकी यादव, श्री जौनपुर
303. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
304. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
305. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
306. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
307. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
308. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
309. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
310. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
311. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
312. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
313. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
314. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
315. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर

316. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
317. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
318. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
319. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
320. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
321. विपुल दुबे, श्री भदोही
322. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
323. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
324. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
325. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
326. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
327. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
328. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
329. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
330. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
331. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
332. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
333. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
334. शशांक वर्मा, श्री खीरी
335. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
336. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
337. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
338. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
339. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
340. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
341. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
342. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
343. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
344. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
345. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
346. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
347. संग्राम सिंह, श्री बलिया
348. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
349. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
350. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
351. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
352. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
353. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
354. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
355. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
356. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
357. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
358. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
359. सभाकुंवर, श्री देवरिया
360. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
361. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
362. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
363. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
364. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
365. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
366. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
367. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
368. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
369. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
370. सुचि, श्रीमती बिजनौर
371. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
372. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
373. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
374. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
375. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
376. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
377. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
378. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
379. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
380. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
381. सुरेश राही, श्री सीतापुर

382. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
383. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
384. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
385. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
386. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
387. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
388. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
389. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
390. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
391. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
392. स्वामी ओउमवेश, श्री बिजनौर
393. हंसु राम, श्री बलिया
394. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
395. हरिओम, श्री कासगंज
396. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
397. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
398. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
399. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
400. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
401. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
402. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
403. रिक्त

महामहिम राज्यपाल

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

मंत्री-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री	नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भू-तत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी, धर्मार्थ कार्य तथा पंचायती राज विभाग।
2	श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्य मंत्री	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण।
3	श्री ब्रजेश पाठक उप मुख्य मंत्री	चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
4	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त एवं संसदीय कार्य।
5	श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
6	श्री स्वतंत्र देव सिंह	जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण।
7	श्रीमती बेबी रानी मौर्य	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।
8	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
9	श्री जयवीर सिंह	पर्यटन एवं संस्कृति।
10	श्री धर्मपाल सिंह	पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा।
11	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन।
12	श्री अनिल राजभर	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय।

1	2	3
13	श्री जितिन प्रसाद	लोक निर्माण।
14	श्री राकेश सचान	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग।
15	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
16	श्री योगेन्द्र उपाध्याय	उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
17	श्री आशीष पटेल	प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप।
18	श्री संजय निषाद	मत्स्य।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री नितिन अग्रवाल	आबकारी एवं मद्य निषेध।
2	श्री कपिल देव अग्रवाल	व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।
3	श्री रवीन्द्र जायसवाल	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।
4	श्री संदीप सिंह	बेसिक शिक्षा।
5	श्रीमती गुलाब देवी	माध्यमिक शिक्षा।
6	श्री गिरीश चन्द्र यादव	खेल एवं युवा कल्याण।
7	श्री धर्मवीर प्रजापति	कारागार एवं होमगार्ड्स।
8	श्री असीम अरूण	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
9	श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर	सहकारिता।
10	श्री दयाशंकर सिंह	परिवहन।
11	श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
12	श्री दिनेश प्रताप सिंह	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात।
13	श्री अरूण कुमार सक्सेना	वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।
14	श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु''	आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। (MOS)

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री मयंकेश्वर शरण सिंह	संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
2	श्री दिनेश खटीक	जल शक्ति।
3	श्री संजीव कुमार गोंड	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण।
4	श्री बल्देव सिंह औलख	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
5	श्री अजीत पाल	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
6	श्री जसवन्त सिंह सैनी	संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास।
7	श्री रामकेश निषाद	जल शक्ति।
8	श्री मनोहर लाल मन्नु कोरी	श्रम एवं सेवायोजन।
9	श्री संजय सिंह गंगवार	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
10	श्री बृजेश सिंह	लोक निर्माण।
11	श्री के0 पी0 मलिक	वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।
12	श्री सुरेश राही	कारागार।
13	श्री सोमेन्द्र तोमर	ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा।
14	श्री अनूप प्रधान ''वाल्मीकि''	राजस्व।
15	श्रीमती प्रतिभा शुक्ला	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।
16	श्री राकेश राठौर गुरू	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
17	श्रीमती रजनी तिवारी	उच्च शिक्षा।
18	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति।
19	श्री दानिश आजाद अंसारी	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
20	श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण।

नेता, विरोधी दल

श्री अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सतीश महाना

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा (फिरोजाबाद)

2-श्री पंकज सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा (गौतमबुद्धनगर)

3-डा0 मंजू शिवाच, मा0 सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

4-श्री रवि शर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा (झांसी)

5-श्री ओम प्रकाश सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर)

6-श्री इन्दजीत सरोज, मा0 सदस्य, विधान सभा (कौशाम्बी)

7-श्री उमाशंकर सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा (बलिया)

8-श्री जय प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा (सिद्धार्थनगर)

9-श्रीमती कृष्णा पासवान, मा0 सदस्य, विधान सभा (फतेहपुर)

10-श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा (रायबरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 07 अगस्त, 2023

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-362

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — संतकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
26. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
27. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
28. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
29. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
30. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
31. अरमान खान, श्री — लखनऊ
32. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
35. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
36. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
37. अशरफ अली खान, श्री — शामली
38. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
41. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
42. आकाश सक्सैना (हनी) श्री — रामपुर
43. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
44. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
45. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
46. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
47. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर

48. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री हरदोई
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
50. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
51. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
52. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
65. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
66. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
67. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
68. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
72. कैलाश, श्री चंदौली
73. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
74. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
75. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
76. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
77. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
78. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
79. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
80. गुलाब देबी, श्रीमती सम्भल
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
83. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
84. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
85. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
86. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
90. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयमंगल, श्री महराजगंज
96. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
97. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
98. जाहीद, श्री भदोही
99. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
100. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
101. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
102. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
103. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
104. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
107. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
108. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
109. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
110. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
111. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही

112. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
113. दुधराम, श्री बस्ती
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
117. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
119. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
120. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
121. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
123. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
126. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
127. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
128. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
129. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
130. नाहिद हसन, श्री शामली
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
133. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
134. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
135. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
136. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
137. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
138. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
139. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
140. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
141. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
142. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
143. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
144. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
145. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
146. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
151. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
152. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
153. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
154. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
155. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
156. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चंदौली
157. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
158. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
159. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
160. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
161. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
162. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
163. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बाबूराम, श्री पीलीभीत
167. बाबूलाल, श्री आगरा
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा
169. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
170. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
171. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
172. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
173. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़

174. बेदी, श्री गाजीपुर
175. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
176. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
177. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
178. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
179. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
180. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
181. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
182. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
183. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
184. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
185. मनीष रावत, श्री सीतापुर
186. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
187. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
188. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
189. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
190. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
191. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
192. महबूब अली, श्री अमरोहा
193. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
194. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
195. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
196. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
197. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
198. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
199. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
200. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
201. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
202. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
203. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
204. मेघश्याम, श्री मथुरा
205. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
206. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
207. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
208. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
209. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
210. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
211. योगेश धामा, श्री बागपत
212. योगेश वर्मा, श्री खीरी
213. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
214. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
215. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
216. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
217. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
218. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
219. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
220. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
221. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
222. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
223. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
224. रवि शर्मा, श्री झांसी
225. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
226. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
227. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
228. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
229. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
230. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
231. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
232. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
233. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
234. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
235. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
236. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़

237. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
238. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
239. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
240. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
241. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
242. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
243. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
244. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
245. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
246. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
247. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
248. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
249. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
250. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
251. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
252. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
253. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
254. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
255. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
256. रामकेश निषाद, श्री बांदा
257. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
258. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
259. रामदुलार, श्री सोनभद्र
260. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
261. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
262. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
263. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
264. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
265. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
266. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
267. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
268. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
269. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
270. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
271. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
272. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
273. लकी यादव, श्री जौनपुर
274. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
275. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
276. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
277. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
278. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
279. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
280. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
281. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
282. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
283. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
284. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
285. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
286. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
287. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
288. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
289. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
290. विपुल दुबे, श्री भदोही
291. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
292. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
293. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
294. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
295. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
296. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर

297. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री — एटा
298. शफीक अहमद अंसारी, श्री — रामपुर
299. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री — देवरिया
300. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
301. शशांक वर्मा, श्री — खीरी
302. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
303. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
304. शिव प्रताप यादव, डॉ0 — बलरामपुर
305. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
306. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 — बरेली
307. श्यामधनी राही, श्री — सिद्धार्थनगर
308. श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
309. श्रीकान्त कटियार, श्री — उन्नाव
310. श्रीराम चौहान, श्री — गोरखपुर
311. संग्राम यादव, डॉ0 — आजमगढ़
312. संग्राम सिंह, श्री — बलिया
313. संजय कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
314. संजय सिंह गंगवार, श्री — पीलीभीत
315. संजीव अग्रवाल, श्री — बरेली
316. संजीव कुमार गोंड, श्री — सोनभद्र
317. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
318. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
319. संदीप सिंह, श्री — प्रयागराज
320. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
321. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
322. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
323. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
324. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
325. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा
326. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 — गोरखपुर
327. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
328. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
329. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
330. सर्वेश सिंह, श्री — फिरोजाबाद
331. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहांपुर
332. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
333. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
334. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
335. सुचि, श्रीमती — बिजनौर
336. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
337. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
338. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
339. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
340. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
341. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
342. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री — देवरिया
343. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
344. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
345. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
346. सुरेश राही, श्री — सीतापुर
347. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
348. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
349. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री — गाजीपुर
350. सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
351. सैय्यदा खातून, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
352. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 — मेरठ
353. सौरभ सिंह सोनू, श्री — खीरी
354. स्वामी ओउमवेश, श्री — बिजनौर
355. हंसु राम, श्री — बलिया
356. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
357. हरिओम, श्री — कासगंज

358.	हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर	361.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
359.	हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं	362.	हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़
360.	हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़			

नोट :- नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), आयुष, खाद्य एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न लेता हूं।

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी यानि महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, लेकिन हम सबने देखा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

जब आपका विषय आयेगा, तो उस समय यह उठाईयेगा। अभी यह विषय नहीं है, अभी प्रश्नकाल है। जब विषय आये तब इसे उठाईयेगा। देश भर की सारी विधान सभायें और लोक सभा इस बात को मानती हैं कि जनता के द्वारा उठाये गये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिये देश भर की असेम्बलीज और पार्लियामेण्ट में सबसे पहले क्वेश्चन ऑवर लिया जाता है और क्वेश्चन ऑवर ज्यादातर प्रतिपक्ष का होता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर स्लोगन लिखे बैनर लहराकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

[x x x]

आज प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं और सरकार उसके लिये तैयारी करके आई है। सरकार का जवाब आयेगा और जब सरकार का जवाब आयेगा तो आप अपनी बात कहियेगा। हर विषय के ऊपर विधान सभा के नियम हैं और व्यवस्था बनी हुई है। अगर आप पहले से सोचकर आये हैं कि अव्यवस्था फैलानी है तो हमारे पास उसके लिये कोई विषय नहीं है। जिस समय नियम आये उस समय आप लोग बोलियेगा। मैं किसी को यहां पर बिना नियम के बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वह किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाये।

(समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य वेल में आ गये और स्लोगन लहराकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

देखिये, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जाईये। मैं आपके इस आचरण की निन्दा करता हूं। आप लोग अपने स्थान पर जाकर बैठिये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान पर बैठिये और आपका जो भी विषय हो उसे समय आने पर रखिये। मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा और आपकी सारी बातें सुनी जायेंगी। आप अपनी बात उठाईये और सरकार उसका जवाब देने के लिये तैयार है। सरकार जवाब देगी जिसके बाद अगर आप सरकार के जवाब से सन्तुष्ट नहीं होंगे तो भी आपके पास अवसर रहेगा कि आप अपनी बात को कह सकें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मुझे लगता है कि आप लोग यह सोचकर आये हैं कि आज आपको अव्यवस्था फैलानी है। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर जाकर बैठिये। आपका जो विषय हो वह आप बताईये। अगर आप बिना विषय के चर्चा करना चाहते हैं तो हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। विधान सभा नियम से चलेगी, विधान सभा प्रक्रियाओं से चलेगी, विधान सभा शान्तिपूर्वक ढंग से चलेगी। कल आल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों को इस बात का आश्वासन दिया था कि हम सारे विषयों को सुनने के लिये तैयार हैं। आपने भी यह कहा था कि हम शान्तिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। आप नियमों के अन्तर्गत अपनी बात रखिये। सरकार सुनने के लिये और जवाब देने के लिये तैयार है। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, कृपया आप लोग अपने स्थान पर जाईये और अपनी बात नियमों के अन्तर्गत कहिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[11:03] प्रश्नोत्तर

देखिये अगर आप इस चक्कर में हैं कि मैं हाऊस एडजर्न करूंगा तो मैं हाऊस एडजर्न नहीं करूंगा। मैं नियमों के अन्तर्गत पूरी प्रक्रिया का संचालन करूंगा। अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या-1 लेता हूं।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुपोषण को कम करने विषयक कार्य योजना के सम्बन्ध में

***1-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण को कम करने हेतु कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में वर्ष 2017 में कुपोषित लोगों/बच्चों की संख्या कितनी थी एवं वर्तमान में कुपोषितों की संख्या क्या है ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती बेबी रानी मौर्य)-

जी हां।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

माह मार्च, 2017 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 0 से 05 वर्ष आयु के गम्भीर अल्प वजन के बच्चों की संख्या 17,03,318 तथा माह जून, 2023 में पोषण ट्रैकर में अंकित सूचना के अनुसार प्रदेश में 0 से 05 वर्ष आयु के गम्भीर अल्प वजन के बच्चों की संख्या 7,84,234 है।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-1 माननीय डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा जी का है। यह प्रश्न बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से सम्बन्धित है और बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देने के लिये सरकार तैयार है। अगर माननीय मुकेश चन्द्र वर्मा जी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बतायें। माननीय डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा जी अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं इसलिये इस प्रश्न को उत्तरित मान लिया गया।

नोट :-† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ सं0-197-198 पर।

(विपक्ष के सदस्य सदन के वेल से लगातार नारेबाजी करते रहे जिसकी वजह से घोर व्यवधान जारी रहा, घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय उपकरणों की स्थापना कराकर उपकरणों को सुचारु रूप से संचालित कराने के सम्बन्ध में

***2-श्री संदीप सिंह, श्री सर्वेश सिंह तथा श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम0आर0आई0 मशीन तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों की स्थापना करा कर उक्त उपकरणों को सुचारु रूप से संचालित कराने के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

दिनांक 30-05-2018 में विहित प्राविधानों के अनुसार नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा प्रदेश के सामुदायिक केन्द्रों पर साज-सज्जा/उपकरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार अल्ट्रासाउण्ड मशीन व अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्व से संचालित किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अल्ट्रासाउण्ड मशीन अथवा किसी अन्य चिकित्सकीय उपकरण आदि स्थापित कराये जाने की मांग की जाती है तब प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं।

उक्त शासनादेश दिनांक 30-05-2018 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम0आर0आई0 मशीन स्थापित कराये जाने का प्राविधान नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानकानुसार अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम0आर0आई0 मशीन स्थापित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

अल्ट्रासाउण्ड मशीन के उपयोग के लिये रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती आवश्यक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री संदीप सिंह, श्री सर्वेश सिंह तथा श्री पंकज कुमार मलिक जी का प्रश्न है। आप अनुपूरक पूछें। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार हैं। आप अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं। वह सरकार के उत्तर से सन्तुष्ट हैं इसलिये इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ होमगार्ड, स्वयंसेवकों, प्रादेशिक विकास दल के जवानों एवं ग्राम चौकीदारों सहित अन्य ग्राम स्तरीय मानदेय कर्मियों को दिलाने के सम्बन्ध में

***3-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ होमगार्ड, स्वयंसेवकों, प्रादेशिक विकास दल के जवानों एवं ग्राम चौकीदारों सहित अन्य ग्राम स्तरीय मानदेय कर्मियों को दिलाने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (एस0ई0सी0सी0-2011) के आधार पर चयनित श्रेणियों के कुल 1.16 करोड़ लक्षित लाभार्थी परिवार के सदस्यों को प्रति वर्ष प्रति परिवार रु0 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा सूचीबद्ध निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना का वित्त पोषण 60:40 के अनुपात क्रमशः क्रेन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2018 में योजना के प्रारम्भ के पश्चात् पुनः सर्वे कराते हुये मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारम्भ की गयी, जिसमें पुनः 8.43 लाख परिवारों को शामिल किया गया। तत्पश्चात् विभिन्न अन्य श्रेणियों जैसे अन्त्योदय कार्ड धारक, उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को शामिल किया गया। इसका वित्त पोषण 100 प्रतिशत प्रदेश सरकार के उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार शासकीय सहमति से समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया व उपरोक्तानुसार बजट का प्राविधान किया गया है।

होमगार्ड, स्वयंसेवकों, प्रादेशिक विकास दल के जवानों एवं ग्राम चौकीदारों सहित अन्य ग्राम स्तरीय मानदेय कर्मियों आदि वर्तमान में इस डाटा समूह में सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी आपका आयुष्मान भारत योजना के सम्बन्ध में प्रश्न है। आप अनुपूरक पूछें। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से सन्तुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में छुट्टा जानवरों से पीड़ित किसानों, यात्रियों एवं आमजनों को बचाने हेतु सार्थक योजना के सम्बन्ध में

***4-श्री प्रसन्न कुमार, डॉ0 अजय कुमार तथा श्री अभय सिंह-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा जानवरों से पीड़ित किसानों, यात्रियों एवं आमजनों को बचाने के लिये सरकार ने कोई ठोस एवं सार्थक योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के प्रस्तर 3.5 में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्राख्यापन किया गया है। शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 28-01-2019 के माध्यम से गौ-आश्रय स्थलों में बेसहारा गौवंशों को संरक्षित रखने हेतु परामर्शी निर्देश एवं मानक निर्धारित किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-2818/37-2-2018-5(2)/2018 टी0सी0, दिनांक 01-09-2018 तथा शासनादेश संख्या-91/37-2-2018-5(2)/2018 टी0सी0, दि0 11-01-2019 द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में 120 लाख प्रति केन्द्र की इकाई लागत से वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-1352/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018 टी0सी0, दि0 19-07-2023 द्वारा वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र के निर्माण की लागत रु0 120 लाख प्रति केन्द्र से बढ़ाकर रु0 160.12 लाख कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-80 सी0एम0/सैंतीस-2-2023-5(53)/18 टी0सी0-6, दिनांक 18-04-2023 द्वारा निराश्रित गौवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए गौ-आश्रय स्थलों तथा मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना के लाभार्थियों के भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 द्वारा किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-1702/सैंतीस-2-2023-5(53)/18 टी0सी0-6, दि0 17-07-2023 के माध्यम से निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गौ-आश्रय स्थलवार माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा गौ-वंशों के संरक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार ठोस एवं सार्थक योजनाएं बनायी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रसन्न कुमार जी, डा0 अजय कुमार जी तथा श्री अभय सिंह जी, आपका छुट्टा जानवरों के बारे में प्रश्न है। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से सन्तुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में

***5-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु निम्नवत् कार्य किये गये हैं :-

(1) प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष विभागान्तर्गत जिला चिकित्सालय/चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकरण व नये चिकित्सालयों का निर्माण किया गया है। विगत 5-6 वर्षों में विभागान्तर्गत 20 नये चिकित्सालयों की स्थापना/संचालन करते हुए 08 महत्वाकांक्षी जनपदों एवं 02 शहरी जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ई-पी0एच0सी0 पाइलेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

(2) निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाओं के अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड पर सी0टी0 स्कैन सेवायें प्रदेश के जनपदों में 69 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में संचालित है।

(3) प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने हेतु पी0पी0पी0 मोड पर 71 जनपदों में 72 हीमोडायलिसिस यूनिट जिला स्तरीय चिकित्सालयों में संचालित हैं।

(4) प्रदेश के 02 जनपदों में विभागीय एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा उपलब्ध है।

(5) प्रदेश के 28 जनपदों में जिला स्तरीय चिकित्सालयों में ब्लड कम्पोनेन्ट सैपेरेशन यूनिट संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

डा0 आर0 के0 वर्मा जी, श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी आपका प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराये जाने के संबंध में प्रश्न है। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय के अपने स्थान से बोलने का प्रयास करने पर)

आप मुख्य सचेतक हैं। पहले आप अपने मा0 सदस्यों को वापस अपने स्थान पर बुलाइये। पहले सदन व्यवस्थित करिये। उसके बाद आप बोलिये। मुख्य सचेतक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। आप सबको बैठाइये तब मैं सुनुंगा।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमित प्रधानाचार्य के वर्तमान में रिक्त पद एवं उक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के कोटा के सम्बन्ध में

***6-श्री लालजी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमित प्रधानाचार्य के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाचार्य के उक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उक्त वर्गों का कोटा पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में नियमित प्रधानाचार्य के 06 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

सृजित पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है जबकि अनुसूचित जनजाति का कोटा नहीं बनता है। अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में 02 पद भरे हैं, जबकि 01 पद का परिणाम लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा घोषित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

श्री अध्यक्ष-

श्री लालजी वर्मा जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से सन्तुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति तथा चिकित्सा उपकरणों के सम्बन्ध में

***7-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति तथा आबादी के सापेक्ष अस्पतालों को जीवन रक्षक

प्रणाली से सुसज्जित बेडों, चिकित्सा उपकरणों आदि अन्य जरूरी सुविधाओं से आच्छादित करने की योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के आधार पर डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनाती की जाती है। आबादी के सापेक्ष चिकित्सालयों को जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों एवं चिकित्सा उपकरण एवं अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने हेतु उपलब्ध बजट एवं संसाधनों के आधार पर उपकरण एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

प्रश्न नही उठता।

श्री अध्यक्ष-

डा0 संग्राम यादव जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से सन्तुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्करों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में उनकी सेवायें लेने के सम्बन्ध में

***8-डॉ0 रागिनी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्करों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में उनकी सेवाओं को लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकत्री है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आशाओं को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।

आशाओं को नियमित गतिविधियों के साथ ही विभिन्न मदों में भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 रागिनी जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहती हैं वह आपके उत्तर से सन्तुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में चिकित्सक विहीन सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार चिकित्सक तैनात कर सभी सुविधाएं मुहैया कराने के सम्बन्ध में

***9-श्री महेन्द्र नाथ यादव तथा श्री जियाऊर्रहमान-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन हैं ? क्या सरकार चिकित्सक विहीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार चिकित्सक तैनात कर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश का कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन नहीं है।

प्रदेश के समस्त जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं।

शासन के पत्र दिनांक 18-11-2022 द्वारा अग्रनीत किये गये 2382 विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों, ग्रेड-2, स्तर-2 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष चयनोपरान्त विभिन्न शासनादेशों द्वारा 45 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जो उपलब्धता व आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्र नाथ यादव जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों को पी0पी0पी0 मॉडल पर बनाये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री अतुल प्रधान-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को पी0पी0पी0 मॉडल पर बनाने की क्या कार्य योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किन जनपदों में पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ ।

प्रदेश में 16 जनपद ऐसे हैं, जहां शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है। ऐसे 16 असेवित जनपदों-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में निजी क्षेत्र की इकाई के सहयोग से पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-28/2021/1/98702/2021/71-4099/1045/2021, दिनांक-17-09-2021 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है।

वर्तमान में 04 जनपदों-महराजगंज, सम्भल, शामली एवं मऊ में उक्त पालिसी में उल्लिखित मोड-ए के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने हेतु कन्सेशन एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री अतुल प्रधान जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रत्येक जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में

***11-श्री अखिलेश-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष तथा सरकारी अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के दृष्टिगत वर्तमान में सरकारी अस्पतालों की संख्या में कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जिला चिकित्सालयों के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम) एवं 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य ग्रान्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा इमरजेन्सी कोविड रिस्पान्स पैकेज फेज-2 (ई0सी0आर0पी0-2) परियोजना प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों की मांग के सापेक्ष तैनाती के सम्बन्ध में

***12-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में कितने विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों की मांग है एवं उसके सापेक्ष कितने चिकित्सक जिला चिकित्सालयों, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों सहित अन्य कार्मिकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में प्रदेश के चिकित्सालयों में 19011 विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष जिला चिकित्सालयों, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में 11925 चिकित्सक कार्यरत हैं।

रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जो उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

शासन के पत्र दिनांक 18-11-2022 द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (ग्रेड-2) के विभिन्न विशेषज्ञता में अग्रनीत किये गये कुल 2382 पदों पर नियुक्ति/चयन किये जाने हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से अब तक प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा 31 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। पैरामेडिकल सम्वर्ग के अन्तर्गत एक्स-रे टेक्नीशियन के 456 पदों, फार्मासिस्ट के 221 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। उपचारिका के 1319 पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के स्तर पर तथा कनिष्ठ सहायक के 1148 रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री उमाशंकर सिंह जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में नार्सिंग स्टाफ के संविदा कर्मी व स्थाई नार्सिंग स्टाफ को समान वेतन देने के सम्बन्ध में

***13-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ के संविदा कर्मी व स्थायी नर्सिंग स्टाफ को समान वेतन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में संविदा स्टाफ कार्यरत हैं, जिनका मानदेय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आर0ओ0पी0 में अनुमोदित किया जाता है। संविदा कर्मी व स्थायी नर्सिंग स्टाफ के भर्ती के नियम एवं प्रक्रिया भिन्न है। अतः उनके समान वेतन का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में पशुओं को होने वाले लम्पी स्किन डिजीज (एल0एस0डी0) की रोकथाम के सम्बन्ध में

***14-श्री चन्दन चौहान-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि देश में लम्पी स्किन डिजीज (एल0एस0डी0) से पशुओं की मौत हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदेश में पशुओं में होने वाली उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

देश में लम्पी स्किन डिजीज से पशुओं में मृत्यु की सूचना प्रदेश स्तर पर उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में माह अप्रैल, 2023 से जुलाई, 2023 तक लम्पी स्किन डिजीज से कुल 52 पशु प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनका उपचार किया गया। इस अवधि में किसी भी प्रभावित पशु की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

श्री चंदन चौहान जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसा शिक्षकों का बकाया मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में

***15-श्री राजेन्द्र कुमार-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसा शिक्षकों का बकाया मानदेय के भुगतान पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मदरसा आधुनिकीकरण की योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही थी। वर्ष 2021-22 से यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक केन्द्रांश मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अतिरिक्त मानदेय का निरन्तर भुगतान हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री राजेन्द्र कुमार जी। आप अनुपूरक पूछें। मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य अनुपूरक नहीं पूछना चाहते हैं वह आपके उत्तर से संतुष्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित माना जाता है।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में

***16-श्री त्रिभुवन दत्त-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

विभाग द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका पद पर चयन हेतु कट ऑफ तिथि 01-07-2017 के आधार पर चयन की कार्यवाही दिनांक 17 मई, 2023 को पूर्ण कर ली गई है, जिसमें 320 आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका पद पर चयनित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मणिपुर पर चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आराधना जी मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए कहेंगी तो कल अगर यह डिमाण्ड आई कि केरला स्टोरी पर चर्चा करा दीजिए तो उत्तर प्रदेश में केरला स्टोरी पर चर्चा नहीं होंगी। अगर कल डिमाण्ड आई कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा करा दीजिए तो बंगाल की हिंसा पर चर्चा नहीं होगी। अगर मणिपुर पर चर्चा होगी तो पूरे देश के सभी राज्यों की चर्चा उत्तर प्रदेश विधान सभा नहीं करेगी। कल कोई मा0 सदस्य कह देगा कि केरला स्टोरी के बारे में चर्चा कीजिए तो केरला स्टोरी के बारे में चर्चा कैसे करेंगे, कोई कहेगा कि बंगाल की हिंसा के बारे में चर्चा कीजिए तो बंगाल की हिंसा के बारे में चर्चा कैसे करेंगे। मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। केवल उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा होगी। यह हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए जाएं। प्रश्नों का समय 12:20 मिनट तक होता है चूंकि 12:20 मिनट से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं। अतः प्रश्न समाप्त हो गये हैं। इसीलिये प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

प्रदेश में आवारा पशुओं को गौशाला में संरक्षित करने हेतु मानक और मृत पशुओं के गणना व मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में

***17-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं को गौशाला में संरक्षित किये जाने हेतु कोई मानक सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2022-23 में कितने आवारा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित किया गया है और उनमें से कितने पशुओं की दिनांक 23-03-2023 तक मृत्यु हुई है तथा मृत्यु किन कारणों से हो रही है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :- † नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 28-01-2019 के माध्यम से गौ-आश्रय स्थलों में बेसहारा गौवंशों को संरक्षित करने हेतु परामर्शी निर्देश एवं मानक निर्धारित किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-2818/37-2-2018-5(2)/2018टी0सी0, दिनांक 01-09-2018 तथा शासनादेश संख्या-91/37-2-2018-5(2)/2018 टी0सी0, दिनांक 11-01-2019 द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में 120 लाख प्रति केन्द्र की इकाई लागत से वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-1352/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018 टी0सी0, दिनांक 19-07-2023 द्वारा वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र के निर्माण की लागत रु0 120 लाख प्रति केन्द्र से बढ़ाकर 160.12 लाख कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-80 सी0एम0/सैंतीस-2-2023-5(53)/18 टी0सी0-6, दिनांक 18-04-2023 द्वारा निराश्रित गौवंश-संरक्षण एवं भरण-पोषण की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए गौ-आश्रय स्थलों तथा मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना के लाभार्थियों के भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 द्वारा किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-1706/सैंतीस-2-2023-5(53)/18टी0सी0-6, दिनांक 17-07-2023 के माध्यम से निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गौ-आश्रय स्थलवार माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा गौवंशों के संरक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार ठोस एवं सार्थक योजनाएं बनायी गयी हैं।

वर्ष 2022-23 में 6713 गौ-आश्रय स्थलों में 1131378 गौवंश संरक्षित हैं। वर्ष 2022-23 में कुल 34957 गौवंशों की मृत्यु हुयी है। गौ-आश्रय स्थलों में निराश्रित गौवंशों की अधिकांशतः मृत्यु स्वाभाविक कारणों जैसे अधिक उम्र, शारीरिक शिथिलता तथा दुर्घटनावश विकलांगता के कारण होती है। मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी पशु चिकित्सकों द्वारा मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम करके कारणों का पता लगाया जाता है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों के 500 मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी प्राइवेट चिकित्सालय न खोले जाने के सम्बन्ध में

***18-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों के 500 मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी प्राइवेट चिकित्सालय न खोले जाने की नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्गत क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट-2010 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में प्राइवेट चिकित्सालयों के पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है।

उक्त क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट में सरकारी चिकित्सालयों के 500 मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी प्राइवेट चिकित्सालय न खोले जाने का कोई प्राविधान वर्तमान में नहीं है।

प्रदेश के जिन जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं हैं उन जनपदों में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में

***19-श्रीमती पूजा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं हैं, में वन-जनपद वन-राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 75 जनपदों में से 59 जनपद में कम से कम एक मेडिकल कालेज निजी अथवा राजकीय अथवा दोनों संचालित हैं। वर्तमान में 16 असेवित जनपद यथा-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में राजकीय अथवा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है।

उक्त 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-28/2021/1/98702/2021/71-4099/1045/2021, दिनांक 17-09-2021 द्वारा पालिसी निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत इलाज एवं आपरेशन में अस्पताल से आयुष्मान का रेट कम है, शेष चार्ज मरीजों को भुगतान करना पड़ता है, के सम्बन्ध में

***20-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत इलाज एवं आपरेशन करने के लिए पी0जी0आई0, एम्स इत्यादि अस्पतालों में आयुष्मान योजना में यदि अस्पाताल के चार्ज से आयुष्मान का रेट कम है तो शेष चार्ज मरीज को भुगतान करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों के हितार्थ उक्त विसंगति को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध समस्त चिकित्सालय द्वारा स्टेट हेल्थ एजेन्सी, साचीज से अनुबन्ध किया जाता है, तथा भारत सरकार द्वारा समस्त बीमारियों के लिये उपलब्ध कराये गये पैकेज रेट जो ऑनलाइन टी0एम0एस0 साफ्टवेयर पर उपलब्ध होता है, उन्हीं पैकेज रेट पर ही लाभार्थियों का उपचार किया जाता है, किसी भी लाभार्थी से अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जनपद ललितपुर में विकास खण्ड बिरधा की ग्राम पंचायत चीराकोडर के मजरा चांदपुर में स्थित चंदेल कालीन तालाब का पर्यटन की दृष्टि से विकास कराने के सम्बन्ध में

1-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरधा की ग्राम पंचायत चीराकोडर के मजरा चांदपुर में स्थित चंदेल कालीन तालाब का पर्यटन की दृष्टि से विकास कराने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में स्थित प्रश्नगत चंदेल कालीन तालाब केन्द्रीय पुरातत्व संरक्षित स्मारक हजारिया महादेव मन्दिर एवं वराह मन्दिर के पीछे सटा हुआ स्थित है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की परिधि/सीमा में आता है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में विकास खण्ड-खजुहा, ग्राम नन्दापुर में शहीद त्रिदेव प्रसाद के अधूरा स्मारक को सरकार द्वारा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

2-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में विकास खण्ड-खजुहा, ग्राम नन्दापुर में शहीद त्रिदेव प्रसाद के अधूरा स्मारक को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वतंत्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारकों के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी महिला चिकित्सालयों को क्रियाशील करते हुए डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

3-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने महिला चिकित्सालय हैं तथा उनमें से कितने वर्तमान में क्रियाशील हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त महिला चिकित्सालयों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार प्रदेश के सभी महिला चिकित्सालयों को क्रियाशील करते हुए डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रदेश में कुल 242 महिला चिकित्सालय संचालित हैं, जो क्रियाशील हैं।

प्रदेश के महिला चिकित्सालयों (एम0सी0एच0 विंग भी सम्मिलित) में चिकित्सक के कुल 393 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा नेचुरोपैथी (प्राकृतिक चिकित्सा) द्वारा इलाज कराने पर उक्त कर्मचारियों के चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में

4-श्री अभय सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा नेचुरोपैथी (प्राकृतिक चिकित्सा) द्वारा इलाज कराने पर उक्त चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के उर्सला हॉस्पिटल में 1 अप्रैल, 2022 से 19 मार्च, 2023 तक अस्थि रोग विभाग में हुए कुल आपरेशन तथा कितने में प्लेट, इम्प्लान्ट उपलब्ध कराया गया उक्त के विवरण के सम्बन्ध में

5-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के उर्सला हॉस्पिटल में 1 अप्रैल, 2022 से 19 मार्च, 2023 तक अस्थि रोग विभाग में कितने ऑपरेशन हुए तथा कितने केस में प्लेट, इंप्लांट आदि उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

यू0एच0एम0 जिला पुरुष चिकित्सालय (उर्सला), कानपुर नगर में 01 अप्रैल, 2022 से 19 मार्च, 2023 के मध्य अस्थि रोग विभाग में कुल 1744 ऑपरेशन हुए। इनमें से 17 केसों में प्लेट तथा 30 केसों में अन्य इम्प्लान्ट सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों को चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चिकित्सकों के स्थानान्तरण की नियमावली के सम्बन्ध में

6-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चिकित्सकों के स्थानान्तरण हेतु कार्य नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-11/2022/363-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96, दिनांक 15-06-2022 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 निर्गत की गयी है, जिसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश संख्या-1390/सेक-2-पांच-2022-7(64)/2017, दिनांक 17-06-2022 द्वारा अंगीकृत किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जिला संयुक्त चिकित्सालय में बर्न यूनिट भवन के निर्माण एवं सभी में उपचार हेतु उपकरण, जनरल सर्जन एवं स्टाफ आदि सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला संयुक्त चिकित्सालय में बर्न यूनिट भवन निर्मित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सभी में उपचार हेतु उपकरण, जनरल सर्जन एवं स्टाफ आदि सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में प्रदेश के 27 जिला संयुक्त चिकित्सालय में विभागीय बर्न यूनिट स्थापित है।

उक्त 26 जिला संयुक्त चिकित्सालय में बर्न यूनिट के उपकरणों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उपलब्धता के अनुसार जनरल सर्जन एवं स्टाफ तैनात हैं।

विवरण निम्नवत् है :-

रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में 02 जनरल सर्जन डा0 सुरेन्द्र बाबू एवं डा0 पवन कुमार कार्यरत हैं।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर में 01 जनरल सर्जन डा0 विजय बहादुर गौतम कार्यरत हैं।

मा0 कांशी राम संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर में 01 जनरल सर्जन डा0 बसन्त लाल कार्यरत हैं।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत में 01 जनरल सर्जन जे0 के0 यादव कार्यरत हैं।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, शामली में 01 जनरल सर्जन डा0 नरेश सैनी कार्यरत हैं।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा में 02 जनरल सर्जन डा0 मोहम्मद इकबाल एवं डा0 प्रतीक रस्तोगी कार्यरत हैं।

म0प्र0 जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली में 03 जनरल सर्जन डा0 जय प्रकाश मौर्य, डा0 अविनाश सिंह आनन्द एवं डा0 मनीष पाल सिंह कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीनों से वंचित जिला अस्पतालों में उक्त की व्यवस्था उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

8-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार

सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीनों से वंचित जिला अस्पतालों में उक्त की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 05 जनपदों यथा-एटा, मैनपुरी, संतरविदासनगर, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा एम0आर0आई0 मशीनों की सुविधा 73 जिला अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। एम0आर0आई0 मशीन की आवश्यकता मेडिकल कालेज स्तर के चिकित्सालयों पर होती है।

जनपद एटा, मैनपुरी, संतरविदासनगर, मीरजापुर एवं प्रतापगढ़ में सी0टी0 स्कैन की सुविधा पी0पी0पी0 मोड पर उपलब्ध कराये जाने हेतु एन0एच0एम0 द्वारा सेवा प्रदाता का चयन कर लिया गया है तथा सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ई0सी0आर0पी0 फेज-2 योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़, बांदा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोण्डा, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित किये जाने हेतु उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा एम0आर0आई0 मशीन क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के 19011 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 7533 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के विभिन्न योजनाओं में संविदा पर 1879 चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर 1070 तैनात हैं। साथ ही वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से 120 एवं पुनर्योजन के माध्यम से 340 चिकित्सकों की तैनाती की गयी है।

रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियाँ करने के क्रम में एन0एच0एम0 के तहत संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है तथा वॉक-इन-इण्टरव्यू व पुनर्नियोजन के माध्यम से भी चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

नियमित चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा की जाती है। चिकित्साधिकारियों के 2382 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

10-श्री प्रसन्न कुमार

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

एम्स की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में उ0प्र0 में जनपद गोरखपुर एवं रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित हैं। जहाँ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा दिसम्बर, 2021 में आपूर्ति की गई एकलोफैनिक दर्द निवारक दवा के घटिया होने के सम्बन्ध में

11-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा दिसम्बर, 2021 में आपूर्ति की गई एकलोफैनिक दर्द निवारक दवा के घटिया होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

फर्म द्वारा औषधि एसिक्लोफैनिक 100 एम0जी0 टैबलेट के कुल 18 बैच 2021 में सप्लाई किये गये जिसमें जाँचोपरान्त 09 बैच स्टैण्डर्ड क्वालिटी के पाये गये तथा 01 बैच नॉट ऑफ स्टैण्डर्ड क्वालिटी (अधोमानक) पाया गया। अधोमानक पाये गये बैच के बारे में फर्म को 'कारण बताओ नोटिस' भेजा गया तथा फर्म के विरुद्ध निविदा नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :-

(1) प्रश्नगत औषधि बैच संख्या-आर0टी0-211258 का तत्काल प्रभाव से वितरण एवं उपयोग करने से स्वास्थ्य इकाइयों को रोक दिया गया।

(2) आपूर्ति औषधि बैच संख्या-आर0टी0-211258 को नॉन सप्लाई (अनापूर्तित) मानते हुये निविदा शर्तों के अनुसार उक्त बैच की आपूर्ति मात्रा का फर्म को भुगतान नहीं किया गया है एवं पृथक से 20 प्रतिशत पेनाल्टी भी फर्म के भुगतान से दण्ड स्वरूप काटी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में तैनात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के विरुद्ध एस0आई0टी0 जांच में दोषी पाये जाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने एवं विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

12-श्री मोहन वर्मा

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में तैनात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के विरुद्ध एस0आई0टी0 जांच में दोषी पाये जाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने एवं विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्र संख्या ख-7 नं0 130560 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-446/52-2/2023-जांच (04)/2018, दिनांक 20-02-2023 द्वारा श्री लालमन, तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-772/52-2/2023-जांच (04)/2018, दिनांक 29-03-2023 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

13-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[02 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वर्ष 2022-2023 में टीबी रोग के कुल मरीज एवं इलाज के पश्चात् स्वस्थ हो चुके मरीजों को पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री स्वामी ओउमवेश

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022-2023 में टी0बी0 रोग के कितने मरीज हैं तथा इलाज के पश्चात् कितने स्वस्थ हो चुके हैं ? क्या सरकार स्वस्थ हो चुके मरीजों की पुनः स्वास्थ्य जाँच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

वर्ष 2022 2023 में 5,59,661 टी0बी0 रोगी पंजीकृत किये गये। इलाज के पश्चात् 3,49,327 रोगी ठीक हो गये। (निक्षय पोर्टल से आंकड़े दिनांक 20 जुलाई, 2023 के लिये गये हैं)

टी0बी0 रोग से सही हो चुके व्यक्तियों की 02 वर्ष तक प्रत्येक 06 माह में जांच करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका के कुल स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 167506 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 26007 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

आँगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/(22) टी0सी0, दिनांक 21 मार्च, 2023 निर्गत करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 20-01-23 तक ब्लाकवार किये गये भुगतान एवं शेष बचे हुए भुगतान के सम्बन्ध में

16-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 20-01-23 तक ब्लाकवार कितना भुगतान किया गया है और कितना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 20-01-2023 तक ब्लाकवार किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि (रुपये में)

ब्लाक	2021-22			2022-23 (20 जनवरी, 2023 तक)		
	देय राशि	भुगतान राशि	अवशेष राशि	देय राशि	भुगतान राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
अहिरौली	2646000	2256800	389200	2368800	1369200	999600
अतरौलिया	1908200	1657600	250600	1759800	1429400	330400
अजमतगढ़	2000600	1989400	11200	1850800	1440600	410200
बिलरियागंज	2304400	1370600	933800	2277800	911400	1366400
हरैया	1496600	915600	581000	1248800	639800	609000
जहानागंज	1309000	991200	317800	1229200	530600	698600
कोयलसा	1706600	1414000	292600	1855000	329000	1526000
लालगंज	2822400	2828000	-5600	2366000	1799000	567000
महराजगंज	2052400	1668800	383600	1954400	658000	1296400
मार्टिनगंज	1582000	1460200	121800	2101400	1061200	1040200
मेंहनगर	1260000	999000	261000	1236200	765800	470400
मिर्जापुर	1866200	1656800	209400	1383200	1153600	229600
मोहम्मदपुर	1344000	1183000	161000	1376200	1036000	340200
पल्हनी	481600	418600	63000	427000	378000	49000
पवई	1404200	799400	604800	1463000	547400	915600
फूलपुर	1486800	1372000	114800	1517600	130200	1387400
रानी की सराय	1841000	1572400	268600	2069200	1526800	542400
सठियांव	2133600	1826200	307400	2129400	746200	1383200
तहबरपुर	1288000	1180200	107800	1171800	900200	271600
तरवां	3410400	1178940	2231460	3355800	987000	2368800
ठेकमा	1440600	1160600	280000	1295000	756000	539000
कुल योग :	**37784600**	**29899340**	**7885260**	**36436400**	**19095400**	**17341000**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्ण क्षमता से संचालित कुल कितने एवं कौन से मेडिकल कालेज हैं एवं आजमगढ़ में स्थापित मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

17-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने तथा कौन से मेडिकल कालेज पूर्ण क्षमता से संचालित हैं ? क्या सरकार जनपद आजमगढ़ में स्थापित मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में 35 मेडिकल कालेज/संस्थान, निजी क्षेत्र में 30 मेडिकल कालेज एवं 04 केन्द्रीय संस्थान संचालित हैं।

एन0एम0सी0 मानकानुसार एवं आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ संचालित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के प्रत्येक संयुक्त जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के स्वीकृत पद और स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पदों के सम्बन्ध में

18-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक संयुक्त जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के संयुक्त जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 1339 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 668 पद रिक्त हैं।

नियमित चिकित्सकों की सूची संलग्न† है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा पर 1879 चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर 1070 तैनात हैं। साथ ही वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से 120 एवं पुनर्योजन के माध्यम से 340 चिकित्सकों की तैनाती की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

नोट :-† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ सं0-199-201 पर।

प्रदेश में मुस्लिम वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी-विवाह एवं बीमारी आदि के लिये अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक दिये गये अनुदान राशि के सम्बन्ध में

19-श्री जियाऊर्रहमान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुस्लिम वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी-विवाह एवं बीमारी आदि के लिये अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक कितने लोगों को अनुदान राशि दी गई है ? क्या उक्त अनुदान राशि को बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत कुल 21.40 लाख की धनराशि से 107 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुस्लिम वर्ग की गरीब लड़कियों की बीमारी हेतु कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सेवा प्रदाताओं (आउटसोर्सिंग) से संविदा के माध्यम से मेडिकल कालेज के स्टाफ नर्स की तैनाती एवं आउटसोर्सिंग से स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत कर्मियों को समान वेतन भुगतान के सम्बन्ध में

***20-श्री लालजी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवा प्रदाताओं (आउटसोर्सिंग) से संविदा के माध्यम से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्टाफ नर्स की तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सेवा प्रदाताओं में से अवनि परिधि सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा स्टाफ नर्स के पद पर रु0 21000/- वेतन तथा अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में स्टाफ नर्स के पद पर मात्र रु0 11000/- वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आउटसोर्सिंग से स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत कार्मिकों को समान वेतन भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेन्सी मेसर्स अवनि परिधि द्वारा स्टाफ नर्स को आउटसोर्सिंग अनुबन्ध के आधार पर प्रतिमाह मानदेय रु0 20846/- में से नियमानुसार अनुमन्य अन्य वैधानिक देयों की कटौतियों के उपरान्त प्रतिमाह रु0 16373/- भुगतान किया जाता है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सेवाप्रदाता फर्मों द्वारा स्टाफ नर्स को आउटसोर्सिंग अनुबन्ध के आधार पर प्रतिमाह मानदेय रु0 26,172.97 में से नियमानुसार

अनुमन्य अन्य वैधानिक देयों की कटौतियों के उपरान्त प्रतिमाह रु0 18,150/- का भुगतान किया जाता है।

के0जी0एम0यू0 में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के संचालन के दृष्टिगत इसकी प्रास्थिति मेडिकल कालेजों से उच्च होने के दृष्टिगत ही मानदेय में भिन्नता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों का वर्ष 2017 से 2019 तक मानदेय का बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में

21-श्री लालजी वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों का वर्ष 2017 से 2019 तक मानदेय का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों का बकाया मानदेय भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मदरसा आधुनिकीकरण की योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही थी। वर्ष 2021-22 से यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक केन्द्रांश मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अतिरिक्त मानदेय का निरन्तर भुगतान हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में महिलाओं को समुचित चिकित्सा सुविधा दिलाये जाने हेतु महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों पर मानकानुसार भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में

22-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की भारी कमी के कारण महिलाओं को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं को समुचित चिकित्सा सुविधा दिलाये जाने हेतु महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों पर मानकानुसार भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में तैनात महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का समुचित इलाज किया जा रहा है।

प्रदेश में महिला चिकित्सकों का पृथक से कोई कैडर नहीं है। चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा की जाती है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली में विधान सभा क्षेत्र सरेनी में ग्राम चाँदा व बन्नामऊ, ब्लाक लालगंज में बड़ी गौशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में

23-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में विधान सभा क्षेत्र सरेनी में ग्राम चाँदा व बन्नामऊ, ब्लाक लालगंज में बड़ी गौशाला स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

विकास खण्ड-लालगंज के चाँदा में कान्हा गौशाला का निर्माण नगर पालिका लालगंज द्वारा कराया जा रहा है तथा ग्राम बन्नावा में वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 20 मार्च, 2023 तक कितने मेडिकल कालेज खोले गये तथा उक्त में से वर्तमान में कितने चालू अवस्था में हैं एवं कितने खोले जाने हैं, के सम्बन्ध में

24-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 20 मार्च, 2023 तक कितने मेडिकल कालेज खोले गये तथा उक्त में से वर्तमान में कितने चालू अवस्था में हैं एवं कितने खोलने के लिये प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मेडिकल कालेजों में डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त किये गये डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की सूची कालेजवार सरकार उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां, वर्ष 2017 से दिनांक 20-03-2023 तक केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत 05 एवं फेज-2 के अन्तर्गत 08 तथा मेडिकल कालेज, जौनपुर अर्थात् कुल 14 मेडिकल कालेज खोले गये हैं।

उपरोक्त सभी मेडिकल कालेज चालू अवस्था में हैं।

केन्द्र सहायतित योजना फेज-3 के अन्तर्गत 14 मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु प्रस्तावित एवं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

शासनादेश दिनांक 17-09-2021 द्वारा जिन जनपदों (असेवित जनपदों) में सरकारी/निजी क्षेत्र का कोई मेडिकल कालेज स्थापित/संचालित नहीं है, में पी0पी0पी0 मोड पर 16 मेडिकल कालेज बनाये जाने की विस्तृत गाइडलाइन निर्गत की गयी है।

पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने हेतु 04 जिलों यथा- महाराजगंज, सम्भल, मऊ एवं शामली में प्राइवेट पार्टनर चिन्हित करते हुए उनके साथ कंशेसन एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। शेष जिलों में मेडिकल कालेज स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

सूची संलग्न[†]।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कितने सरकारी अस्पतालों में कितनी अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित हैं एवं कितने रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं, निश्चित समयावधि तक शत-प्रतिशत अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के सम्बन्ध में

25-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सरकारी अस्पतालों में कितनी अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित हैं ? उक्त मशीनों के संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग में कितने रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित समयावधि तक शत-प्रतिशत अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में 189 सरकारी अस्पतालों में कुल 386 अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित हैं।

उक्त मशीनों के संचालन हेतु प्रदेश में लेवल-1 से लेवल-3 के कुल 48 रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं।

[†] छापी नहीं गई।

जी नहीं।

अल्ट्रासाउण्ड मशीन के उपयोग के लिए रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती आवश्यक नहीं है।

प्रदेश में आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले साफ्टवेयर बीआईएस के नये वर्जन 2.0 लागू होने पर आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया बाधित होने के सम्बन्ध में

26-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले साफ्टवेयर बीआईएस (बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन साफ्टवेयर) के नये वर्जन 2.0 लागू होने के बाद नये गोल्डेन कार्ड बनने की प्रक्रिया बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के गोल्डेन कार्ड नहीं बन पाने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश सहित जनपद फिरोजाबाद में ऐसे कितने गोल्डेन कार्ड के आवेदन हैं, जो साफ्टवेयर के नये वर्जन के कारण लम्बित हैं ? क्या सरकार ने उक्त के समाधान के लिये कोई कदम उठाये हैं ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड (गोल्डेन कार्ड) बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले साफ्टवेयर बीआईएस (बायोमैट्रिक आइडेंटिफिकेशन साफ्टवेयर) के नये वर्जन 2.0 लागू होने पर आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया बाधित नहीं हुयी है।

प्रदेश सहित जनपद फिरोजाबाद में ऐसे कोई भी गोल्डेन कार्ड के आवेदन साफ्टवेयर के नये वर्जन के कारण लम्बित नहीं हैं। वर्ष 2023 में जनपद फिरोजाबाद में लगभग 47,350 एवं प्रदेश में लगभग 58,88,974 आयुष्मान कार्ड का आवेदन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद तथा बीकेटी के संयुक्त क्षेत्र से जुड़ा कठवारा में चंद्रिका देवी के गोमती नदी तट पर हरिद्वार और अयोध्या की भांति चंद्रिका देवी की पैड़ी का निर्माण के सम्बन्ध में

27-श्रीमती जय देवी-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद तथा बीकेटी के संयुक्त क्षेत्र से जुड़ा कठवारा में चंद्रिका देवी के गोमती नदी तट पर हरिद्वार और अयोध्या की भांति चंद्रिका देवी की पैड़ी का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

28-श्री अभय सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

29-श्री अभय सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

30-श्री अभय सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

31-श्री अभय सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद जौनपुर, कौशाम्बी, आजमगढ़ में आयुष्मान योजना में कुल पात्र परिवार, कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या एवं बनाये गये आयुष्मान कार्ड की संख्या के सम्बन्ध में

32-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, कौशाम्बी, आजमगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत कितने व्यक्तियों के चयन की योजना जनवरी, 2023 तक निर्धारित है ? क्या सरकार बातएगी कि 09 जनवरी, 2023 तक लक्ष्य के अनुरूप कितने लोगों का चयन किया गया है तथा कितने लोगों का चयन किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष लोगों का चयन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 09 जनवरी 2023 तक लक्ष्य के अनुरूप जनपदों में कुल लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

जिला	कुल पात्र परिवार	कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या	बनाये गये आयुष्मान कार्ड की संख्या
जौनपुर	3,14,149	13,37,623	5,04,264
कौशाम्बी	1,57,906	6,91,084	1,86,427
आजमगढ़	2,54,249	10,37,623	3,09,488

कुल पात्र लाभार्थियों का लक्ष्य पूर्व निर्धारित है व उक्त डाटा को स्थिर किया जा चुका है।

जनपदों में चयनित लाभार्थियों की सूची के अनुरूप आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। लाभार्थियों की सूची के अलावा अन्य नयी लाभार्थी श्रेणियों को जोड़े जाने का कार्य समय-समय पर नीतिगत विभागीय निर्णयों पर आधारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल हॉस्पिटल) अस्पताल में बन्द कैथलैब को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

33-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल हॉस्पिटल) अस्पताल में वर्ष 2007 में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कैथलैब की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्तमान समय में उक्त कैथलैब बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कैथलैब को पुनः संचालित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जी हाँ।

नई कैथलैब की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौ-संरक्षण हेतु खोले गए गौशालाओं (निजी स्तर पर) में रखे गए गौवंश के गोबर, मूत्र तथा दूध से होने वाली आमदनी को सरकार के राजकोष में जमा करने के सम्बन्ध में

34-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-संरक्षण हेतु खोले गए गौशालाओं (निजी स्तर पर) में रखे गए गौवंश के गोबर, मूत्र तथा दूध से होने वाली अतिरिक्त आमदनी को क्या सरकार राजकोष में जमा कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

गौशाला एक धर्मार्थ संस्था है, जिसका निर्माण व संचालन निजी/स्वयंसेवी संस्था एवं दानोत्तरीय धार्मिक व अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जो कि उक्त के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वायत्त हैं।

जनपद आजमगढ़ में चिकित्सक विहीन सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात कर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

35-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है ? क्या सरकार चिकित्सक विहीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात कर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद आजमगढ़ में स्थापित 15 सामु0 स्वा0 केन्द्र, 09 नॉन ब्लाक सामु0 स्वा0 केन्द्र तथा 69 प्रा0 स्वा0 केन्द्र हैं।

सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर मानक के अनुरूप उपलब्धता के आधार पर चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3179/पांच-3-2022, दिनांक 18-11-2022 द्वारा विभिन्न विशेषज्ञता में अग्रेनित किये गये कुल 2382 पदों पर चयन किये जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से अब तक प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर 31 नव नियुक्त विशेषज्ञ तैनात किये गये हैं। यह भी अवगत कराना है कि रिक्तियों के सापेक्ष तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु टेलीमेडिसिन सेवा के सम्बन्ध में

36-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने चिकित्सा संस्थानों को उक्त हेतु चिन्हित किया गया है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त योजना से लाभान्वित मरीजों को परामर्श-पत्र कैसे उपलब्ध होगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

एम्स रायबरेली/एम्स गोरखपुर/22 राजकीय मेडिकल कालेजों/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को चिन्हित किया गया है।

टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ओ0पी0डी0 ऐप के माध्यम से संचालित की जाती है। उक्त ऐप के माध्यम से मरीजों द्वारा परामर्श-पत्र सहित समस्त जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में रेडियो डायग्नोस्टिक एवं खून के जांच के सम्बन्ध में

37-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में रेडियो डायग्नोस्टिक एवं खून के जांच की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि मरीजों को खून की जांच तथा डायग्नोस्टिक जांच हेतु संस्थान के बाहर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्थान में रेडियो डायग्नोस्टिक तथा खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ ।

संस्थान में रेडियो डायग्नोस्टिक एवं खून की जांच की सुविधा उपलब्ध है। ट्यूमर बायोमार्कर जाँच सुविधा भी मरीजों को प्रदान की जा रही है। रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग के अन्तर्गत सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड एवं मोबाइल एक्स-रे की सुविधा भी मरीजों को संस्थान में ही प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नई 2डी इको मशीन, कैथलैब, टी0एम0टी0 मशीन खरीदे जाने के सम्बन्ध में

38-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद लखनऊ स्थित डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नई 2डी इको मशीन, कैथलैब, टी0एम0टी0 मशीन खरीदे जाने हेतु

रु0 3,89,25,000 की धनराशि स्वीकृति का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव की धनराशि स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रदेश के जनपद लखनऊ स्थित डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नई 2डी इको मशीन, कैथलैब, टी0एम0 टी0 मशीन खरीदे जाने हेतु रुपये 3,89,25,000 की धनराशि शासनादेश संख्या-256/2022/आई/249376/2022-5-6099/810/2022-6, दिनांक 16-12-2022 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं राजकीय मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

39-श्री अखिलेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना करा दी गयी है तथा कितनों में कराया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध कराते हुए शेष चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में भी ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के समस्त चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में

40-श्री सचिन यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी है ? क्या सरकार उक्त की जिलावार सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/स्टाफ नर्स का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	एन0एच0एम0 से संविदा पर कार्यरत चिकित्सक	पुनर्योजन चिकित्सक कार्यरत	वॉक-इन-इण्टरव्यू चिकित्सक कार्यरत
चिकित्सक	15937	6400	2949	340	120
स्टाफ नर्स	9152	3988	-	-	-

नियमित चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स की सूची संलग्न† है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा पर 1879 चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर 1070 तैनात हैं। साथ ही वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से 120 एवं पुनर्योजन के माध्यम से 340 चिकित्सकों की तैनाती की गयी है। चिकित्साधिकारियों के 2382 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती में दवाओं की कमी एवं दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में

41-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती में दवाओं के अभाव की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती से सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा आपूर्ति की गई आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं तथा मरीजों को आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गई।

प्रदेश में आपातकाल में डी0आई0आर0 और मीसा में बन्द लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान पेन्शन राशि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में

42-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में डी0आई0आर0 और मीसा में बन्द राजनीतिक बन्दी जिन्हें प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानी मान कर वर्ष 2017-2018 से रु0 20,000 सम्मान पेंशन राशि दे रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान पेंशन राशि बढ़ाए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। शासनादेश संख्या-16/2018/1498 जेड/6-सा-3-2018-11 आई0जी0 आर0एस0/2017, दिनांक 11 जुलाई, 2018 द्वारा रु0 15,000/- से बढ़ाकर रु0 20,000/- प्रतिमाह किया गया है, जो वर्तमान में देय है। इससे पूर्व इन्हें रु0 15,000/- प्रतिमाह दिया जा रहा था।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अवैतनिक कार्मिकों (वार्डेन्स) को पूर्व में अनुमन्य दैनिक भत्ता पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अवैतनिक कार्मिकों (वार्डेन्स) को केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बीकेटी, लखनऊ अथवा एनडीआरएफ अकेडमी नागपुर प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता के साथ जो दैनिक भत्ता अनुमन्य था, को शासनादेश संख्या-20/2019/578 (1)/83-19-34 सीडी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-19 में नागरिक सुरक्षा कोर के किसी सदस्य को नागरिक सुरक्षा कार्य हेतु बुलाये जाने पर उसे पब्लिक सर्वेंट माने जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिक सुरक्षा में अवैतनिक कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य दैनिक भत्ता पुनः बहाल करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ। नागरिक सुरक्षा संगठन के अवैतनिक कार्मिकों को यात्रा भत्ता के साथ जो दैनिक भत्ता अनुमन्य था, वह शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा-19 के अनुसार 'कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक केन्दीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत हो, और कोर का प्रत्येक सदस्य, जब तक वह ऐसे कार्य कर रहा हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा-21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा'।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के एस0आई0टी0 जांच में दोषी पाए जाने के उपरान्त कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

44-श्री मोहन वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के एस0आई0टी0 जांच में दोषी पाए जाने के उपरान्त कानूनी कार्यवाही करने के विषयक आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157230035291 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18157230035291 के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-446/52-2/2023-जांच (04)/2018, दिनांक 20-02-2023 द्वारा श्री लालमन, तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-772/52-2/2023-जांच (04)/2018, दिनांक 29-03-2023 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा परिषद्, जवाहर भवन, लखनऊ के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में

45-श्री मोहन वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा परिषद्, जवाहर भवन, लखनऊ के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कर कार्यवाही किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-6 नं0-692489 एवं क-6 नं0-692490 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

पत्र में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जाँच हेतु मण्डलायुक्त, बस्ती को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1360/52-2-2023-1/(46)2014, दिनांक 30-06-2023 द्वारा श्री जगमोहन सिंह, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, प्रयागराज मण्डल को दिया गया, रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् का अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के ब्लाक मोतीचक के ग्राम पंचायत सिकटिया में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर उपलब्ध जमीन पर पी0एच0सी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री मोहन वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक मोतीचक के ग्राम अजीजनगर सोहसा दुबौली में मुख्य पिच मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत सिकटिया में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर जमीन उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त जमीन पर उपकेन्द्र (पीएचसी) बनाए जाने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक मोतीचक के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकटिया से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मथौली लगभग 13 किमी0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरभिण्डा तथा भैसही लगभग 17 किमी0 एवं टेकुआटार लगभग 10 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस को चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिल रहा है।

वर्तमान में शासनादेश दिनांक 06-05-2017 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में विभाग द्वारा नये निर्माण के स्थान पर निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है।

लखनऊ के के0जी0एम0यू0 मेडिकल कालेज में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त आश्रित को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति के सम्बन्ध में

47-श्री विनोद शंकर अवस्थी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 मेडिकल कालेज में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त आश्रित श्री मयंक पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री हरि किशोर पाण्डेय को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का उप मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक क-7 नं0-51353, दिनांक 20-03-2023 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र दिनांक 01-08-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार श्री मयंक पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री हरि किशोर पाण्डेय के प्रत्यावेदन को विद्यमान नियमों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 17-05-2023 द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

48-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-209 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद में शैक्षणिक सत्र, 2022-23 में एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र शैलेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को एस0टी0 श्रेणी की आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में

49-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद में शैक्षणिक सत्र, 2022-23 में एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र शैलेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को एस0टी0 श्रेणी की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को एक समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दिए जाने के सम्बन्ध में

50-श्री अभय सिंह तथा डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को एक समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दिए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22-09-2022 को बैठक सम्पन्न हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को एक समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दिए जाने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी हाँ।

आयुष विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा की तीन विधायें आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक हैं। चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-713 सेक-9/पाँच-91-29/89, दिनांक 11-03-1991 के द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को तथा चिकित्सा अनुभाग-15 के शासनादेश संख्या-5801/सेक-15/5-90-26 (रिट)/90, दिनांक 16-02-1991 के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट प्रदान की गयी है। उक्त के दृष्टिगत आयुष विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में सभी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर मानकानुसार डाक्टर व स्टाफ नर्स नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

51-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर मानकानुसार डाक्टर व स्टाफ नर्स नियुक्त हैं ? यदि हाँ, तो उक्त की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानकानुसार उक्त में नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रदेश के समस्त जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के अनुसार चिकित्सक/स्टाफ नर्स तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

शासन के पत्र दिनांक 18-11-2022 द्वारा अग्रेनित किये गये 2382 विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों, ग्रेड-2, स्तर-2 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष चयनोपरान्त विभिन्न शासनादेशों द्वारा 31 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। शासन द्वारा प्रेषित स्टाफ नर्स के 2987 पदों पर अधियाचन के सापेक्ष 1699 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जा चुकी है। रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्धता व आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पद एवं रिक्त पद के सम्बन्ध में

52-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक उक्त पदों में से कितने पदों पर तैनाती की गई है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियां करने हेतु तथा आबादी के सापेक्ष अस्पतालों को जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों, चिकित्सा उपकरणों आदि अन्य जरूरी सुविधाओं से आच्छादित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद आजमगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, विशेषज्ञ, नर्सों, फार्मासिस्टों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैं :-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	एन0एच0एम0 से संविदा पर कार्यरत चिकित्सक	पुनर्योजन चिकित्सक कार्यरत	वॉक-इन-इण्टरव्यू चिकित्सक कार्यरत
चिकित्सक	110	06	1879	340	120
विशेषज्ञ चिकित्सक	125	78	1070	-	-
स्टाफ नर्स	125	17	479	-	-
फार्मासिस्ट	127	20	15	-	-

दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक 53 चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की तथा 31 स्टाफ नर्स की तैनाती की गई।

रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियां करने के क्रम में एन0एच0एम0 के तहत संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है तथा वॉक-इन-इण्टरव्यू व पुनर्नियोजन के माध्यम से भी चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

नियमित चिकित्साधिकारियों एवं स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा की जाती है। चिकित्साधिकारियों के 2382 पदों को भरे जाने हेतु अधियान उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। साथ ही स्टाफ नर्स के 1319 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से फार्मासिस्ट के रिक्त 221 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त चिकित्सकों/स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है। आबादी के सापेक्ष चिकित्सालयों को जीवन-रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों एवं चिकित्सा उपकरण एवं अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने हेतु उपलब्ध बजट एवं संसाधनों के आधार पर उपकरण एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रहे निमोनिया के प्रकोप से बचाव के लिये, बचाव की वैक्सीन लगाने के सम्बन्ध में

53-श्री सचिन यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रहे निमोनिया के प्रकोप से बचाव के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में लगाई जा रही निमोनिया से बचाव की वैक्सीन के लगाने का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद में निमोनिया के प्रकोप से बचाव के लिये विभाग द्वारा निम्नवत् कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :-

1-एस0ए0ए0एन0एस0 (सोशल अवेयरनेस एण्ड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली) अभियान के अन्तर्गत विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवम्बर से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाता है।

2-निमोनिया के उपचार हेतु इंजेक्शन जैंटामाईसिन, सीरप एमाक्सीसिलीन व डिस्परसिबल टेबलेट एमाक्सीसिलीन दी जाती है।

3-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिये पी0सी0वी0 वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पी0सी0वी0 (न्यूमोकोकल कन्जूगैट वैक्सीन) (06, 14 सप्ताह व 09 माह पर बूस्टर डोज) दी जाती है।

निमोनिया से बचाव के लिये बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव माण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री अनिल कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव माण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को इलाज में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम माण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम माण्डला से लगभग 04 किमी0 दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलौदा, 05 किमी0 दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसेडा (तेजलहेडा) स्थित है, जिससे क्षेत्रवासियों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मानकानुसार 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है, जबकि ग्राम माण्डला की जनसंख्या 3500 है।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

लखनऊ के डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को समय से वेतन, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सुरक्षा तथा सेवा में नियमित किये जाने के सम्बन्ध में

55-श्री चन्दन चौहान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को समय से वेतन और स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सुरक्षा तथा सेवा में नियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को प्रत्येक माह जेम के माध्यम से चयनित एजेन्सी द्वारा नियमित भुगतान किया

जाता है। संस्थान में प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मी ई0एस0आई0सी0 के लाभों से आच्छादित हैं, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कर्मी एवं उसके परिवार को चिकित्सा लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, आदि प्रदान किया जाता है।

संस्थान में सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से एजेन्सी द्वारा योजित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिनांक 01-04-2021 से 21-03-2023 तक उपरोक्त योजनाओं में लाभार्थियों के सम्बन्ध में

56-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिनांक 01-04-2021 से 21-03-2023 तक उपरोक्त योजनाओं में किन लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं तथा क्या सरकार लाभार्थियों के नाम, पता, ग्राम, ब्लाक का नाम उपलब्ध कराई गई अनुदान धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (डा0 संजय निषाद)-

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में 01-04-2021 से 21-03-2023 तक लाभान्वित किये जाने वाले/किये गये लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् हैं :-

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत

(निजी भूमि पर तालाब निर्माण परियोजना चयन)

वर्ष 2022-23/क्रियान्वयन वर्ष 2023-24

क्र0-सं0	लाभार्थी का नाम व पता	विकास खण्ड का नाम	तालाब का क्षेत्रफल (हे0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मो0 यासीन पुत्र अशफाक अहमद, ग्राम खेड़ा बझेड़ा	जैतीपुर	0.480	अनुदान धनराशि वर्ष 2023-24 में दी जायेगी।
2	श्री रामदीन पुत्र दयाराम, ग्राम-कसरक	कटरा (खुदागंज)	0.280	-तदैव-

1	2	3	4	5
3	श्री नरेश चन्द्र पुत्र बाबूराम, ग्राम-शाहपुर खितौआ	कटरा (खुदागंज)	0.280	-तदैव-
4	श्री इशरार अहमद पुत्र नादिर अली, ग्राम-बझेड़ा भगवानपुर	जैतीपुर	0.500	-तदैव-
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
क्र0-सं0	लाभार्थी का नाम व पता	विकास खण्ड का नाम	तालाब का क्षेत्रफल (हे0 में)	उपलब्ध कराई गई अनुदान धनराशि रु0
1	श्री अशफाक अहमद पुत्र नादर अली, ग्राम-बझेड़ा	जैतीपुर	0.450	15300

प्रदेश में चिकित्सीय सेवाओं की भांति पोस्टमार्टम के कार्य को भी 24 घण्टे चालू रखने के सम्बन्ध में

57-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सीय सेवाओं की भांति लोगों की सुविधा हेतु पोस्टमार्टम के कार्य को भी 24 घण्टे चालू रखने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

शासनादेश दिनांक 23-11-2021 द्वारा सूर्यास्त के उपरान्त पोस्टमार्टम का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में मरीज की मृत्यु होने पर मरीज के शव को उसके घर तक पहुँचाने के लिए एक निश्चित धनराशि उसके परिजन के खाते में भेजे जाने के सम्बन्ध में

58-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में मरीज की मृत्यु होने पर मरीज के शव को उसके घर तक पहुँचाने के लिए एक निश्चित धनराशि उसके परिजन के खाते में ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में शव को ले जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शव वाहन की निःशुल्क व्यवस्था विद्यमान है।

जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

59-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद झांसी में पोस्टमार्टम हाउस स्थापित है।

प्रदेश में प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने सम्बन्धी पात्रता एवं शर्तें निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-14/2015/2853/52-3-2014-सा (8)/2012, दिनांक 27 फरवरी, 2015 को शासनादेश संख्या-6/2022/795/52-3-2022-3099/84/2022, दिनांक 30 मई, 2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रदेश में मदरसा छात्रों को एनसीईआरटी की किताबें खरीदने के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खाते में पैसा भेजे जाने के विवरण के सम्बन्ध में

61-श्री शहज़िल इस्लाम अंसारी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मदरसा छात्रों को एनसीईआरटी की किताबें खरीदने के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खाते में पैसा भेजे जाने की योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 28-02-2023 तक उक्त हेतु भेजी गई धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त राज्यानुदानित मदरसों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।

जनपद शामली के कैराना में कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल नामांकित बच्चे एवं दिये जा रहे खाद्यान्न, पौष्टिक आहार आदि के सम्बन्ध में

62-श्री नाहिद हसन-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं तथा वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों में सरकार द्वारा कौन-कौन से खाद्यान्न, फल, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जा रहा है एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल कितने बच्चों का नामांकरण किया गया है ? क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रवार उपलब्ध कराई गई सुविधाएं तथा बच्चों के नामांकन आदि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 391 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

आँगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड गेहूँ दलिया, चना दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल व फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के कुल 36,802 बच्चे पंजीकृत हैं।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र में आँगनबाड़ी केन्द्रवार लाभार्थियों की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में 100 वर्ष पूर्व खोले गये चिकित्सा केन्द्रों की संख्या एवं उसके जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

63-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में ऐसे कितने चिकित्सा केन्द्र हैं, जो 100 वर्ष पूर्व खोले गये थे ? क्या सरकार उक्त अस्पतालों का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद रायबरेली में 100 वर्ष पूर्व निर्मित राजकीय महिला चिकित्सालय पाहो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेजगांव हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में स्थित पौहारी महाराज की कुटी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकास के सम्बन्ध में

64-श्री सुरेन्द्र चौरसिया

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में स्थित पौहारी महाराज की कुटी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से सुविधाएं नहीं होने से आने वाले आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल का पर्यटन विकास का कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

स्थल पर आगमन करने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु स्थल पर पर्यटन सम्बन्धी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

जनपद देवरिया के तहसील सदर के ग्राम पैकोली महाराज में स्थित श्री राजराजेश्वर पवहारी महाराज की कुटी का पर्यटन विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 64.37 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार

लागू नहीं।

प्रदेश में फैक्ट्रियों में भूसे के अनियन्त्रित प्रयोग पर रोक लगाकर पशु पालकों को उचित दाम में भूसा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

65-श्री चन्दन चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फैक्ट्रियों में भूसे के अनियन्त्रित प्रयोग के कारण पशुओं के चारे व भूसे का दाम दोगुने होने से दुग्ध उत्पादक किसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूसे के अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाकर पशु पालकों को उचित दाम में भूसा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पशुओं में ब्रूसलोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु पशुओं का टीकाकरण एवं टीकाकरण का जनपदवार विवरण के सम्बन्ध में

66-श्री चन्दन चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुओं में ब्रूसलोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु सरकार ने पशुओं का टीकाकरण कराया है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में कितने-कितने टीकाकरण हुए हैं और कितने जनपदों में टीकाकरण नहीं हुए हैं ? क्या सरकार उक्त जनपदों में टीकाकरण पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

ब्रूसलोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 7033313 खुराक टीकाकरण कराया जा चुका है। जनपदवार टीकाकरण का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	जनपद	टीकाकरण
1	सम्भल	113867
2	अमेठी	89720
3	शामली	53530
4	बागपत	67190
5	वाराणसी	80420
6	बुलन्दशहर	152980
7	गाजीपुर	124580
8	चित्रकूट	69211
9	शाहजहांपुर	113900
10	फिरोजाबाद	105090
11	कन्नौज	84670
12	सीतापुर	170200

क्रम	जनपद	टीकाकरण
13	बलरामपुर	53240
14	फर्रुखाबाद	79840
15	बहराइच	101570
16	ललितपुर	9400
17	बांदा	84860
18	हमीरपुर	63760
19	बदायूं	171828
20	कासगंज	84870
21	आजमगढ़	136910
22	जौनपुर	146543
23	कौशाम्बी	81090
24	औरैया	74910

क्रम	जनपद	टीकाकरण
25	एटा	101880
26	बलिया	94596
27	महोबा	39120
28	मऊ	56582
29	रामपुर	58430
30	सिद्धार्थनगर	42230
31	जालौन	88900
32	श्रावस्ती	43975
33	प्रतापगढ़	175100
34	अम्बेडकरनगर	87780
35	मुरादाबाद	72606
36	आगरा	198180
37	चन्दौली	105640
38	सहारनपुर	111920
39	बाराबंकी	103730
40	भदोही	5110
41	जी0बी0 नगर	42870
42	गोण्डा	108070
43	मैनपुरी	116200
44	मथुरा	114050
45	हरदोई	151520
46	बरेली	115030
47	फतेहपुर	87897
48	गोरखपुर	76980
49	प्रयागराज	182900
50	अयोध्या	84280

क्रम	जनपद	टीकाकरण
51	मेरठ	95780
52	सोनभद्र	71810
53	इटावा	64720
54	देवरिया	75510
55	पीलीभीत	46660
56	उन्नाव	122940
57	बिजनौर	135800
58	हापुड़	41680
59	झांसी	83634
60	अमरोहा	85515
61	कानपुर देहात	115580
62	लखीमपुर खीरी	151380
63	हाथरस	77500
64	मुजफ्फरनगर	92000
65	रायबरेली	103340
66	मिर्जापुर	103190
67	महराजगंज	37570
68	कानपुर नगर	94800
69	अलीगढ़	169620
70	बस्ती	66290
71	गाजियाबाद	38910
72	सुल्तानपुर	90617
73	संतकबीरनगर	30020
74	लखनऊ	63900
75	कुशीनगर	31596

उक्त समस्त जनपदों में टीकाकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में स्ट्रेचर एवं बेडों की संख्या को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

67-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में स्ट्रेचर एवं बेडों की कमी से मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार के0जी0एम0यू0 में बेड तथा स्ट्रेचर की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ देश एवं प्रदेश का प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहाँ 3500 से अधिक बेड तथा 350 से अधिक स्ट्रेचर गम्भीर मरीजों हेतु उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में पूरे प्रदेश से गम्भीर मरीज आते हैं अथवा सन्दर्भित किये जाते हैं, जिनको तत्काल यथावश्यक समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि पर्याप्त बेड एवं स्ट्रेचर होने के बावजूद कभी-कभी यहाँ के सभी बेड व स्ट्रेचर भर जाते हैं, फिर भी आने वाले मरीजों को यथासम्भव प्राथमिक/आवश्यक इलाज उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में चिकित्सालय में बेड एवं स्ट्रेचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल का संचालन के सम्बन्ध में

68-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल का संचालन सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

दिसम्बर, 2023

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार

69-श्री राजेन्द्र कुमार-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी नहीं।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एन0आई0सी0यू0 यूनिट नहीं है, मलिहाबाद और काकोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0आई0सी0यू0 यूनिट स्थापित करने के सम्बन्ध में

70-श्रीमती जय देवी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एन0आई0सी0यू0 यूनिट नहीं है, जिसके कारण प्रसव के बाद नवजात शिशुओं के जीवन को खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षित प्रसव तथा जच्चा-बच्चा की सुरक्षा हेतु माल, मलिहाबाद और काकोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एन0आई0सी0यू0 यूनिट स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माल, मलिहाबाद एवं काकोरी में नवजात बच्चों की जटिलताओं के प्रबन्धन हेतु New born Stabilization Unit (NBSU) क्रियाशील है। सुरक्षित प्रसव के उपरान्त नवजातों के स्वास्थ्य के समुचित प्रबन्धन हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय एवं लोक बन्धु राज नारायण चिकित्सालय में एस0एन0सी0यू0 स्थापित तथा क्रियाशील है।

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माल, मलिहाबाद तथा काकोरी में एन0आई0सी0यू0 स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल और काकोरी के ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु 100 बेड का हास्पिटल स्थापित करने के सम्बन्ध में

71-श्रीमती जय देवी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल और काकोरी के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रवासियों को समुचित

चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु सरकार 100 बेड का हास्पिटल माल, मलिहाबाद और काकोरी में स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी से टी0बी0 सह संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज लखनऊ की दूरी 20 किमी0 तथा ब्लाक माल से टी0बी0 सह संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज लखनऊ की दूरी 28 किमी0 पर स्थित है, सबसे नजदीक शहरी चिकित्सालय है।

विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद और काकोरी में 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से संचालित है तथा विकास खण्ड मलिहाबाद में 30 शैय्यायुक्त मैटरनिटी विंग एवं विकास खण्ड काकोरी में 50 शैय्यायुक्त मैटरनिटी विंग निर्मित है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस को चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिल रहा है।

वर्तमान में शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में आम जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिये पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

72-श्रीमती जय देवी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में अधिकांश गरीब पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं जिससे इस योजना का लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य सतत् रूप से चल रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक प्रदेश में 2.92 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। जनपद लखनऊ में अब तक कुल पात्र परिवारों के सापेक्ष 49.10 प्रतिशत परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल और काकोरी में पशुओं के इलाज हेतु चिकित्सालय में दवाओं की सूची बोर्ड पर चस्पा करने के सम्बन्ध में

73-श्रीमती जय देवी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल और काकोरी में पशुओं के इलाज हेतु चिकित्सालय में दवाओं की सूची प्रति पशु चिकित्सा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल और काकोरी में संचालित पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध औषधियों तथा अन्य पशु चिकित्सा से सम्बन्धित रसायनों की सूची पशु चिकित्सालय प्रांगण के नोटिस बोर्ड पर नियमित रूप से चस्पा/अंकित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद और काकोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों पर डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ एवं समुचित दवाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में

74-श्रीमती जय देवी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल मलिहाबाद और काकोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों पर डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तथा सफाई कर्मियों की तैनाती सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर समुचित दवाओं की उपलब्धता तथा उपलब्ध दवा का चार्ट बोर्ड उक्त केन्द्रों पर सरकार लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल मलिहाबाद और काकोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद, काकोरी, माल लखनऊ एवं अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित/संविदा चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। इन सभी चिकित्सालयों में ई0डी0एल0 सूची के

सापेक्ष अधिकांश दवायें उपलब्ध हैं तथा इनके अन्तर्गत संचालित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगे ई0डी0एल0 दवाओं के बोर्ड पर प्रतिदिन उपलब्ध दवाओं को अद्यतन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन समितियों की संख्या के सम्बन्ध में

75-श्री जगदीश नारायण-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में दुग्ध उत्पादन समितियां कितनी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में वर्तमान में दुग्ध सहकारिता के अन्तर्गत 7028 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

जी हां। (सूची संलग्न† है)।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौशालाओं को खोले जाने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई नीति एवं कुल संचालित गौशालाओं के सम्बन्ध में

76-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौशालाओं को खोले जाने हेतु कोई नीति सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश में कितनी गौशालाएं संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में अब तक 282 स्थायी गौ-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

प्रदेश में दिनांक 06-07-2023 तक 6063 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल, 220 कान्हा गौशाला, 307 कांजी हाउस तथा 282 गौ-संरक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिनमें निराश्रित गौवंश संरक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गई।

प्रदेश में गौशालाओं में प्रत्येक पशु के आहार के लिए निर्धारित धनराशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में

77-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गौशालाओं में प्रत्येक पशु के आहार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ? क्या सरकार पशुओं के आहार हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में विद्यमान व्यवस्थानुसार अस्थायी गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्रोतों से की जाती है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रु0 30 प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

जी नहीं।

पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1347/33-3-2022, दिनांक 03-08-2022 द्वारा गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण हेतु विद्यमान गैप की प्रतिपूर्ति राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पूलिंग कराकर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विगत 13 वर्षों से अधिक समय से महिलाओं के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में

78-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विगत 13 वर्षों से अधिक समय से महिलाओं के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार समय-समय पर रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

आँगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु चयन की कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में 320 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर चयन करते हुए नियुक्ति पत्र दिनांक 19-07-2023 को निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में परियोजना अधिकारी के 450 से अधिक पदों के रिक्त होने के कारण रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध मे

79-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में परियोजना अधिकारी के 450 से अधिक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

जी हाँ।

मुख्य सेविका के पद से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। तत्क्रम में मुख्य सेविका पद से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अधियाचन निदेशालय पत्र दिनांक 11-03-2022 द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में माँ मदनपुर दिव्य स्थान का पर्यटन की दृष्टि से विकास कराये जाने के सम्बन्ध में

80-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में माँ मदनपुर दिव्य स्थान का पर्यटन की दृष्टि से सरकार विकास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में माँ मदनपुर दिव्य स्थान/स्थल पर आगन्तुक पर्यटकों/श्रृद्धालुओं की सुविधा हेतु उ0प्र0 पर्यटन विभाग की जिला योजना 2017-18 के अन्तर्गत टॉयलेट ब्लॉक की सुविधा एवं हाई मास्ट लाइट स्थापना सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं।

कार्य पूर्ण।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में नारायणी नदी पनियहवा ब्रिज के पास बोटिंग व जलपान परियोजना के सम्बन्ध में

81-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में नारायणी नदी पनियहवा ब्रिज के पास बोटिंग व जलपान परियोजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

वर्तमान में जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में नारायणी नदी पनियहवा ब्रिज के पास बोटिंग व जलपान परियोजना से सम्बन्धित कोई भी परियोजना पर्यटन विभाग में प्रचलित नहीं है। उ0प्र0 पर्यटन नीति-2022 में जलाशय/झील/नदी क्रूज पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन एवं संचालन हेतु निजी निवेशकों के प्रस्ताव पर अनुमन्य लाभ दिये जाने का प्राविधान है, जिसके क्रम में भविष्य में यदि किसी निजी उद्यमी/निवेशक से उ0प्र0 पर्यटन नीति-2022 के अन्तर्गत विभाग को उपरोक्त सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उसे पर्यटन नीति के अनुमन्य लाभ प्रदान करते हुए संचालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

जनपद कौशाम्बी में सी0एम0ओ0 की तैनाती नियम विरुद्ध तरीके से करने एवं तैनाती में वार्षिक स्थानान्तरण नीति एवं उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

82-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौशाम्बी जिले में सी0एम0ओ0 की तैनाती नियम विरुद्ध तरीके से क्यों की गई ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि सी0एम0ओ0 की तैनाती में वार्षिक स्थानान्तरण नीति की धज्जियां क्यों उड़ाई गई ? क्या सरकार उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद कौशाम्बी में मुख्य चिकित्साधिकारी की तैनाती नियम विरुद्ध तरीके से नहीं की गयी है। डा0 सुष्पेन्द्र कुमार (व0क्र0-9982), अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-72/2022/1627/सेक-2-पांच-2022-आर-779/2022, दिनांक 30-06-2022 (क्रमांक-26) द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी के पद पर तैनात किया गया है, जो नियमानुसार है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बलिया में जर्जर हो रहे धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में

83-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में जर्जर हो रहे धर्म स्थलों के पुनरुद्धार की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जर्जर हो रहे धर्म स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य नहीं कराया जाता है, अपितु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 12 पर्यटन सर्किट (परिपथ) के अन्तर्गत आने वाले स्थलों एवं ऐसे स्थल जहां पर भारी संख्या में पर्यटकों/श्रद्धालुओं का आगमन होता हो, वहाँ पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं को, विभागीय आय-व्ययक के योजना मद में उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार स्थल पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में

84-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में सी0टी0 स्कैन कराये जाने की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में सी0टी0 स्कैन की स्थापना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के जिला चिकित्सालय में पी0पी0पी0 मोड द्वारा सी0टी0 स्कैन यूनिट संचालित है, जिसके द्वारा निःशुल्क सी0टी0 स्कैन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के गौवंश आश्रय केन्द्र पर गौवंश को भुखमरी से बचाने के लिये ग्राम पंचायत और विकास खण्ड स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करने के सम्बन्ध में

85-श्रीमती जय देवी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के गौवंश आश्रय केंद्र पर गौवंश के लिए चारा के लिए प्रति गौवंश के हिसाब से वर्तमान में कितना व्यय हो रहा है ? क्या सरकार ने गौवंशों को भुखमरी से बचाने के लिए विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड मलिहाबाद में 09, विकास खण्ड माल में 07 तथा विकास खण्ड काकोरी में 07, कुल 25 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल संचालित है। उक्त गौ-आश्रय स्थलों में 3460 गौवंश संरक्षित है। शासनादेश संख्या-4324/ सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में विद्यमान व्यवस्थानुसार अस्थायी गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्रोतों से की जाती है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रु0 30 प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1347/33-3-2022, दिनांक 03-08-2022 द्वारा गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण हेतु विद्यमान गैप की प्रतिपूर्ति राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पूलिंग कराकर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जी हां।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 के प्रस्तर-3.8.2 में अस्थायी गौ-आश्रय स्थलों में चारा उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम विकास/पंचायती राज/नगर विकास विभाग से सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी व नगर आयुक्त को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नई 2-डी इको मशीन, कैथलैब, टी0एम0टी0 मशीन खरीदे जाने हेतु धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नई 2-डी इको मशीन, कैथलैब, टी0एम0टी0 मशीन खरीदे जाने हेतु रु0 3892500 (तीन करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार) की धनराशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की धनराशि स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति में विलम्ब कराने में दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें दंडित करने तथा प्रेषित प्रस्ताव की धनराशि स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नई 2-डी ईको मशीन, कैथलैब, टी0एम0टी0 मशीन खरीदे जाने हेतु रुपये 3,89,25,000/- (तीन करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि शासनादेश दिनांक 16-12-2022 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ में कैंसर रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

87-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ में कैंसर रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त लम्बित प्रस्तावों को निस्तारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान लखनऊ में कैंसर रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संस्थान स्तर से की जा रही है एवं शासन स्तर से संस्थान को पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। इससे सम्बन्धित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2021 तक आवंटित धनराशि के फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में

88-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव (मेन्टीनेन्स) तथा अन्य मदों में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष किन-किन मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि तत्कालीन अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर बाराबंकी द्वारा रख-रखाव का कार्य कराये बिना ही धनराशि का फर्जी भुगतान करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर में मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव (मेन्टीनेन्स) आदि में कोई भी बजट आवंटित नहीं किया गया है तथा उक्त समयावधि में एन0आर0एच0एम0/एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर को आवंटित की गयी धनराशि व उनके व्यय के मद का विवरण की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के तहत 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक सुरक्षित प्रसव तथा उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी और आशा बहुओं को मिलने वाले धन के सम्बन्ध में

89-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में एनआर0एच0एम0 के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के तहत 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक कुल

नोट :-† देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-202-203 पर।

कितने सुरक्षित प्रसव कराये गये तथा उक्त योजनान्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि लाभार्थी तथा आशा बहू/आशा संगिनी के बैंक खाते में अथवा नकद प्रदान की गई ? क्या सरकार लाभार्थी तथा आशा बहू/आशा संगिनी का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जनपद बाराबंकी में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना में 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक कुल 52,835 (शहरी प्रसव 2154 तथा ग्रामीण प्रसव 50681) सुरक्षित प्रसव कराये गये हैं।

उक्त योजनान्तर्गत भुगतान लाभार्थी 50637 (शहरी प्रसव 1806 तथा ग्रामीण प्रसव 48561) कुल रु0 6,97,91,400/-(शहरी प्रसव रु0 18,06,000/- तथा ग्रामीण प्रसव रु0 6,79,85,400/-) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में तथा रु0 2,71,61,400/- की धनराशि आशा बहू/आशा संगिनी के बैंक खाते में भुगतान किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कुल ऑक्सीजन प्लान्ट एवं उनकी क्षमता तथा बचे हुए शेष चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

90-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना की गयी है तथा उनकी क्षमता कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध कराते हुए शेष जिला चिकित्सालयों में भी ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ ।

वर्तमान में प्रदेश के कुल 74 जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लान्ट स्थापित हैं तथा उनकी क्षमता 115 एल0पी0एम0 से 3000 एल0पी0एम0 के बीच है।

प्रदेश के कुल 74 जिला चिकित्सालयों में स्थापित आक्सीजन प्लान्ट का विवरण संलग्न है व वर्तमान में शेष जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संस्थागत प्रसव हेतु आशा भुगतान प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत लाभार्थी भुगतान किये जाने की प्राथमिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में

91-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्थागत प्रसव हेतु आशा भुगतान प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने की प्राथमिक प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रमाण-पत्र किस अधिकारी/ कर्मचारी के पास सुरक्षित रखा जाता है तथा उक्त प्रमाण-पत्र भुगतान हेतु लाभार्थी के प्रसव के उपरान्त किसके द्वारा भुगतान हेतु किस अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

संस्थागत प्रसव हेतु आशा भुगतान प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत लाभार्थी के भुगतान का कोई प्राविधान नहीं है, परन्तु जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् है :-

राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों पर संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थी के भुगतान के लिए जे0एस0वाई0 प्रपत्र गर्भवती के चिकित्सालय में आने के समय ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स द्वारा भरा जाता है साथ ही प्रपत्र पर साथ में आने वाली आशा का नाम भी अंकित किया जाता है। तत्पश्चात् प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित जे0एस0वाई0 प्रपत्र लिपिक/प्रभारी (लिपिक) एन0एच0एम0 के द्वारा जमा किया जाता है। तदोपरान्त लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 रजिस्टर में लेखा किया जाता है एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक (बी0एम0एम0) द्वारा पी0एफ0एम0एस0 जनरेट किया जाता है तथा लाभार्थी का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाता है।

जे0एस0वाई0 प्रपत्र भुगतान के उपरान्त लिपिक/प्रभारी (लिपिक) एन0एच0एम0 अथवा ब्लाक लेखा प्रबन्धक (बी0एम0एम0) के पास सुरक्षित रखा जाता है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित जे0एस0वाई0 प्रपत्र भुगतान हेतु लिपिक/प्रभारी (लिपिक) एन0एच0एम0 अथवा ब्लाक लेखा प्रबन्धक (बी0एम0एम0) को अग्रसारित करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों तथा नगर पंचायतों में अन्ना जानवर पकड़ने हेतु दिये गये वाहनों के विवरण के सम्बन्ध में

92-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों तथा नगर पंचायतों में अन्ना जानवर पकड़ने हेतु वाहन दिए गए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या-1251/सैंतीस-2-2022-5 (53)/18टी0सी0-2बी, दिनांक 15-07-2022 द्वारा निराश्रित गौवंश/दुर्घटनाग्रस्त बड़े पशुओं के परिवहन हेतु कैटिल कैचर/मल्टी परपज व्हीकिल की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों में 320 कैटिल कैचर तथा नगर निकायों में 280 कैटिल कैचर उपलब्ध कराये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना सादाबाद, जनपद हाथरस में धांधली तथा भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

93-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 289/23, दिनांक 28-01-23 जो बाल विकास परियोजना सादाबाद, जनपद हाथरस में धांधली तथा भ्रष्टाचार की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गांव भदौला में अस्थाई रूप से संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्थाई रूप से बनवाकर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

94-श्री अनिल कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गांव भदौला में अस्थाई रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता को इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्थाई रूप से बनवाकर संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गांव भदौला में उपकेन्द्र स्थापित है एवं किराये के भवन में क्रियाशील/संचालित है। इस केन्द्र पर ए0एन0एम0 श्रीमती योगेन्द्र तथा सी0एच0ओ0 कु0 सिमरन तैनात हैं। वर्तमान में इस केन्द्र से क्षेत्रीय जनता को नियत सभी चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपकेन्द्र भदौला का राजकीय निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर व नगरा में आधुनिक उपकरण एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में

95-श्री हंसु राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर व नगरा में आधुनिक उपकरण एवं पैरा मेडिकल स्टाफ न होने के कारण मरीजों को इलाज में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर आधुनिक उपकरणों सहित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर व नगरा पर 24 घण्टे प्रसव व आपातकालीन सेवायें, पैथोलॉजी की सभी जांचें, एक्स-रे जांच, माइनर आपरेशन, परिवार कल्याण, वायरल मेकर (मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया) की सभी जांच उपलब्ध हैं।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आधुनिक उपकरणों सहित समस्त पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में निर्मित कुल गौशालाओं की संख्या एवं उनमें रखे गये गाय और सांड़ की संख्या एवं विगत दो वर्षों में उन पर व्यय किया गया धन के सम्बन्ध में

96-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कुल कितनी गौशालाओं का निर्माण किया गया है तथा उनमें कितनी गाय और सांड़ रखे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि दो विगत वर्षों में उन पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार

यह भी बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो सांड़ बाहर खुले घूम रहे हैं, के कारण दुर्घटना में लोगों को घायल कर रहे हैं, को हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद सिद्धार्थनगर में 68 गौ-आश्रय स्थल/गौ-संरक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिनमें 54 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल, 01 कांजी हाउस, 03 वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र एवं 10 कान्हा गोशाला हैं, जिनमें 8099 गौवंश संरक्षित हैं।

उक्त गौ-आश्रय स्थलों/संरक्षण केन्द्रों में संरक्षित गौ-वंशों के भरण-पोषण हेतु विगत 02 वर्षों में रु0 149472000.00 की धनराशि व्यय की गई है।

विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को सतत् रूप से संरक्षित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पतिला, थाना इटवा, ग्राम दुफेड़िया, थाना त्रिलोकपुर तथा ग्राम बौनाजोत, थाना त्रिलोकपुर में सांड़ों के हमले से मृत लोगों के परिजनों को कितनी अनुदान की राशि प्रदान की गई है, अनुदान की राशि के सम्बन्ध में

97-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पतिला, थाना इटवा, ग्राम दुफेड़िया, थाना त्रिलोकपुर तथा ग्राम बौनाजोत, थाना त्रिलोकपुर में सांड़ों के हमले से मृत लोगों के परिजनों को सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-586/एक-11-2022-4 (जी)/2015, दिनांक 13-10-2022 द्वारा सांड़ों के हमले से होने वाली जनहानि को राज्य आपदा घोषित किया गया है तथा पीड़ित परिवार को निर्धारित आपदा अनुदान देय है। जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पतिला, थाना इटवा, निवासी स्व0 सुनील कुमार चौधरी पुत्र स्व0 नरेन्द्र चौधरी की मृत्यु सांड़ के हमले से होने के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णावती को कुल 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। ग्राम दुफेड़िया के निवासी श्री लालजी उर्फ बुद्धिराम की मृत्यु के उपरान्त उनके पारिवारिक जनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं कराये जाने एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण उन्हें अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। ग्राम प्रधान बौनाजोत, थाना त्रिलोकपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि बौनाजोत में सांड़ के हमले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौ-आश्रयों में चारे की व्यवस्था की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही एवं चारे की निरन्तरता बनाये रखने के लिये समुचित प्रबन्धन के सम्बन्ध में

98-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-आश्रयों में चारे की व्यवस्था की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही किस अधिकारी की निश्चित की गयी है ? क्या यह सही है कि चारे की धनराशि समय पर न पहुँचने से भूख से जानवर मर भी जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गौ-आश्रयों में चारे की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समुचित प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 के प्रस्तर-3.8.2 में अस्थायी गौ-आश्रय स्थलों में चारा उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम विकास/पंचायती राज/नगर विकास विभाग से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय व नगर आयुक्त को दिया गया है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में बनाये गये गोल्डेन कार्ड की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

99-श्री सचिन यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोल्डेन कार्ड को बनाने के कार्य को पूरा करने की सरकार की क्या कोई तय समय-सीमा है ? यदि हाँ, तो क्या ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान तक केवल 35 प्रतिशत लोगों के ही गोल्डेन कार्ड बने हैं ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में बनाये गये गोल्डेन कार्ड की सूची विकास खण्डवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य सतत् रूप से चल रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक प्रदेश में 2.92 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र समस्त पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जायें। प्रदेश में समस्त छूटे हुये पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु विशेष अभियान के माध्यम से सतत् रूप से कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में अब तक 39.50 प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। जनपद फिरोजाबाद में विकास खण्डवार बनाये गये आयुष्मान कार्ड का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में आवारा गौवंश के लिए निर्माणाधीन 40 गौ-आश्रय को पूर्ण करने की समय-सीमा एवं गौ-आश्रय स्थलों की विकास खण्डवार व ग्रामवार सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

100-श्री सचिन यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आवारा गौवंश के लिए निर्माणाधीन 40 गौ-आश्रय स्थलों के कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार गौ-आश्रय स्थलों की विकास खण्डवार व ग्रामवार सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद में मात्र 32 गौ-आश्रय स्थलों का निर्माण कराया जाना था, जिनमें से 30 का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 02 का निर्माण कार्य आगामी 02 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

जी हाँ।

1-विकास खण्ड मदनपुर के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-मुजफ्फरपुर, ग्राम-खटुआमई, ग्राम-रूरिया एवं ग्राम-स्वरूपपुर।

2-विकास खण्ड शिकोहाबाद के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-मक्खनपुर, ग्राम-मुबारकपुरखास।

3-विकास खण्ड फिरोजाबाद के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-हमीरपुर, आकलपुर, दामोदरपुर व बसई मुहम्मदपुर।

4-विकास खण्ड हाथवन्त के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-सॉती, गढ़ौरा, शेखनपुर, कटैनाहर्षा, रीवा।

5-विकास खण्ड जसराना के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल ग्राम-नमला रामा, शादीपुर झपारा।

नोट :-† देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-204 पर।

6-विकास खण्ड एका के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-पिलख्तर फतेह, गदनपुर, नगला गोकुल, टाडा, फतेहपुरपाट, नगला गोशा।

7-विकास खण्ड नारखी के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-जामपुर, बस्थरा, सिकन्दरपुर कोटला।

8-विकास खण्ड अराँव के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थल, ग्राम-सारख, असवाई, पिडसरा, भनपुरा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के जिला अस्पताल में एम0आर0आई0 की यूनिट स्थापित करने के सम्बन्ध में

101-डॉ0 अजय कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने चिकित्सालयों में एम0आर0आई0 की सुविधाएं उपलब्ध हैं ? क्या सरकार जनपद बागपत के जिला अस्पताल में भी एम0आर0आई0 की यूनिट स्थापित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 02 जनपदों के निम्न चिकित्सालयों में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध है :-

(1) टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज।

(2) यू0एच0एम0 जिला पुरुष चिकित्सालय (उर्सला), कानपुर नगर।

जी नहीं।

एम0आर0आई0 जांच की सुविधा टर्शरी इकाई (मेडिकल कालेज)/बड़े चिकित्सालयों पर उपलब्ध है।

जनपद बागपत के छपरौली, टीकरी, बिनौली एवं बड़ौत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद एवं रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में

102-डॉ0 अजय कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली, टीकरी, बिनौली एवं बड़ौत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपरौली में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 05 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरी में 05 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली में 02 पद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौत में 05 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

शासन के पत्र दिनांक 18-11-2022 द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (ग्रेड-2) के विभिन्न विशेषज्ञता में अग्रनीत किये गये कुल 2382 पदों पर नियुक्ति/चयन किये जाने हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त संस्तुति के आधार पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा 31 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्धता व आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में मानक के विपरीत चल रहे अस्पतालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

103-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश में मानक के विपरीत चल रहे अस्पतालों को सरकार ने चिन्हित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिन्हित अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा समय-समय पर जिले में भ्रमण कर मानक के विपरीत चल रहे अस्पतालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी जिला अस्पतालों में एक्स-रे मशीन एवं उक्त से सम्बन्धित सभी उपकरण का विवरण एवं जिन अस्पतालों में सुविधा नहीं उन अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

104-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी जिला अस्पतालों में एक्स-रे मशीन एवं उक्त से सम्बन्धित सभी उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिन अस्पतालों में उक्त सुविधा नहीं है, उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन तथा सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध हैं।

सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गत एक वर्ष में निर्मित गौशालाओं की संख्या एवं पूर्ण रूप से संचालित गौशालाओं की संख्या के विवरण के सम्बन्ध में

105-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत एक वर्ष में कितनी गौशालाओं का निर्माण किया है एवं निर्मित गौशालाओं में से कितनी पूर्ण रूप से संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 188 अस्थायी गौ-आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

जनपद आगरा में 03, अलीगढ़ में 04, अम्बेडकरनगर में 02, अमेठी में 03, अमरोहा में 01, औरैया में 04, अयोध्या में 02, आजमगढ़ में 04, बागपत में 01, बहराइच में 03, बलिया में 01, बलरामपुर में 01, बाँदा में 01, बाराबंकी में 04, बरेली में 03, बस्ती में 02, भदोही में 01, बिजनौर में 02, बदायूं में 03, बुलन्दशहर में 03, चन्दौली में 02, चित्रकूट में 04, देवरिया में 01, एटा में 04, इटावा में 03, फर्रुखाबाद में 02, फतेहपुर में 03, फिरोजाबाद में 02, गाजियाबाद में 03, गाजीपुर में 04, गोण्डा में 03, गोरखपुर में 02, हमीरपुर में 03, हापुड़ में 03, हरदोई में 02, हाथरस में 01, जालौन में 03, जौनपुर में 03, झाँसी में 04, कन्नौज में 02, कानपुर देहात में 02, कानपुर नगर में 02, कासगंज में 03, कौशाम्बी में 02, लखीमपुर खीरी में 06, ललितपुर में 05, लखनऊ में 03, महाराजगंज में 04, महोबा में 03, मथुरा में 03, मऊ में 04, मेरठ में 03, मिर्जापुर में 03, मुरादाबाद में 02, मुजफ्फरनगर में 02, जी0बी0नगर में 02, पीलीभीत में 03, प्रतापगढ़ में 02, प्रयागराज में 02, रायबरेली में 02, रामपुर में 01, सहारनपुर में 02, सम्भल में 02, सन्तकबीरनगर में 02, शाहजहाँपुर में 02, शामली में 02, श्रावस्ती में 02, सिद्धार्थनगर में 01, सीतापुर में 05, सोनभद्र में 01, सुल्तानपुर में 01, उन्नाव में 02 तथा वाराणसी में 03 गौ-आश्रय स्थल।

---

† छापी नहीं गई।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक आयुष्मान योजनान्तर्गत कुल बनाये गये आयुष्मान कार्ड तथा शेष बचे कार्ड का विवरण एवं शेष बचे लोगों के कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

106-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक आयुष्मान योजनान्तर्गत कुल कितने आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं तथा कितने बनाये जाने शेष हैं ? क्या सरकार शेष आयुष्मान कार्ड बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 59,01,553 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये तथा 4,51,41,835 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना शेष था।

जी हाँ। आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य अबाध्य रूप से गतिमान है।

यह एक सतत् प्रक्रिया है एवं समय-समय पर जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर कैम्प लगाकर कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में समस्त जिला अस्पतालों व सी0एच0सी0 में डायलिसिस, हड्डी रोग विशेषज्ञों, महिला चिकित्सकों के नये पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

107-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में समस्त जिला अस्पतालों व सी0एच0सी0 में डायलिसिस, हड्डी रोग विशेषज्ञों, महिला चिकित्सकों के कितने नए पदों पर नियुक्ति हुई है ? क्या उक्त सभी में सम्बन्धित रोगों के डॉक्टर्स के रिक्त पद पूरे किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में डायलिसिस चिकित्सक का कोई पद नहीं है। वर्ष 2022-23 में समस्त जिला अस्पतालों व सी0एच0सी0 पर 09 हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं 111 महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा की जाती है। चिकित्साधिकारियों के 2382 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को जोड़ों में दर्द, हाथों में सुन्नापन आदि के बढ़ते मामले के निदान हेतु किए गए प्रयासों के विवरण के सम्बन्ध में

108-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को जोड़ों में दर्द, हाथों में सुन्नापन आदि के बढ़ते मामले के निदान हेतु किए गए प्रयासों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वृद्ध महिलाओं को जोड़ों में दर्द, हाथों में सुन्नापन के निदान हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली (एन0पी0एच0सी0ई0) कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं को निम्नलिखित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है :-

1-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

2-वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं की नियमित रूप से आँख, रक्तचाप, रक्त शर्करा तथा जोड़ों में दर्द इत्यादि से सम्बन्धित समस्त चिकित्सीय परीक्षण एवं जाँच कराना।

3-गांवों में कैम्प एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं के स्वास्थ्य उत्थान, रोकथाम एवं उपचार सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना।

4-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फिजियोथेरेपी एवं परामर्श हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।

5-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं के लिए चिकित्सालय चलाना।

6-गम्भीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय एवं उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजना।

7-जिला चिकित्सालय में नियमित रूप से वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं के लिए वाह्य रोगी सेवा केन्द्र चलाना।

8-जिला चिकित्सालय पर वृद्ध पुरुष एवं महिला अन्तःरोगियों के लिए 10 शैय्या वाले वार्ड चलाना।

9-जिला चिकित्सालय पर उपलब्ध अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसके अन्तर्गत अन्य रोगों के साथ-साथ जोड़ों के दर्द व सुन्नापन भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ब्लाक लालगंज में ग्राम चाँदा व बन्नामऊ में बड़ा गौशाला स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

109-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ब्लाक लालगंज में ग्राम चाँदा व बन्नामऊ में बड़ा गौशाला स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

विकास खण्ड-लालगंज के चाँदा में कान्हा गौशाला का निर्माण नगर पालिका लालगंज द्वारा कराया जा रहा है तथा ग्राम-बन्नावा में वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलरियागंज में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितना सिजेरियन आपरेशन किया गया तथा कितने मरीज को अन्यत्र रेफर किया गया, उक्त के विवरण के सम्बन्ध में

110-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलरियागंज पर स्त्री रोग विशेषज्ञ निश्चेतक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितना सिजेरियन ऑपरेशन किया गया तथा कितने मरीज को अन्यत्र रेफर किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलरियागंज, आजमगढ़ पर डा0 विनोद कुमार यादव (स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन), डा0 बृजेश कुमार (निश्चेतक) तैनात हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलरियागंज, आजमगढ़ द्वारा वर्ष 2021-22 में कुल सामान्य प्रसव-2065, कुल सिजेरियन प्रसव-21, कुल रेफरल केस 23 व वर्ष 2022-23 में कुल सामान्य प्रसव-1816, कुल सिजेरियन प्रसव-07, कुल रेफरल केस-26 है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज व महराजगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-22 में व्यय और प्राप्त धनराशि तथा 2022-23 में आवंटित धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में

111-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज व महराजगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-22 में कितनी धनराशि प्राप्त और व्यय हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी धनराशि उक्त अस्पताल हेतु आवंटित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज व महराजगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव हेतु वर्ष 2019-20 व वर्ष 2020-21 में कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है तथा वर्ष, 2021-22 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलरियागंज हेतु रुपये 15,15,000.00/- व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महराजगंज हेतु रुपये 1,70,000.00/- का बजट आवंटन किया गया था, जो व्यय हो चुका है।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2022-23 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में गम्भीर रोग के इलाज की सुविधायें एवं चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

112-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में गम्भीर रोग जैसे किडनी, कैंसर, न्यूरो बीमारियों के इलाज की सुविधा एवं

चिकित्सक उपलब्ध न होने से रोगियों को दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में उक्त रोगों के इलाज हेतु सुविधाएं एवं चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आवश्यकतानुसार।

जनहित में मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में आने वाले गम्भीर रोगों से ग्रसित मरीजों को जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, आब्स एण्ड गायनी एवं आर्थोपेडिक्स विभाग आदि में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षकगण से समुचित उपचार किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सुपरवाइजर के वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

113-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सुपरवाइजर के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका (सुपरवाइजर) के वर्तमान में कुल 4068 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

आँगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 320 आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों से मुख्य सेविका के पद पर चयन कर दिनांक 19-07-2023 को नियुक्ति-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

मुख्य सेविका के सीधी भर्ती के पद पर चयन के सम्बन्ध में कुल 2693 पदों का अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उक्त भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या-05-परीक्षा/2022, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/05 के अन्तर्गत मुख्य सेविका के उक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आयुष विभाग में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पृथक-पृथक पदोन्नति हेतु कुल रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में

114-श्री विनोद सरोज-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुष विभाग में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पृथक-पृथक पदोन्नति हेतु कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद/ यूनानी/होम्योपैथी विभाग संचालित है, जिसमें से आयुर्वेद विभाग में पदोन्नति हेतु अपर निदेशक के स्वीकृत/ सृजित 01 पद के सापेक्ष 01 पद रिक्त है। आयुर्वेद विभाग में पदोन्नति हेतु प्रश्न में उल्लिखित अन्य पद सृजित नहीं हैं।

यूनानी विभाग के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अपर निदेशक का 01 पद सृजित है, जो कि वर्तमान में रिक्त है। यूनानी विभाग में पदोन्नति हेतु प्रश्न में उल्लिखित अन्य पद सृजित नहीं हैं।

होम्योपैथी विभाग के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अपर निदेशक का 01 पद, संयुक्त निदेशक के 02 पद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के 05 पद तथा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 238 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के समूह 'क' और 'ख' के कितने अधिकारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की पात्रता श्रेणी के सम्बन्ध में

115-श्री विनोद सरोज-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के समूह 'क' और 'ख' के कितने अधिकारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की पात्रता श्रेणी में हैं ? क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पात्र श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को लाभ प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथी विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के लगभग 497 अधिकारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की पात्रता सूची में आ चुके हैं।

उक्त प्रयोजन हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 01 मई, 2023 को बैठक आहूत की जा चुकी है, जिसमें 392 अधिकारियों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है और शेष लगभग 105 अधिकारियों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु जनपदों से सूचनाएं प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में

116-श्री विनोद सरोज-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थाईकरण के विषय में पत्र सं0-706/96-आयुष-2-2022-48/2015, दिनांक 10 मई, 2022 पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

उल्लेखनीय है कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में महासचिव, प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या-15-04-2023 द्वारा माँग की गयी। उक्त के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-706/96-आयुष-2-2022-48/2015, दिनांक 10 मई, 2022 के क्रम में निदेशक, होम्योपैथी द्वारा चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण का प्रस्ताव (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि विवरण सहित) शासन को उपलब्ध कराया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एलोपैथी चिकित्सकों की भांति होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में

117-श्री विनोद सरोज-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एलोपैथी चिकित्सकों की भांति होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक श्री आर0 एन0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 के पत्र

दिनांक 09-08-2019 तथा 30-08-2019 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

प्रदेश में एलोपैथी चिकित्सकों की भांति होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक श्री आर0 एन0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 09-08-2019 तथा 30-08-2019 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन विस्तार के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटक स्थल मां शीतला धाम रामनगर, बाबा महराज, परानीपुर, साईं मंदिर कृपा धाम आदि मन्दिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के साथ पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में

118-श्री संदीप सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन विस्तार के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटक स्थल मां शीतला धाम रामनगर, बाबा महराज, परानीपुर, साईं मंदिर कृपा धाम, नहवाई, शंकर जी का मन्दिर, मेजा पहाड़ी आदि मन्दिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराते हुए उक्त को पर्यटक स्थल घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर/किसी धार्मिक भवन आदि के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है, अपितु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 12 पर्यटन सर्किट (परिपथ) के अन्तर्गत आने वाले स्थलों एवं ऐसे स्थल जहां पर भारी संख्या में पर्यटकों/श्रद्धालुओं का आगमन होता हो, वहाँ पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं को विभागीय आय-व्ययक के योजना मद में उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार स्थल पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पश्चिम में स्थित सन्दोहन देवी मन्दिर, चौक प्राचीन मन्दिर रमना लालाबाग, दुबग्गा टड़ियन मन्दिर, ई-ब्लाक, राजाजीपुरम् व बुद्धेश्वर मन्दिर के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

119-श्री अरमान खान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राचीन सन्दोहन देवी मन्दिर, चौक (चौपटियां), प्राचीन मन्दिर रमना लालाबाग, दुबग्गा (लखनऊ), टड़ियन मन्दिर, ई-ब्लाक, राजाजीपुरम् व बुद्धेश्वर मन्दिर परिसर के शिव मन्दिर का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मन्दिर/किसी धार्मिक भवन आदि के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है, अपितु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 12 पर्यटन सर्किट (परिपथ) के अन्तर्गत आने वाले स्थलों एवं ऐसे स्थल जहां पर भारी संख्या में पर्यटकों/श्रद्धालुओं का आगमन होता हो, वहाँ पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं को विभागीय आय-व्ययक के योजना मद में उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार स्थल पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राचीन सन्दोहन देवी मन्दिर, चौक (चौपटियां), प्राचीन मन्दिर रमना लालाबाग, दुबग्गा (लखनऊ), टडियन मन्दिर, ई ब्लाक, राजाजीपुरम स्थलों पर कोई परियोजना पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में विचाराधीन नहीं है तथा जनपद लखनऊ में श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रु0 347.68 लाख जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की धनराशि से परियोजना स्वीकृत है।

जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन पचेंवार हास्पिटल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

120-श्री जगदीश नारायण-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन पचेंवार हास्पिटल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त को समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जनपद जौनपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पचेंवार नामक कोई चिकित्सालय स्थापित नहीं है, बल्कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पचेंवरा के नाम से चिकित्सालय

किराये के भवन में संचालित है। उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, जौनपुर के प्रस्ताव के क्रम में उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण व कन्टीजेन्सी मद में रु0 30,15,000/- (रु0 तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निदेशालय स्तर से प्रेषित प्रस्तावों को मिशन कार्यालय द्वारा संकलित कर राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हुए उस पर भारत सरकार से अनुमोदन एवं वांछित धनराशि प्राप्त करते हुए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 शाषी निकाय के अनुमोदनोपरान्त आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जर्जर एवं बन्द प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सर्वे कराकर नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में

121-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ऐसे भवन जो जर्जर एवं बन्द हैं, का सर्वे कराकर सरकार नवीनीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

समय-समय पर चिकित्सालयों का निरीक्षण करते हुये लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जर्जर चिकित्सालयों का चिन्हीकरण कर उनके ध्वस्तीकरण/पुनर्निर्माण की कार्यवाही एवं सर्वे के अनुसार जो भवन मरम्मत योग्य हैं, उनकी मरम्मत की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चयनित जनपदों के विवरण के सम्बन्ध में

122-श्री जगदीश नारायण-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किन-किन जनपदों का चयन किया गया है ? क्या सस्कार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित जनपदों का चयन कर पर्यटन विकास कराए जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 12 पर्यटन सर्किट (परिपथ) के अन्तर्गत आने वाले स्थलों एवं ऐसे स्थल जहां पर भारी संख्या में पर्यटकों/श्रद्धालुओं का आगमन होता हो, वहाँ पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं को विभागीय आय-व्ययक के योजना मद में उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार स्थल पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत पूर्वी उ0प्र0 में स्थित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल भी सम्मिलित है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के भीमपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ 100 बेड का चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

123-श्री हंसु राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के भीमपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के भीमपुरा की कुल जनसंख्या 11000 है। भीमपुरा से 1.5 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्दौली मलकौरी, 05 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालीपुर, 10 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डवा व 10 किमी0 की दूरी पर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरा स्थित है, जिससे क्षेत्रवासियों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कुल सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में

124-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं तथा उक्त केन्द्रों

पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनबरसा, सोनवानी, बसुधरपाह व जयप्रकाश नगर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा, मुरली छपरा, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुबे छपरा, श्रीनगर, नौरंगा, कर्ण छपरा, लालगंज, शिवनराय का टोला, गंगापुर, बेलहरी, जवही, बसुधरपाह स्थापित हैं तथा उक्त केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात कर्मचारियों के विवरण की सूची संलग्न† है।

उपलब्धता के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में

125-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सन्दर्भ आई0जी0आर0एस0 सं0-18150220160970 जो जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में बनाये गये हेल्थ वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्यों में अधोमानक सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन आई0ई0टी0 (अभियान्त्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान) लखनऊ को सौंपा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-205-209 पर।

प्रदेश में कुल पशु अस्पतालों की संख्या एवं पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नये पशु अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय स्थित हैं ? क्या सरकार पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नये पशु चिकित्सालय बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में कुल 2202 पशु चिकित्सालय स्थापित हैं, जो वर्तमान में क्रियाशील हैं।

जी हां।

विभागीय मानकों के अनुरूप तत्समय उपलब्ध बजट के सापेक्ष पशु चिकित्सालय बनाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा नजीबाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ट्रामा सेन्टर के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में

127-श्री तसलीम अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा नजीबाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ट्रामा सेन्टर के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा नजीबाबाद से 44 किमी0 की दूरी पर स्थित धामपुर में ट्रामा सेन्टर संचालित है। मानकानुसार 02 ट्रामा सेन्टरों के बीच की दूरी 100 किमी0 होनी चाहिये।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में ग्राम सभा धामूपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

128-श्री बेदी-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जखनियां विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा धामूपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क का सुन्दरीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

स्वतंत्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारकों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत यथाशीघ्र निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका लोनी के 50 शैय्या के संयुक्त चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

129-श्री मदन भैया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका लोनी के 50 शैय्या के संयुक्त चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन चालू न होने के कारण मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका लोनी के 50 शैय्या के संयुक्त चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2022 तक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण और धन आवंटन के विवरण के सम्बन्ध में

130-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कुल कितने हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण मार्च, 2016 से

दिसम्बर, 2022 तक किया गया है तथा वर्तमान में कुल कितने हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित है तथा इनके निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण कराने में कितनी धनराशि व्यय कर ली गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बाराबंकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 185 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के सापेक्ष 180 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित हैं। इनके निर्माण में कुल रु0 10,55,51,000/- (रुपये दस करोड पचपन लाख इक्यावन हजार मात्र) धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष कुल रु0 10,27,11,000/- (रुपये दस करोड सत्ताइस लाख ग्यारह हजार मात्र) का व्यय हुआ है।

विवरण की 05 प्रति मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के पटल कार्यालय में अवलोकनार्थ रक्षित है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद जौनपुर में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2023 तक चयन का लक्ष्य, लक्ष्य के अनुरूप कुल कितना चयन और कितना चयन शेष, उक्त के विवरण के सम्बन्ध में

131-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के चयन का लक्ष्य जनवरी, 2023 तक निर्धारित है ? क्या सरकार बताएगी कि लक्ष्य के अनुरूप कितने लोगों का चयन किया गया तथा कितने लोगों का चयन किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना की पात्रता सूची में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 (एस0ई0सी0सी0-2011) के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान की पात्रता सूची में एस0ई0सी0सी0-2011 की पात्रता सूची से वंचित पात्र परिवारों एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को सम्मिलित किया गया है, जिसके क्रम में जनपद जौनपुर के 3,14,149 परिवारों (13,34,398 लाभार्थियों) का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित करते हुये डाटाबेस को स्थिर किया जा चुका है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले जनपद जौनपुर में 3, 14, 149 परिवारों (13,34,398 लाभार्थियों) का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया गया है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले समस्त परिवारों को सम्मिलित करते हुये डाटाबेस को स्थिर किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में आई0सी0यू0 स्थापित करने के सम्बन्ध में

132-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में आई0सी0यू0 स्थापित न होने से गम्भीर मरीजों के आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्थान में आई0सी0यू0 स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

संस्थान में मरीजों के लिए आई0सी0यू0 की सुविधा उपलब्ध है एवं आवश्यकतानुसार गम्भीर मरीजों का आपरेशन भी किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रायबरेली में गौशाला खुलवाने के सम्बन्ध में

133-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में किन मानकों के आधार पर कितनी संख्या में गौशाला खुलवाने की व्यवस्था की गई है, उक्त में से कितनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा कितनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गौशाला किनकी देख-रेख में संचालित की जा रही है ? क्या सरकार उक्त गौशालाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-822/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 टीसी-01, दिनांक 01 जून, 2019 के प्रस्तर-2 में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित गौवंश का अद्यावधिक आंकलन कर आवश्यकतानुसार अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु निर्देश निर्गत हैं।

जनपद रायबरेली में 74 गौ-आश्रय स्थल संचालित हैं तथा 08 गौ-आश्रय स्थल निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2818/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018 टीसी, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के क्रम में जनपद रायबरेली में 05 वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 02 केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

उपर्युक्त गौ-आश्रय स्थलों एवं गौ-संरक्षण केन्द्रों की देख-रेख स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है।

जी हां।

निर्माणाधीन 08 गौ-आश्रय स्थल व 02 वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्रों का निर्माण 01 माह में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित गौशाला में मृतक गौवंश की अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में

134-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित गौशाला में मृतक गौवंश की अन्त्येष्टि करने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि मृत गौवंश का चमड़ा व हड्डी भी बेचने का नियम है तथा उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर दण्डनीय कार्यवाही का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की मृत्यु होने की दशा में उनके शव को सम्मानपूर्वक गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल डायलिसिस सेन्टर एवं डायलिसिस सेन्टर में मांग के अनुरूप बेड बढ़ाने के सम्बन्ध में

135-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से जिला अस्पताल में कितनी-कितनी क्षमता के डायलिसिस सेन्टर स्थापित किए गए हैं ? क्या सरकार इन सभी डायलिसिस सेन्टर्स में मांग के अनुरूप बेड बढ़ाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश के 71 जनपदों में 72 यूनिट (जनपद प्रयागराज में 02 यूनिट) डायलिसिस सेन्टर संचालित हैं, जिनमें कुल 884 बेड हैं (जनपदवार सूची संलग्न†)।

संचालित डायलिसिस यूनिटों में आवश्यकतानुसार डायलिसिस शैय्याओं को समय-समय पर बढ़ाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के सम्बन्ध में

136-श्रीमती पूजा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा तथा छुट्टा जानवरों हेतु 01 अप्रैल, 2017 से 25 मार्च, 2023 तक कितने गौशाला का निर्माण किया गया तथा उक्त स्थलों में कितने पशु की बीमारी अथवा भूख के कारण मृत्यु हुई है ? क्या सरकार उक्त गौशालाओं के संचालन हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये उनके रख-रखाव की पुनर्समीक्षा कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

राज्य सरकार द्वारा स्थापित गौ-आश्रय स्थलों/गौ-संरक्षण केन्द्रों, कान्हा गौ-आश्रय स्थल व काँजी हाउस में दिनांक 01-04-2017 से 25-03-2023 तक कुल 1131378 गौवंश संरक्षित हैं। इस अवधि में 73039 गौवंश की मृत्यु बीमारी व अन्य कारणों से हुई है। भूख से किसी गौवंश की मृत्यु नहीं हुई है।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा निर्गत नीति में इन गौ-आश्रय स्थलों/गौ-संरक्षण केन्द्रों का संचालन एवं रख-रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है।

जनपद चित्रकूट के संयुक्त जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

137-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के संयुक्त जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना कराए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-210-211 पर।

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट के संयुक्त जिला चिकित्सालय में 08 बेड का आइसोलेशन वार्ड स्थापित है।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में चालू एवं बन्द प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विवरण के सम्बन्ध में

138-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सरैनी विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में बन्द हैं ? क्या सरकार इन केन्द्रों के संचालन की कार्य योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद-रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में कुल 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में कैंसर अस्पताल की स्थापना के सम्बन्ध में

139-श्री संदीप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारी के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र में कैंसर अस्पताल की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में स्थापित हैं। राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज में कैंसर उपचार हेतु सर्जिकल आंकोलॉजी तथा रेडियोथेरेपी विभाग संचालित हैं। उक्त विभागों में कैंसरग्रस्त मरीजों की सर्जरी के साथ ही रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी आदि उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार कैंसर से पीड़ित मरीजों को बेहतर सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र में पृथक से कैंसर अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

सार्वजनिक निर्माण अथवा सांस्कृतिक कार्य के प्रारम्भ या समापन के अवसर पर विशेष धार्मिक पद्धति का कार्यक्रम आयोजित किये जाने के विवरण के सम्बन्ध में

140-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी सार्वजनिक निर्माण अथवा सांस्कृतिक कार्य के प्रारम्भ या समापन के अवसर पर विशेष धार्मिक पद्धति का कार्यक्रम आयोजित करने का क्या प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या अनुमति देने सम्बन्धी नियम/कानून या शासनादेश की प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सार्वजनिक निर्माण अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रारम्भ या समापन के अवसर पर विशेष धार्मिक पद्धति का कार्यक्रम आयोजित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गौशालाओं में दिनांक 01 फरवरी, 2023 से दिनांक 26 मार्च, 2023 तक गायों की मृत्यु का विवरण एवं गायों की मृत्यु को रोकने के सम्बन्ध में

141-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 फरवरी, 2023 से दिनांक 26-03-2023 तक प्रदेश की गौशालाओं में कितनी गायों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि गौशालाओं में गायों की मृत्यु रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

राज्य सरकार द्वारा संचालित गौ-आश्रय स्थलों/गौ-संरक्षण केन्द्रों में दिनांक 01-02-2023 से 26-03-2023 तक 5530 गौवंश की मृत्यु हुई है।

गौ-आश्रय स्थलों/गौ-संरक्षण केन्द्रों में संरक्षित गौवंश का नियमित उपचार एवं टीकाकरण आदि किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में लगी डायलिसिस मशीन एवं उक्त केन्द्रों पर निःशुल्क डायलिसिस के प्रावधान के सम्बन्ध में

142-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में लगी डायलिसिस मशीन वर्ष 2017 से पूर्व निःशुल्क थी ?

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में उक्त केन्द्रों पर निःशुल्क डायलिसिस का क्या प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

लागू नहीं।

वर्ष 2017 से निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं के अन्तर्गत बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ सहित प्रदेश के जिला चिकित्सालयों पर वर्तमान में पी0पी0पी0 मोड पर 71 जनपदों में 72 डायलिसिस यूनिट (प्रयागराज में 02) संचालित हैं, जिनमें कुल 884 बेड हैं।

प्रदेश में बेहतर जन-स्वास्थ्य के उद्देश्य से राइट-टू-हेल्थ की योजना के सम्बन्ध में

143-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेहतर जन-स्वास्थ्य के उद्देश्य से राइट-टू-हेल्थ की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत आम-जनता को स्वास्थ्य और उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत वर्तमान में पंजीकृत अस्पतालों के विवरण के सम्बन्ध में

144-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कितने व कौन से अस्पताल वर्तमान में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में दिनांक 20-07-2023 तक कुल 49 चिकित्सालय में 25 सरकारी चिकित्सालय एवं 24 निजी चिकित्सालय योजनान्तर्गत पंजीकृत है।

जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध समस्त चिकित्सालयों की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक स्वीकृत एवं लम्बित विधवा पेंशन के सम्बन्ध में

145-श्री नफीस अहमद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त के सापेक्ष कितनों को विधवा पेंशन स्वीकृत की गई है एवं कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार शेष आवेदिकाओं को समयबद्ध विधवा पेंशन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु कुल 6811 आवदेन-पत्र प्राप्त हुए तथा उक्त के सापेक्ष 6811 आवेदकों को पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की गयी है एवं 2021-22 में कोई आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में

146-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पूर्व में प्रचलित निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था वर्तमान में बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था पुनः शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नोट :-† देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-212-213 पर।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के कछला मां भागीरथी घाट को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

147-श्री हरीश चन्द्र-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के कछला मां भागीरथी घाट को पर्यटन के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में कछला पी0एच0सी0 को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में

148-श्री हरीश चन्द्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में कछला पी0एच0सी0 को सरकार उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में कछला ब्लाक उझानी के अन्तर्गत आता है व कछला की जनसंख्या 12788 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कछला से 10 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुटला, 15 किमी0 की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उझानी तथा 14 किमी0 की दूरी पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूढा भदरौल स्थित है, जिससे क्षेत्र की जनता को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के नियुक्ति के सम्बन्ध में

149-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा उक्त पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने डाक्टर एवं अन्य

स्टाफ नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में 10 पशु चिकित्सालय हैं। इनमें स्वीकृत एवं तैनात कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (श्रेणी-1)	01	01	0
पशु चिकित्साधिकारी (श्रेणी-2)	09	02	07
वेटेनरी फार्मासिस्ट	10	03	07
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	25	06	19

जी हां।

वर्तमान में रिक्त पदों पर निकटस्थ तैनात पशु चिकित्साधिकारी एवं वेटेनरी फार्मासिस्ट को अतिरिक्त प्रभार देकर राजकीय कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

पशु चिकित्साधिकारी (श्रेणी-2) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वेटेनरी फार्मासिस्ट संवर्ग की सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गिरधर प्रसाद यादव के सेवानिवृत्तिक लाभों के देयकों के सम्बन्ध में

150-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18157220130174 जोकि श्री गिरधर प्रसाद यादव के सेवानिवृत्तिक लाभों के देयकों के भुगतान विषयक है, पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

श्री गिरधर प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर दिया गया है। उक्त के क्रम में आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18157220130174 निस्तारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सामुदायिक, प्राथमिक एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित व्यवस्था एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

151-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी प्रकार की चिकित्सीय जांच की समुचित व्यवस्था एवं स्वीकृत पदों के अनुरूप कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनबरसा, सोनवानी, बसुधरपाह व जयप्रकाश नगर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा, मुरली छपरा, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुबे छपरा, श्रीनगर, नौरंगा, कर्ण छपरा, लालगंज, शिवनरायन का टोला, गंगापुर, बेलहरी, जवही, बसुधरपाह स्थापित हैं, जहां मानक के अनुरूप चिकित्सीय जांच की व्यवस्था उपलब्ध है एवं उपलब्धता के आधार पर मानव संसाधन की तैनाती की गयी है।

विवरण सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दुग्ध उत्पादक किसानों के हित में दुग्ध डेयरी स्थापित करने के सम्बन्ध में

152-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशुओं से उत्पादित दुग्ध की मार्केटिंग न हो पाने से दुग्ध उत्पादक किसानों को अपने दुग्ध का निर्यात करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों के हित में सरकारी दुग्ध डेयरी स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशुओं से उत्पादित दुग्ध की मार्केटिंग व्यवस्था हेतु 92 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ गठित हैं। गत वर्ष फ्लश सीजन (नवम्बर, 2022 से फरवरी, 2023) में 49 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां सक्रिय थीं, जिनके माध्यम से

नोट :-† देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-214-223 पर।

क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक अपना दुग्ध विक्रय कर रहे थे। शनैः शनैः दुग्ध उत्पादकों द्वारा समितियों को दिये जाने वाले दुग्ध की मात्रा अत्यधिक कम हो गयी, जिससे दुग्ध समितियों से उपार्जित दुग्ध को प्लाण्ट तक पहुंचाने में लगने वाली परिवहन लागत में वृद्धि होने से दुग्ध का संग्रहण व्यावहारिक (वायबिल) नहीं रह गया। अतः दुग्ध मार्ग को अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया, दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से ही आच्छादित है। दुग्ध उत्पादकों से तरल दुग्ध क्रय करने हेतु 92 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ गठित हैं तथा दुग्ध उत्पादकों द्वारा समितियों को दुग्ध देने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा तत्परता से दुग्ध का क्रय किये जाने की व्यवस्था है। अतः क्षेत्र में दुग्ध डेयरी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दुग्ध समितियों के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसान अपना दुग्ध विक्रय करना चाहते हैं तो नयी दुग्ध समितियों का गठन कराकर अपने दुग्ध की बिक्री कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में

153-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जनसंख्या एवं अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय सरकार घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय घोषित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

वक्फ एक्ट, 1995 के अन्तर्गत उ0प्र0 सुन्नी/शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में 18वीं विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में

154-श्री कमाल अख्तर-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ एक्ट, 1995 के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड के अन्दर 02 सदस्यों का निर्वाचन सदस्य के तौर पर किया जाता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार 18वीं विधान सभा के नये सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

वक्फ एक्ट, 1995 के अन्तर्गत उ0प्र0 सुन्नी/शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में 18वीं विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में स्थापित ब्लड बैंक की संख्या एवं उनके संचालन के सम्बन्ध में जानकारी

155-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक स्थापित हैं तथा उक्त में से कितने पूर्ण रूप से संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 75 जनपदों के सापेक्ष 70 जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक (रक्त कोष) स्थापित और संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में दिव्यांगों के प्रमाण-पत्र बनाने के सम्बन्ध में

156-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में विकलांगों के प्रमाण-पत्र बनाने हेतु सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु दिव्यांगता बोर्ड गठित है, उक्त के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पश्चिमांचल क्षेत्र में कैंसर रोग से पीड़ित मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना के सम्बन्ध में

157-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पश्चिमांचल क्षेत्र में कैंसर रोग से पीड़ित मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान कराने हेतु कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में स्थापित एवं संचालित हैं, जिनके द्वारा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बेहतर सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय मेडिकल कालेज मेरठ व आगरा में रेडियोथेरेपी विभाग सहित कैंसर उपचार की अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल क्षेत्र में पृथक से कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में हृदय रोग के इलाज के लिये उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

158-श्री अरमान खान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदीय अस्पताल में हृदय रोग का इलाज न मिल पाने से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों सहित जनपद लखनऊ में हृदय रोग/हार्ट अटैक के इलाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के प्रत्येक जनपदीय अस्पताल में जनरल फिजीशियन, चेस्ट फिजीशियन आदि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुसार हृदय रोग के मरीजों का इलाज किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तरीय इलाज हेतु निकट के उच्च स्तरीय चिकित्सालय/मेडिकल कालेज को सन्दर्भित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिंधु दर्शन या अन्य किसी भी धर्म के किसी भी धर्मस्थल की यात्रा हेतु प्रति यात्री अनुदान या आर्थिक सहायता चालू वित्तीय वर्ष में उक्त हेतु निर्धारित बजट के विवरण के सम्बन्ध में

159-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिंधु दर्शन या अन्य किसी भी धर्म के किसी भी धर्मस्थल की यात्रा हेतु प्रति यात्री कितना अनुदान या आर्थिक सहायता दी जाती है ? क्या सरकार उक्त सहायता हेतु विगत पांच वर्ष में व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष में उक्त हेतु निर्धारित बजट का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु रु0 1,00,000 (एक लाख) मात्र प्रति यात्री तथा सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु रु0 20000 हजार (बीस हजार) मात्र प्रति यात्री अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्मस्थल की यात्रा हेतु अनुदान दिए जाने का प्राविधान नहीं है।

जी हाँ। विगत पाँच वर्षों में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु कुल धनराशि रु0 24,07,000 लाख (चौबीस करोड़ सात लाख) मात्र तथा सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु कुल धनराशि रु0 1,06,80,000 लाख (एक करोड़ छः लाख अस्सी हजार) मात्र का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु रु0 800.00 लाख के बजट तथा सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु रु0 10.00 लाख के बजट का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल स्वयं के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं रख-रखाव हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

160-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र अपने भवनों में कार्यरत हैं ? क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव हेतु वार्षिक रूप से कोई धनराशि आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

वर्तमान में प्रदेश में 44,411 आँगनबाड़ी केन्द्र अपने भवनों में संचालित हैं।

जी हाँ ।

भारत सरकार के पत्र संख्या-11-36/2016-CD-1, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के बिन्दु संख्या-20 तथा मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की गाइडलाइन के पृष्ठ

संख्या-41 के अनुसार विभागीय आँगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव हेतु प्रति केन्द्र प्रति वर्ष रु0 3,000.00 की दर से धनराशि आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक मदनपुर, शिकोहाबाद में आवारा गौवंश से होने वाले किसानों की फसलों के नुकसान से बचाव के लिये उक्त ग्राम सभाओं में गौशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में

161-श्री सर्वेश सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक मदनपुर, शिकोहाबाद में आवारा गौवंश से होने वाले किसानों की फसलों के नुकसान से बचाव हेतु क्या सरकार ग्राम सभा गुढ़ा, लाछपुर, भारौल में गौशाला स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

जनपद-फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर व शिकोहाबाद क्षेत्र में 19 अस्थायी/स्थायी गौ-आश्रय स्थल स्थापित हैं, जिनमें 1837 गौवंश संरक्षित हैं। ग्राम सभा लाछपुर के निकट नसीरपुर में तथा गुढ़ा के निकट ग्राम पंचायत लौहरई व ग्राम सभा भारौल के निकट पिंडसरा में अस्थायी गौ-आश्रय स्थल संचालित हैं। सन्दर्भित ग्राम सभाओं से निराश्रित गौवंश को उपर्युक्त गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्स की स्थापना कराने के सम्बन्ध में

162-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्स की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

एम्स की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में उ0प्र0 में जनपद गोरखपुर एवं रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित हैं। जहाँ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं में टापर्स के घरों तक पक्की सड़क बनाने की भांति यू0पी0 मदरसा बोर्ड परीक्षाओं के टापर्स के घरों तक पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में

163-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के टॉपर्स के घरों तक पक्की सड़क बनाने की भांति यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स के घरों तक पक्की सड़क बनाने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड एवं बेडों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

164-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड एवं बेडों की कमी के कारण मरीज एडमिट नहीं हो पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड एवं बेडों की संख्या बढ़ाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ देश एवं प्रदेश का प्रतिष्ठित अस्पताल है। के0जी0एम0यू0 के इमरजेंसी काम्प्लेक्स एवं ट्रामा सेन्टर में बेडों की संख्या-460 है। चिकित्सालय में पूरे प्रदेश से गम्भीर मरीज आते हैं अथवा सन्दर्भित किए जाते हैं, जिनको तत्काल यथावश्यक समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाता है। उपचार के पश्चात् मरीजों को अस्पताल के सम्बन्धित वार्डों मे भेजकर बेड की व्यवस्था की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के के0जी0एम0यू0 अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस का प्रवेश बन्द करने के सम्बन्ध में

165-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के के0जी0एम0यू0 अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा होने के बाद भी सुविधा नहीं मिलती है, प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा

मरीजों से जबरदस्ती ज्यादा भाड़ा लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस का प्रवेश बन्द करवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मरीजों को परिसर के अन्तर्गत एक वार्ड से दूसरे वार्ड तथा गन्तव्य विभाग तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा 24x7 क्रियाशील है। के0जी0एम0यू0 परिसर में बाहरी/प्राइवेट आपरेटरों द्वारा संचालित की जा रही एम्बुलेन्स का प्रवेश निषेध है। उक्त व्यवस्था का निरन्तर अनुश्रवण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किराये व खुले स्थानों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के दृष्टिगत नये आँगनबाड़ी केन्द्र के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में

166-श्री अरमान खान-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्डों में कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के मकानों व खुले स्थानों पर संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किराये व खुले स्थानों पर चल रहे केन्द्रों के संचालन के लिए नये आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में शहरी परियोजना आलमनगर तथा अलीगंज सम्मिलित हैं। बाल विकास परियोजना आलमनगर तथा अलीगंज में क्रमशः 306 तथा 413 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आलमनगर परियोजना में कुल 306 संचालित केन्द्रों के सापेक्ष 300 केन्द्र किराये के भवनों में तथा 06 केन्द्र शासकीय भवनों में संचालित हैं, जबकि अलीगंज परियोजना में समस्त 413 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

भारत सरकार के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र यूनिट कॉस्ट रु0 11.84 लाख निर्धारित है। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत रु0 2.00 लाख तथा शेष धनराशि जिला स्तर पर कन्वर्जेन्स के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इसी क्रम में शासन के पत्र संख्या-1369/58-1-2020-2/1(26)/12, दिनांक 11 मई, 2020 में यह प्राविधानित है कि ऐसे आँगनबाड़ी केन्द्र, जो किराये के भवनों में संचालित हैं, के भवनों के निर्माण हेतु मा0 सांसद एवं विधायक निधि से धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84ज/ 22,

दिनांक 08 अगस्त, 2022 द्वारा मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के माध्यम से आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/उच्चीकरण कराये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थित दार्शनिक/ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में

167-श्री अरमान खान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ सहित प्रदेश के प्रत्येक जनपद व गांवों में स्थित दार्शनिक/ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दार्शनिक/ऐतिहासिक स्थलों आदि के जीर्णोद्धार का कार्य नहीं कराया जाता है, अपितु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 12 पर्यटन सर्किट (परिपथ) के अन्तर्गत आने वाले स्थलों एवं ऐसे स्थल जहां पर भारी संख्या में पर्यटकों/श्रद्धालुओं का आगमन होता हो, वहाँ पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं को विभागीय आय-व्ययक के योजना मद में उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार स्थल पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद पीलीभीत के ग्राम नहरौरा, थाना-हजारा, तहसील-पूरनपुर में प्राथमिक विद्यालय व गुरुद्वारा के पास संचालित पोल्ट्री फार्म को बन्द या अन्यत्र संचालित कराने के सम्बन्ध में

168-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के ग्राम नहरौरा, थाना-हजारा, तहसील-पूरनपुर में प्राइमरी स्कूल व गुरुद्वारा के पास पोल्ट्री फार्म क्रियाशील है तथा उक्त पोल्ट्री फार्म द्वारा मरे हुए मुर्गे-मुर्गियों को स्कूल एवं गुरुद्वारा के पास फेंके जाने से क्षेत्र में सड़न एवं बदबू उत्पन्न होने से स्थानीय निवासियों को गम्भीर बीमारियों का समाना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर पोल्ट्री फार्म को बन्द कराने अथवा अन्यत्र संचालित कराने की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

ग्राम-नहरौरा, थाना-हजारा, तहसील-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत के प्राथमिक विद्यालय व गुरुद्वारा के पास पोल्ट्री फार्म क्रियाशील है।

जी हां।

ग्राम-नहरौरा, थाना-हजारा, तहसील- पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत स्थित समस्त पोल्ट्री फार्मों का दिनांक 01-08-2023 को नायब तहसीलदार पूरनपुर, पशु चिकित्साधिकारी, गांधीनगर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त फार्म मालिकों को तत्काल फार्म हटाये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। सम्बन्धित फार्म मालिकों द्वारा फार्म हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौशालाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को गौशालाओं का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

169-श्री अनिल प्रधान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौशालाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को गौशालाओं का भुगतान कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या-80सीएम/सैंतीस-2-2023-5(53)/18 टीसी-6, दिनांक 18-04-2023 द्वारा प्रत्येक गौ-आश्रय स्थल का संचालन करने वाली समिति अथवा संस्था को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भरण-पोषण की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित गौशालाएं एवं उनकी क्षमता एवं गौशाला संचालकों को प्रतिदिन के हिसाब से दिये जाने वाले धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में

170-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं एवं उक्त की क्षमता कितनी है तथा मौजूद पशुओं की देख-रेख के सापेक्ष गौशाला संचालकों को प्रतिदिन के हिसाब से कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

गौशाला एक धर्मार्थ संस्था है, जिसका निर्माण व संचालन निजी/स्वयंसेवी संस्था एवं दानोत्तरीय धार्मिक व अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 593 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 116927 गौवंश संरक्षित हैं। शासनादेश संख्या-2557/सैंतीस-2-2017-5(16)/2017, दिनांक 15-12-2017 के अन्तर्गत संरक्षित गौवंश की संख्या के 70 प्रतिशत को आधार मानते हुए रु0 30/- प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के गांव फतेहपुर, नसीरपुर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

171-श्री सर्वेश सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के गांव फतेहपुर, नसीरपुर में आम-जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुपूरक वार्षिक राज्य कार्य योजना 2022-24 में प्रदेश में 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सम्बन्धित ग्राम को मानकानुसार उपयुक्त पाये जाने पर ही स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना की जा सकती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जांच सुविधाओं का उच्चीकरण किए जाने के सम्बन्ध में

172-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जांच सुविधाओं का उच्चीकरण किए जाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती में विभागवार यथा-बायोकेमिस्ट्री, पैथालॉजी, माइक्रोबायोलॉजी तथा रेडियोलॉजी विभाग के अन्तर्गत आवश्यक आधुनिक/उच्चीकृत जांच सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित 102, 108 एम्बुलेंस की फिटनेस एवं अनफिट एम्बुलेंस के स्थान पर नये एम्बुलेंस अस्पतालों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

173-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित 102, 108 एम्बुलेंस में कितनी गाड़ियों की फिटनेस की अवधि वर्तमान में समाप्त हो गई है ? क्या सरकार फिटनेस की अवधि समाप्त एम्बुलेंस वाहनों के स्थान पर नए एम्बुलेंस वाहन अस्पतालों को उपलब्ध कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

प्रदेश में संचालित 108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत समस्त 2200 एम्बुलेन्सों की फिटनेस अवधि की वैधता प्रभावी है। 102 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत संचालित कुल 2270 एम्बुलेन्सों के सापेक्ष 77 एम्बुलेन्सों की फिटनेस माह जुलाई में समाप्त हो रही है।

फिटनेस वैधता समाप्त हो रही एम्बुलेन्सों के स्थान पर सेवा प्रदाता द्वारा 102 एम्बुलेंस के सम्बन्ध में अनुबन्ध दिनांक 15-03-2019 एवं 108 सेवा के सम्बन्ध में अनुबन्ध दिनांक 15-04-2019 में निहित प्राविधानानुसार बैकअप एम्बुलेन्सों का परिचालन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के दपसौरा विकास खण्ड अमौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बनी हुई बिल्डिंग में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

174-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के दपसौरा विकास खण्ड अमौली में विगत कई वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग बनी है, परन्तु वर्तमान तक संचालित नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जी हां।

निर्माण इकाई राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा कराये गये कार्यों की एस0आई0टी0 जांच के उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दपसौरा के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर संचालित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी में बाढ़ से पूर्व पशुओं को चिन्हित कर टीकाकरण एवं दवा के सम्बन्ध में

175-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी में बाढ़ के समय पशु कई रोगों के शिकार हो जाते हैं ? क्या सरकार वर्तमान वर्ष में बाढ़ के पूर्व सर्वे कराकर पशुओं हेतु दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में पशुओं के बचाव हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुये प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को बीमारी से बचाव हेतु टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है तथा पशुओं के उपचार हेतु जनपदों में प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बाढ़ के कारण गम्भीर बीमारियों से ग्रामीणों को बचाने हेतु बाढ़ पूर्व सर्वे कराकर दवा वितरण के सम्बन्ध में

176-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण बाढ़ जनित गम्भीर रोगों से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ से पूर्व सर्वे कराकर विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत पांच वर्षों में बाढ़ जनित कोई भी आउट-ब्रेक संसूचित नहीं हुआ है।

सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आशा बहुओं के माध्यम से सर्वे कराकर समस्त गर्भवती महिलाओं तथा हाई रिस्क व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है एवं बाढ़ जनित रोगों के प्रबन्धन हेतु समस्त आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चत कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों, विशेषज्ञ नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों के विवरण के सम्बन्ध में

177-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के नियमानुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 03 अप्रैल, 2023 तक उक्त पदों में से कितने पदों पर तैनाती की गयी है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियां करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर आबादी के सापेक्ष अस्पतालों को जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों, चिकित्सा उपकरण आदि सुविधाओं से आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों, विशेषज्ञ नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	एन0एच0एम0 से संविदा पर कार्यरत चिकित्सक	पुनर्योजन चिकित्सक कार्यरत	वॉक-इन-इण्टरव्यू चिकित्सक कार्यरत
चिकित्सक	19011	7533	1879	340	120
विशेषज्ञ स्टाफ नर्स	9695	2925	479	-	-
फार्मासिस्ट	6783	448	15	-	-

दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 03 अप्रैल, 2023 तक की गयी तैनाती का विवरण :-

1-चिकित्सक-4265

2-विशेषज्ञ चिकित्सक-1031

3-स्टाफ नर्स-3408

रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियां करने के क्रम में एन0एच0एम0 के तहत संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है तथा वॉक-इन-इण्टरव्यू व पुनर्नियोजन के माध्यम से भी चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

नियमित चिकित्साधिकारियों एवं स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा की जाती है। चिकित्साधिकारियों के 2382 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। साथ ही स्टाफ नर्स के 1319 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से फार्मासिस्ट के रिक्त 221 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त चिकित्सकों/स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है। आबादी के सापेक्ष चिकित्सालयों को जीवन-रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों एवं चिकित्सा उपकरण एवं अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने हेतु उपलब्ध बजट एवं संसाधनों के आधार पर उपकरण एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में छुट्टा जानवरों को सड़क दुर्घटनाओं में तथा गौवंश आश्रयों में विभिन्न कारणों से हो रही मौतों को रोकने के सम्बन्ध में

178-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौवंश आश्रयों में बन्द पशुओं, आश्रयों में विभिन्न कारणों से मरने वाले एवं क्षेत्र में छुट्टा घूम रहे जानवरों का अलग-अलग विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर पर तैयार किया गया है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गयी है ? क्या यह सही है कि भूख से आश्रयों में तथा छुट्टा घूम रहे अन्ना जानवर सड़कों पर वाहनों से टकराकर प्रतिदिन दुर्घटनायें कर रहे हैं एवं स्वयं मर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छुट्टा जानवरों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं एवं गौ-आश्रयों में मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में विद्यमान व्यवस्थानुसार निराश्रित गौवंश से सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव तथा ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा निर्गत नीति के अनुक्रम में निराश्रित गौवंश को संरक्षित कर उनका भरण-पोषण किया जा रहा है।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में विगत 14 माह से खराब डिजिटल एक्स-रे मशीन को ठीक कराने के सम्बन्ध में

179-श्री सचिन यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में विगत 14 माह से खराब डिजिटल एक्स-रे मशीन के कारण मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिजिटल एक्स-रे मशीन को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

डिजिटल एक्स-रे मशीन के खराब होने की स्थिति में चिकित्सालय में स्थापित मैनुअल एक्स-रे मशीन तथा विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा परामर्शित डिजिटल एक्स-रे हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक अन्य डिजिटल एक्स-रे मशीन (FUJI PRIMA T2 100 MA) का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार मैनुअल व डिजिटल दोनों प्रकार के एक्स-रे की सुविधा सुचारु रूप से संचालित है एवं वर्तमान में एक्स-रे हेतु किसी भी मरीज को वापस नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत 15 टी0बी0 यूनिटों का कायाकल्प कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

180-श्री सचिन यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत 15 टी0बी0 यूनिटों का कायाकल्प कार्य पूर्ण न होने से इन यूनिटों में मरीजों के इलाज से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध न होने की वजह से मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त यूनिटों का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत 15 टी0बी0 यूनिट सरकारी भवनों में संचालित हैं। सभी 15 टी0बी0 यूनिटों में एन0टी0ई0पी0 मानक के अनुरूप कायाकल्प कार्य पूर्ण है जिनमें मरीजों की जाँच एवं इलाज से सम्बन्धित सभी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 3 वर्षों में वर्षवार टी0बी0 के संक्रमित एवं ठीक हुए मरीजों एवं शेष बचे रोगियों के विवरण के सम्बन्ध में

181-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में वर्षवार टी0बी0 की बीमारी से कितने लोग ग्रसित हुए एवं उनमें से कितने मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं ? क्या सरकार टी0बी0 की बीमारी से ठीक हुये टी0बी0 चैम्पियन लोगों को प्रशिक्षित कर टी0बी0 रोग से ग्रसित अन्य लोगों की मदद करने हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रदेश में विगत 03 वर्षों में वर्षवार टी0बी0 की बीमारी से ग्रसित एवं बीमारी से ठीक हुये मरीजों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	क्षय रोगी	ठीक हुए मरीज
2022	5,37,749	4,42,623
2021	4,46,758	4,01,174
2020	3,75,769	3,15,469
कुल	**13,81,276**	**11,59,275**

(निक्षय पोर्टल से आंकड़े दिनांक 20-07-2023 को लिये गये हैं)

156 टीबी चौम्पियन का प्रशिक्षण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज खोले जाने एवं अब तक पूर्ण-अपूर्ण मेडिकल कालेजों के विवरण के सम्बन्ध में

182-श्री जै किशन साहू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कालेज की स्थापना के अन्तर्गत वर्तमान तक कितने मेडिकल कालेज स्थापित कर संचालित किये गये हैं, कितनों के कार्य प्रगति पर हैं तथा सम्पूर्ण मेडिकल कालेज कब तक तैयार होंगे ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 75 जनपदों में से 45 जनपदों में कम-से-कम एक मेडिकल कालेज संचालित है। 14 जनपदों में सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

इसी प्रकार प्रदेश के 16 असेवित जनपदों-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल सन्तकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के अन्तर्गत निजी निवेशकर्ताओं के सहयोग से मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने की नीति शासनादेश दिनांक 17-09-2021 द्वारा निर्गत की गयी है। इन निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित/आकर्षित करने हेतु ओपेक्स/कोपेक्स/वायबिलिटी ग्रान्ट शासन की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 04 जनपदों-महराजगंज, सम्भल, शामली एवं मऊ में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने हेतु कन्सेशन एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 06 असेवित जनपदों-बागपत, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, हमीरपुर एवं महोबा में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। इन जनपदों हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। अवशेष 06 जनपदों-बलिया, भदोही, चित्रकूट, रामपुर, श्रावस्ती व सन्तकबीरनगर में भी भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) योजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में फर्जी अस्पतालों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

183-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ-सीतापुर रोड पर संचालित फर्जी अस्पताल जिन पर एम0बी0बी0एस0 डाक्टरों के नाम तथा रजिस्ट्रेशन अंकित हैं, उनके स्थान पर अनुभवहीन डाक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी अस्पतालों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड पर फर्जी अस्पतालों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को प्राप्त होने पर उक्त अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा ठोस योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

184-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

विभाग द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न योजना/कार्यक्रम संचालित है :-

1-राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना-यह योजना गाय एवं भैंस की उत्पादकता बढ़ाने तथा स्वदेशी नस्ल के गौवंश में वृद्धि के लिए चलायी गयी है। साथ ही साथ देश के ग्रामीण पशु पालकों की आय में वृद्धि हो सके तथा इसके साथ ही साथ दुग्ध व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय बन सके।

2-राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम- इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उच्चगुणवत्ता युक्त अति हिमीकृत वीर्य द्वारा पशु प्रजनन (कृ0ग0) का आच्छादन 5040 कृ0ग0 केन्द्र एवं 5048 पैरावैट/बायफ संस्था के केन्द्र के सहयोग से निःशुल्क किया जा रहा है। विगत वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 100 दिवसीय मिशन 75 ए0आई0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 15-11-2022 से 25-03-2023 तक कुल 65.11 लाख कृ0ग0 का कार्य मिशन मोड में किया गया है, जिससे भविष्य में निश्चित रूप से गौवंश की संख्या में वृद्धि के साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।

3-त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम-उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में उच्च गुणवत्ता युक्त सेक्स्ड सीमेन (वर्गीकृत वीर्य) का प्रयोग गायों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मिशन मिलेनियम सेक्स्ड सीमेन ए0आई0 योजना दिनांक 01-05-2023 से चलाई जा रही है, जिससे 90 प्रतिशत उच्च नस्ल की बछिया उत्पन्न होंगी तथा दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा पर बोवाइन पशुओं में सेक्स्ड सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

4-पशुओं में विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों के लिये पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गला घोंटू एवं खुरपका, मुँहपका बीमारी के प्रति निःशुल्क टीकाकरण एवं पैरासिटिक कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत 520.36 लाख पशुओं की डिवार्मिंग करायी जा रही है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

5-चारा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हरा चारा उत्पादन हेतु उन्नतशील किस्म के चारा बीजों का वितरण लगभग 11000 कुन्टल चारा बीज सम्मिलित है।

6-प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नन्द बाबा दुग्ध मिशन अन्तर्गत कई योजनायें लागू की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात्रि में विद्युत सप्लाई न रहने पर वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

185-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला प्रसव व आपरेशन की सुविधा उपलब्ध है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय केन्द्रों पर रात्रि में प्रसव आपरेशन हेतु विद्युत सप्लाई न रहने पर वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलीलपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूरपुर पर महिला प्रसव व माइनर आपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विद्युत सप्लाई न रहने पर वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था हेतु इन्वर्टर एवं जेनरेटर उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में

186-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के आधार पर चिकित्सक एवं विशेषज्ञ तैनात हैं।

शासन के पत्र दिनांक 18-11-2022 द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-II (स्तर-2) विभिन्न विशेषज्ञता में अग्रनीत किये गये कुल 2382 पदों पर नियुक्ति/चयन किये जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा अयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष शासन के विभिन्न शासनादेशों द्वारा 31 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। यह भी अवगत कराना है कि रिक्तियों के सापेक्ष तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में वर्ष 2020 से 2022 तक कुल निर्मित गौशालाओं एवं संचालित गौशालाओं एवं इसके निर्माण में स्वीकृत धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में

187-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में वर्ष 2020 से 2022 तक कुल कितनी गौशालाओं का निर्माण किया गया है, उक्त में से कितनी गौशालाएं संचालित हैं तथा इनके निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में वर्ष 2020 से 2022 तक विकास खण्ड जलीलपुर में 05 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल, चाँदपुर में 01 कान्हा गौशाला तथा विकास खण्ड नूरपुर में 01 अस्थायी गौ-आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है। उक्त समस्त संचालित हैं। प्राक्कलन के अनुसार धनराशि रु0 28142503.00 व्यय किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में स्थापित जेनरेटर को बदलवाने के सम्बन्ध में

188-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में स्थापित जेनरेटर जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जेनरेटर को बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी में नया जेनरेटर स्थापित करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के संयुक्त चिकित्सालय में कुल वेन्टीलेटर एवं उक्त हेतु आपरेटरों की संख्या के विवरण के सम्बन्ध में

189-श्री राम अवतार सिंह सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के संयुक्त चिकित्सालय में कुल कितने वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं तथा उक्त हेतु आपरेटरों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बिजनौर के संयुक्त चिकित्सालय में कुल 17 वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं तथा उनको आपरेट करने हेतु 05 प्रशिक्षित ओ0टी0 टेक्नीशियन उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन के आयुष अनुभाग-2 में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 का अनुपालन के सम्बन्ध में

190-श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के आयुष अनुभाग-2 में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 का अनुपालन कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी हाँ ।

शासन के पत्र संख्या-रा0मं0-08/96-आयुष-2-2023-103/2017, दिनांक 04-02-2023 द्वारा निदेशक, होम्योपैथी/आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं को उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 का अनुपालन प्रभावी ढंग से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में

191-श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 09 अगस्त, 2019 तथा 30 अगस्त, 2019 संलग्नकों सहित प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी हाँ।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक श्री आर0 एन0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 09-08-2019 तथा 30-08-2019 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि होम्योपैथिक चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु वाद सम्प्रति मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के समूह-क और ख को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में

192-श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के समूह-क और ख के कितने अधिकारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की पात्रता श्रेणी में आ चुके हैं ? इस प्रयोजन हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अन्तिम बार कब सम्पन्न हुई थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के अनुसार वर्ष में दो बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत न किए जाने के लिए दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पद नाम तथा उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण क्या है ? क्या सरकार श्रेणीवार पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने विषयक आदेश निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथी विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के लगभग 497 अधिकारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की पात्रता सूची में आ चुके हैं।

इस प्रयोजन हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अन्तिम बार दिनांक 01 मई, 2023 को सम्पन्न हुई है।

वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोनाकाल/कोविड-19 महामारी के संक्रमण के कारण वर्ष में दो बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी। अतः वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त परिस्थितिजन्य उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप परिधिगत अधिकारियों से सूचनाओं एवं गोपनीय प्रविष्टियों आदि के संकलन/अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के कारण विलम्ब हुआ, जिसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल जनपदों में ट्रामा सेन्टर में नियुक्त न्यूरोलॉजी डाक्टर्स एवं रिक्त डाक्टर्स के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

193-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में ट्रामा सेंटर स्थापित हैं तथा उक्त में से कितनों में न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स नियुक्त हैं ? क्या सरकार ऐसे ट्रामा सेन्टर्स जिनमें न्यूरोलॉजी के चिकित्सक नहीं हैं, में जनहित में इनकी नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में कुल 34 ट्रामा सेन्टर स्थापित हैं (सूची संलग्न)[†]।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित ट्रामा सेन्टर में न्यूरोलॉजी चिकित्सक का पद सृजित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष पैरामेडिकल स्टाफ के नियुक्ति के सम्बन्ध में

194-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैरामेडिकल के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के

नोट :-[†] देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-219-223 पर।

सापेक्ष कितने पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त हैं ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सालयों में पैरामेडिकल स्टाफ के कुल 10480 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 8004 पदों पर पैरामेडिकल कार्मिक कार्यरत हैं।

जी हाँ।

पैरामेडिकल संवर्ग के फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ नियमावली, 2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु कुल 637 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को 06 माह के कार्य अनुभव प्रशिक्षण हेतु निदेशक (स्वास्थ्य) द्वारा प्रस्ताव महानिदेशक (प्रशिक्षण), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के माध्यम से संविदा पर फार्मासिस्ट के 1478 कार्मिक तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के 195 कार्मिक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पात्र गरीबों के इलाज के लिये आयुष्मान कार्ड बनाने के सम्बन्ध में

195-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सभी पात्र गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना की पात्रता सूची में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 (एस0ई0सी0सी0-2011) के अन्तर्गत चिन्हित परिवार के सदस्यों को प्रति वर्ष प्रति परिवार रु0 5.00 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा सूचीबद्ध निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत (एस0ई0सी0सी0-2011) पात्रता सूची से वंचित पात्र परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों, उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक परिवारों तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को योजना से आच्छादित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदोन्नति के सम्बन्ध में

196-श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के अलग-अलग कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन पदों पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2022 तथा 13 जुलाई, 2022 में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अभी तक पदोन्नति प्रदान न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार समय से पदोन्नति प्रदान न किए जाने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

प्रदेश में वर्तमान में अपर निदेशक का 1 पद, संयुक्त निदेशक के 2 पद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के 5 पद तथा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 238 पद रिक्त हैं।

अपर निदेशक के पद पर चयन वर्ष 2022-23 में पदोन्नति हेतु अर्ह अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति नहीं हो सकी। चयन वर्ष 2023-24 में अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में एक अधिकारी अर्ह है, जिनकी पदोन्नति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 01-06-2022 द्वारा संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति की जा चुकी है। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पदोन्नति की कार्यवाही में हुआ विलम्ब प्रक्रियात्मक परिस्थिजन्य होने के फलस्वरूप किसी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना जिला मुख्यालय पर पशुओं के समुचित चिकित्सा सुविधा हेतु पॉलीक्लीनिक के निर्माण के सम्बन्ध में

197-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना जिला मुख्यालय पर पशुओं के समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए पॉलीक्लीनिक न होने से पशु पालकों को पशुओं के इलाज में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला मुख्यालय पडरौना में पशुओं के इलाज हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पशुओं के इलाज में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पशु चिकित्सालय पडरौना पर उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं सहयोगी स्टाफ, वेटेनरी फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों तथा मोबाइल वेटेनरी यूनिट, 1962 वाहनों द्वारा जनपद के पशु पालकों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के दृष्टिगत जिला मुख्यालय पडरौना में पशुओं के इलाज हेतु पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक स्थापित किये जाने का कोई अवसर नहीं है।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में दिनांक 31-03-2023 तक बनाये गये आयुष्मान कार्ड एवं शेष बचे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

198-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में दिनांक 31-03-2023 तक आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कितने आयुष्मान कार्ड बनवाये गये और कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष आयुष्मान कार्ड बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में दिनांक 31-03-2023 तक आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लगभग 80,910 आयुष्मान कार्ड बनवाये गये हैं और लगभग 33,040 शेष है।

आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में नये ट्रामा सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में

199-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में ट्रामा सेन्टर नहीं होने से सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को शहर से 36 किमी0 दूर जिला चिकित्सालय बिजनौर ले जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शहर चाँदपुर में ट्रामा सेन्टर का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर से 38 किमी0 की दूरी पर स्थित धामपुर में ट्रामा सेन्टर संचालित है। मानकानुसार 02 ट्रामा सेन्टरों के बीच की दूरी 100 किमी0 होनी चाहिये।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर गरीबी में जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के सम्बन्ध में

200-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष्मान योजना से वंचित गरीब व्यक्ति को इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर गरीबी में जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को आयुष्मान योजना का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना की पात्रता सूची से वंचित गरीब व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान प्रारम्भ किया गया है। मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना की पात्रता सूची (एस0ई0सी0सी0-2011) से वंचित पात्र परिवारों, अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक एवं उनके परिवारों, उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत/नवीनीकृत कामगार एवं उनके परिवारों को आच्छादित करते हुये प्रति परिवार, प्रतिवर्ष रु0 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले समस्त परिवारों को सम्मिलित करते हुये डाटाबेस को स्थिर किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत कैंसर/किडनी/हार्ट के मरीजों को आयुष्मान कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में

201-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत कैंसर/किडनी/हार्ट के मरीजों को आयुष्मान कार्ड जारी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान का लाभार्थी मानकों पर निर्धारित है, उक्त मानकों के अनुसार लाभार्थियों का चयन करते हुये डाटाबेस स्थिर किया जा चुका है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान के अन्तर्गत योजना से आच्छादित लाभार्थी परिवारों को कैंसर/किडनी/हृदय रोगियों का इलाज का प्राविधान है और जनपद बिजनौर में अब तक उक्त बीमारियों से सम्बन्धित 5,023 लाभार्थियों को उपचार प्रदान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांप के काटने पर लगाई जाने वाली एंटी वेनम तथा एंटी रैबीज के विवरण के सम्बन्ध में

202-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांप के काटने पर लगाई जाने वाली एंटी वेनम तथा एंटी रैबीज के इन्जेक्शन उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितनी मात्रा में उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्जेक्शन की उपलब्धता स्टाक में हर समय रखे जाने का प्रावधान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याऊ (चाँदपुर) पर एण्टी रैबीज 80 तथा 20 एंटी वेनम इन्जेक्शन उपलब्ध हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याऊ पर नियमानुसार 30 एंटी रैबीज तथा 20 एंटी वेनम इन्जेक्शन की उपलब्धता होनी चाहिये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में दोषियों के विरुद्ध किये गये कार्यवाही के सम्बन्ध में

203-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मामले प्रकाश में आये तथा कितने दोषियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु लिये गये नमूनों के सापेक्ष कुल 20696 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये, जिसमें सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं। दायर वादों पर विचारण करते हुये 14188 प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा कुल रु0 387206460/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है तथा इन्हीं में से 07 खाद्य कारोबारकर्ताओं को कारावास से दण्डित भी किया गया है। शेष 6508 वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब हम निधन के निदेश लेते हैं। आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निदेश के ऊपर कभी-भी अव्यवस्था नहीं हुई है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं निधन के निदेश पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया आप सभी लोग अपनी सीट पर चले जाएं। मैं निधन के निदेश पढ़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि निधन के निदेश पर पूर्व के मा0 सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप लोग अपनी सीट पर चले जाएं। अगर आप अव्यवस्था फैलायेंगे तो इस बात की चर्चा पूरे देश में होगी कि आप लोगों ने निधन के निदेश पर अव्यवस्था उत्पन्न करी थी। अगर मैं निधन के निदेश पढ़ूँगा तो फिर मुझे आपको इंगित करके बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निदेश पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया आप लोग शान्त हो जाईये।

(सदन की वेल में खड़े हुए विपक्ष के सभी सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गए)

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, निधन के निदेश के बाद मणिपुर पर चर्चा करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोगों में से कौन बोलना चाहता है। वर्मा जी आप बोलेंगे, पाण्डेय जी बोलेंगे या फिर रविदास जी बोलेंगे। मोना जी आप क्या कह रही है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुन लीजिए। आज आप सभी मा0 सदस्यों ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा करा लीजिए। अगर कल कोई मा0 सदस्य कहेगा कि केरला स्टोरी पर चर्चा करा लीजिए तो क्या यह उचित होगा ? अगर आपमें से कोई मा0 सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा करा लीजिए तो क्या यह उचित होगा ? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा, दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। यह न नियम में है, न नियमावली में है और न ही परम्परा में है। हम यहां पर किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा नहीं करायेंगे। आप पार्लियामेण्ट में चर्चा कराइये, यहां पर चर्चा नहीं होगी। मोना जी आप बैठ जाइये।

मा0 मोना जी आपको भी पता है और मा0 वर्मा जी आपको भी पता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह घटना शर्मसार करने वाली है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मसार करने वाली देश और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन्हें हम नहीं देखेंगे, हम केवल उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। सबके अपने-अपने ज्यूरिस्डिक्शन हैं, अगर आप कहें कि अमेरिका में कोई शर्मसार करने वाला विषय है, उस पर यहां चर्चा कराएं तो चर्चा नहीं कराएंगे। उत्तर प्रदेश से जो सम्बन्धित बातचीत होगी, उस पर चर्चा कराएंगे अन्यथा नहीं कराएंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह देश की महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

जो नियमावली में होगा वही करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। अवधेश जी, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित जो भी विषय होगा उसे लेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह देश की महिलाओं का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित जो विषय होगा उसे यहां पर लेंगे। फिर मैं यहां पर केरला स्टोरी पर चर्चा कराने की अनुमति दूं क्या ? नहीं दे सकता, वह नहीं दूंगा। फिर मैं बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराने के लिए बोलूं क्या ? वह भी नहीं दूंगा, किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आपकी एक गलत परम्परा से कई गलत परम्पराएं पड़ेंगी। आप लोग बैठिए।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर,कृपया सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नो, धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्तार अहमद अंसारी का दिनांक 08 जनवरी, 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी का जन्म 02 फरवरी, 1934 को जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बी0काम, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी वर्ष 1969 में भारतीय क्रांति दल तथा 1974 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र धामपुर, जिला बिजनौर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष, कांग्रेस मण्डल, हरेवली, सदस्य, जिला परिषद, बिजनौर, सदस्य, अखिल भारतीय मोमिन कांफ्रेंस तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमर सिंह का 12 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री अमर सिंह का जन्म 01 अप्रैल, 1964 को ग्राम-रुधौली, पोस्ट रूपनगर, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने स्नातक, डिप्लोमा सिविल इन्जीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमर सिंह वर्ष 1993 के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमर सिंह दिलेश्वरी इण्टर कालेज, रुधौली के प्रबन्धक रहे थे। वे एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रेम प्रकाश सिंह का दिनांक 24 फरवरी, 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री प्रेम प्रकाश सिंह का जन्म 01 अक्टूबर, 1952 को ग्राम पैना, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रेम प्रकाश सिंह वर्ष 1996 में बहुजन समाज पार्टी तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरहज, जिला देवरिया से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रेम प्रकाश सिंह श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे विभिन्न जन आंदोलनों के अन्तर्गत जिला कारागर, महाराजगंज में बन्दी रहे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सदस्य व प्रबन्धक रहे थे। वे किसान सहकारी चीनी मिल, समाजवादी श्रमिक संघ सितारगंज तथा ईस्टर इण्डस्ट्रीज श्रमिक संघ चारूबेटा, खटीमा, जिला उधमसिंह नगर के अध्यक्ष भी रहे थे। समाज सेवा, पशुपालन एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्रेम प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह का 10 मार्च, 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रणधीर सिंह का जन्म 01 जनवरी, 1948 को ग्राम बरूकी, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रणधीर सिंह वर्ष 1993 में तथा 1996 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल, जिला मुजफ्फनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रणधीर सिंह विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्य रहे थे। वे नगर पालिका, मुजफ्फरनगर के सभासद तथा डा0 अम्बेडकर मंच के सदस्य भी रहे थे। समाज सेवा तथा भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रणधीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री सुजान सिंह बुन्देला का 30 मार्च 2023 को निधन हो गया, वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सुजान सिंह बुन्देला का जन्म 01 जून, 1946 को ग्राम डोंगराकलां, तहसील पाली, जिला ललितपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुजान सिंह बुन्देला वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र महरौनी, जिला ललितपुर से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1984 एवं 1999 में लोक सभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। श्री सुजान सिंह बुन्देला ग्राम प्रधान, डोंगराकलां तथा जिला पंचायत अध्यक्ष, ललितपुर रहे थे। वे एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुजान सिंह बुन्देला के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शारदा प्रताप शुक्ला का 18 अप्रैल, 2023 को निधन हो गया, वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री शारदा प्रताप शुक्ला का जन्म

11 जनवरी, 1945 को रहीमनगर, पड़ियाना, जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शारदा प्रताप शुक्ला वर्ष 1985 में निर्दलीय, 1989 में जनता दल तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर, जिला लखनऊ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शारदा प्रताप शुक्ला श्री अखिलेश यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। वे विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार, लखनऊ एवं सेन्ट्रल जेल, वाराणसी में बन्दी रहे थे। वे कान्ति विद्या मन्दिर, लखनऊ के संरक्षक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसम्पर्क प्रिय था। श्री शारदा प्रताप शुक्ला के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री हरिशंकर तिवारी का 16 मई, 2023 को निधन हो गया, वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरिशंकर तिवारी का जन्म 05 अगस्त, 1940 को ग्राम-टाड़ा, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिशंकर तिवारी वर्ष 1985 में निर्दलीय, 1989, 1991, 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 में अखिल भारतीय इन्दिरा कांग्रेस (तिवारी) तथा 2002 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से निर्वाचन क्षेत्र चिल्लूपार, जिला गोरखपुर से 06 बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरिशंकर तिवारी, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश, श्री राजनाथ सिंह, सुश्री मायावती तथा श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। वे विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा नेशनल डिग्री कालेज बड़हलगंज, गोरखपुर के अध्यक्ष रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिशंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री अवनीश कुमार सिंह का 17 मई, 2023 को निधन हो गया, वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री अवनीश कुमार सिंह का जन्म 13 अगस्त, 1943 को सहारनपुर में हुआ था, उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अवनीश कुमार सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1985, 1991 व 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दातागंज, जिला बदायूँ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अवनीश कुमार सिंह विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार, बदायूँ में बन्दी रहे थे। समाजसेवा एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अवनीश कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री हरद्वार दुबे का 26 जून, 2023 को निधन हो गया, वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री हरद्वार दुबे का जन्म 01 जून, 1946 को हुसैनाबाद, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरद्वार दुबे वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र आगरा छावनी, जिला आगरा से

भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2020 से वे राज्य सभा के सदस्य थे। श्री हरद्वार दुबे, श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री तथा विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य रहे थे। वे विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार आगरा, नैनी एवं फतेहगढ़ आदि जेलों में बन्दी रहे थे। समाज सेवा, पर्यटन, बागवानी एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरद्वार दुबे के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अबरार अहमद का 02 अगस्त, 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री अबरार अहमद का जन्म 08 नवम्बर, 1950 को अझुई, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। श्री अबरार अहमद वर्ष 2012 व 2017 में निर्वाचन क्षेत्र इसौली, जिला सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अबरार अहमद विधान सभा की आचार समिति के सदस्य रहे थे। वे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्य रहे तथा सामाजिक आन्दोलनों से जुड़े रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री अबरार अहमद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल, 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का जन्म 03 अप्रैल, 1974 को जिला प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी, जिला प्रयागराज (इलाहाबाद) से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल, 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त, 1962 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991 तथा 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी से तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी, जिला प्रयागराज (इलाहाबाद) से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधान सभा की लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे थे। वे वर्ष 2004 में लोक सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे।

विधान सभा के मा0 पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवारों को उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ मिनट मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह जो मणिपुर की घटना है, क्योंकि यह सीता और सावित्री का देश है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अगर आप दूसरे राज्यों की चर्चा करेंगे तो यहां की चर्चा कौन करेगा। आप सबसे वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह हमारे प्रदेश की 50 फीसदी महिलाओं का सवाल है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम-110 में देखें।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़कर बोल रहे हैं और मैं बिना पढ़े बोलूंगा। नियम-110 का प्रस्ताव नेता सदन की सहमति से आप प्रस्तुत कर सकते हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इतनी देर से मैं यह देख रहा था.....

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि निन्दा प्रस्ताव आ जाए ।

(श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, आपको बोलना अलाउ नहीं किया है।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

सदन की संवेदनाओं को आने देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मोना जी, मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप बैठ जायें। मा0 लाल जी वर्मा जी, आपको मालूम है कि आप जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलें।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, निन्दा का प्रस्ताव तो आ सकता है। हम सदन में उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं लेकिन निन्दा तो कर ही सकते हैं। हम घटना की चर्चा सदन में नहीं कर सकते हैं लेकिन घटना की निन्दा तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप निन्दा कर दीजिए लेकिन हाउस इसके लिए अधिकृत नहीं है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 वर्मा जी, हर समय नियमों का हवाला देते हैं और नियमों को तोड़-फोड़ के पेश करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आज हम यह पूछना चाहते हैं कि मान्यवर, जब कैराना की घटना हुई तो कितने निन्दा प्रस्ताव इधर से पास किये गये थे, कैराना की घटना हुई तो कितने लोगों ने पलायन किया था तब यहाँ से कितने लोगों ने निन्दा प्रस्ताव पास किया....

(सत्तापक्ष की तरफ से शेम-शेम के शब्द सुनाई दिये)

जवाहर बाग की घटना हुई, कितने लोगों ने निन्दा प्रस्ताव पास किया, यह तो उत्तर प्रदेश की थी, तब भी एक बार कह देते कि निन्दा प्रस्ताव पास कर दो। मान्यवर, इस तरीके से सदन के समय को खराब करने, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को नजायज तरीके से अपने हितों में इस्तेमाल करना यह किसी तरह से अनुमन्य नहीं है। इसी तरीके से मणिपुर की घटना जहाँ हुई है, सब को मालूम है मान्यवर, संविधान की 7वीं सूची देख लें यह स्टेट का सब्जेक्ट है वहाँ की विधान सभा या केन्द्र सरकार उसके ऊपर चर्चा कराये या कुछ भी करे लेकिन यहाँ का यह सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके से इस पर बात नहीं होनी चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं शायद नहीं बोलता लेकिन हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं अपना उल्लू सीधा करना मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में जिस किसी को कुछ न दिखायी दे उसको क्या कहते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम केवल एक निन्दा प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं उस घटना की निन्दा नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस तरीके से आप कितने प्रदेशों की निन्दा करेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह महोदय, यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं। मणिपुर की घटना पर कम-से-कम हम आपसे कुछ

बोलने की अपेक्षा तो कर सकते हैं। मणिपुर पर कुछ बोलने की अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मणिपुर के लिए आप नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है ना। आप प्रसन्न हैं कि उत्तर प्रदेश में सब सही है। इस बात की आपको बधाई हो।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निन्दनीय घटना हो तो उसकी निन्दा के लिए आप प्रस्ताव करिए।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा में यह न परम्परा है, न परिपाटी है और न ही यह विधान सभा का विषय है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास पर व्यवधान की स्थिति)

आप लोग बैठ जाएं। आपको बोलने के लिए मैंने नहीं कहा है। आप सब लोग बैठ जाएं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची, जहाँ पर मणिपुर की घटना की निन्दा नहीं हुई हो। जिस देश में आप और हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गये थे, अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति के आफिस ने निन्दा की है, यूरोप के तमाम देशों ने निन्दा की है।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ पर भी सबने निन्दा की है अपने-अपने स्थान पर सबने निन्दा की है लेकिन हमारी विधान सभा दूसरे प्रदेशों की घटनाओं पर चर्चा नहीं कर सकती है।

श्री अखिलेश यादव-

हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि नेता सदन इस पर बोलें।

श्री अध्यक्ष-

वह जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए अधिकृत नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्य मंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियाँ हैं लेकिन हम एक सच्चे योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप अपना विषय लीजिए।

(एक सदस्य के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

आप बैठिये। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हों। कृपया आप बैठिये। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है लेकिन आप नहीं बोलेंगे। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है आप नहीं बोलेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी की कोई मजबूरियाँ हों ।

श्री अध्यक्ष-

किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने-अपने स्थान पर जो कहा, किया है, यहां विधान सभा में नियमावली पर चलिए। विधान सभा में कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जायेगी।

श्री अखिलेश यादव-

कम से कम इस पर तो बोल सकते है। मणिपुर की तरह ही भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन-बेटियों के मन में डर बैठ गया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वो डर जाकर वहां निकालिये, यहां से इसका कोई मतलब नहीं। मैं अगला विषय लूँगा।

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है। इस डर को दूर करना आपका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे नियम-301 की सूचनाएं लेने दीजिए।

श्री अखिलेश यादव-

मैं यह मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका यह कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, देखिए यह विधान सभा का विषय नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आबरू पर हाथ डालना।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं। आपको सब मालूम है। आप इसको राजनीतिक रंग न दीजिए।

श्री अखिलेश यादव-

आप इसको कैसे सही साबित करेंगे। क्या आप इसे सही मानते है, जो घटना मणिपुर में हुई है ?

श्री अध्यक्ष-

जो हुआ है, वह बहुत गलत हुआ है, इसकी जहां पर चर्चा करनी है, वहां पर होगी, यहां पर नहीं होगी।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, क्या मणिपुर जैसी घटना सही मानी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष-

देखिए, बहुत सारी जगहें हैं, मैं कह रहा हूँ, यदि बंगाल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत, तो हम यहां पर नहीं तय करेंगे। केरल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत, हम यहां नहीं तय करेंगे। जो जहां का है, वहां वह लोग तय करेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ वरना खड़ा नहीं होता क्योंकि यह प्रदेश प्रधानमंत्री चुनता है। यह सबसे बड़ा प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष-

सबसे बड़ा प्रदेश पूरे देश भर के प्रदेशों की चर्चा थोड़े ही करेगा।

श्री अखिलेश यादव-

आज हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं। कौन-से प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते ?

श्री अध्यक्ष-

चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

कम से कम आज मौका है कि आप कुछ बोलकर देश की आवाज बन जायें।

श्री अध्यक्ष-

तो जहाँ पर बोलना था, बोला।

श्री अखिलेश यादव-

हम तो कहते हैं कि आप देश की आवाज बने। इसमें क्या खराबी है।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यगण 'निन्दा प्रस्ताव पास करो' का नारा लगाते हुए वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री अखिलेश यादव-

इसमें क्या खराबी है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जायें। इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी शामिल हो जाएंगे, आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज है।

[11:37] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइये। मैं नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूँ। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा तो मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूँगा। नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम-301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं हैं वह जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने नियम-301 की सूचनाएं अपने क्षेत्र की दी हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिन्ता करें। आपने नियम-301 के अन्तर्गत नोटिस दी है।

पहली सूचना माननीय श्री अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेम्बर हैं। इन्होंने बिजली से सम्बन्धित जो दुर्घटना हुई है, उसके बारे में बात की है। अवधेश प्रसाद जी आप अपनी सीट पर खड़े हो जाये तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। नियम-301 की सूचनाएं आप लोगों की विधान सभा से सम्बन्धित जो विषय आपने रखें हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो सूचनाएं लगायी हैं, आप उन सूचनाओं पर बोलिये, मैं आपको अवसर देता हूँ और आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूँगा। पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था परन्तु आज मैं आपको नियम-301 की सूचना पढ़ने का भी अवसर दूँगा। आप अपनी सीट पर जाकर नियम-301 की सूचना पढ़ सकते हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि बात करने के लिए इन्ट्रस्टेड हैं, तो आप अपनी सीट पर जाइये और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना पर सरकार कार्यवाही करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपने क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूँगा। चलिए, अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूँ।

आज दिनांक 07-08-2023 को नियम-301 की कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसलिए उनकी सूचना आज नहीं ली जायेगी। दूसरी सूचना श्री चंदन चौहान। चंदन चौहान जी अपनी सीट पर नहीं हैं, अतः उनकी सूचना नहीं ली जायेगी। तीसरी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल। डॉ0 पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, इसलिए उनकी सूचना नहीं ली जायेगी। डॉ0 राजेश्वर सिंह। डॉ0 राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जायेगी। श्री फरीद अहमद किदवई, अपनी सीट पर हैं, इनकी सूचना ली जायेगी। श्री लालजी वर्मा। श्री लाल जी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। वह हाथ नहीं खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जायेगी। श्री ओम प्रकाश सिंह। श्री ओम प्रकाश सिंह, अपनी सीट पर हैं, गुड ब्वाय आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, हम आपकी सूचना लेंगे। नहीं लेनी, यह चाहते हैं कि इनकी सूचना न ली जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय। मनोज कुमार पाण्डेय जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 ए0डी0 मार्ग पर पड़ने वाले भगवंत नगर का नाला बनाया जाना है। बारिश का समय है, यदि आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाये तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इन्ट्रस्ट नाला बनवाने में नहीं है, राजनीति करने में ज्यादा है, आपकी सूचना नहीं ली जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आज दिनांक 07 अगस्त, 2023 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से निम्नलिखित 13 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा सरोजनी नगर में कतिपय विद्यालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा में नए ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में हैं, तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत रवसहा के कतिपय विकास कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, चौथी सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद की जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के विधिमान्यता के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में धान क्रय केन्द्र तथा मण्डी बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने तथा तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर के बाई पट्टी के मार्ग

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम नगला से किरावली मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री रमेश जयसवाल की नगर पालिका परिषद प0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के अन्तर्गत जी0टी0 रोड सुभाष मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा के अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे स्थित ग्राम सभा मेढ़ा में पम्प कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर के केराकत से गाजीपुर जिला मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है तथा तेरहवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के विकास खण्ड निचलौल में कराये गए रि-वोर कार्यों का शासन स्तर से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी :-

श्री राम अचल राजभर, श्री तसलीम अहमद, श्री श्रीकान्त कटियार, श्री अभिताभ बाजपेई, श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू, श्री मोहन वर्मा तथा श्री विजयपाल आढ़ती।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में कतिपय विद्यालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित विद्यालयों को उच्चीकृत कराए जाने की माँग की जा रही हैं :-

1-ग्राम सभा चन्द्रावल, विकास खण्ड सरोजनी नगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय चन्द्रावल को उच्चीकृत करते हुए हाई स्कूल/इण्टर कालेज स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

2-ग्राम पंचायत बेंती, विकास खण्ड सरोजनी नगर में राजकीय हाई स्कूल बेंती को उच्चीकृत करते हुए इण्टर कालेज स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

3-ग्राम पंचायत नानमऊ, विकास खण्ड सरोजनी नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय नानमऊ को उच्चीकृत करते हुए हाई स्कूल तक स्वीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में।

4-ग्राम सभा लतीफनगर, विकास खण्ड सरोजनी नगर में प्राथमिक विद्यालय लतीफनगर को उच्चीकृत करते हुए जूनियर हाई स्कूल अथवा हाई स्कूल तक स्वीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-ग्राम पंचायत माती, विकास खण्ड सरोजनी नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय माती को उच्चीकृत करते हुए राजकीय हाई स्कूल तक स्वीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में।

6-नगरीय क्षेत्र बिजनौर के 03 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करते हुए राजकीय हाई स्कूल स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

ग्रामीण अंचलों में प्रायः लड़कियों के लिए नजदीक विद्यालय न होने के कारण आगे की शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है। स्थानीय जनता द्वारा उक्त राजकीय विद्यालय को उच्चीकृत कराए जाने की लगातार मांग की जाती रही है, किन्तु अभी तक उक्त विद्यालयों को उच्चीकृत नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा क्षेत्र में नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा घोषित एक आदेश जिसके चलते जनपद में जितने भी ट्रान्सफार्मर हैं जिनकी क्षमता बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से कम हो गयी है। जिसके वजह से वोल्टेज कम आता है, की क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है और नये ट्रान्सफार्मर भी लगाये जायें या तो पुराने ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ायी जाय तथा जितने बिजली के पोल पर लगे तार जर्जर हो गये हैं उनको तत्काल बदलकर नये तार लगाये जाने की आवश्यकता है। यह लोक महत्व एवं जनहित की समस्या से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत रवसहा के कतिपय विकास कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदौरा कार्यालय आदेश दिनांक 5-7-2023 क्रम में ग्राम पंचायत रवसहा में आई0 जी0 आर0 एस0 संख्या-40019523008830 शिकायत की जांच के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 6-7-2023

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का श्री प्रभाकर पाण्डेय, स0 अ0 वि0 भदौरा गाजीपुर द्वारा टी0 ए0 श्री अजय कुमार ने संयुक्त रूप से शिकायत की जांच की गयी जिसकी जांच आख्या निम्नवत् है :-

1-पक्का नाला का निर्माण ग्राम पंचायत रवसहा में राजदेव यादव के घर से गांव के बाहर बाध के पास तक कराया गया है।

2-पक्के नाले की लम्बाई 385.0 मीटर चौड़ाई 50 मीटर एवं गहराई 40.0 सेमी0 है। राजदेव यादव के घर से 130 मीटर के बाद 20 मीटर नाला की बाहरी दीवार मिट्टी कटान के कारण खेत की तरफ गिर गयी है।

3-राजदेव यादव के घर से 240 मीटर के बाद नाला की बाहरी दीवार 40 मीटर सपोर्ट सही नहीं होने के कारण खेत की तरफ झुक गयी है। पक्का नाला आबादी के पास एवं रोड़ की तरफ जिधर सपोर्ट है सही स्थिति में है।

4-पक्का नाला की दीवार कही-कहीं फटी हुई एवं ऊपर से एक रद्दा उखड़ी हुई है। उपरोक्त कार्यों की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिला पंचायतों द्वारा जनपदों में भवन निर्माण हेतु मानचित्र पास किये जाने का प्रावधान है। इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। प्रदेश भर में बहुतायत में नक्शे पास भी होते हैं किन्तु अन्य कतिपय निकाय उन स्वीकृत मानचित्रों को मान्यता देने में आनाकानी करते हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऐसी विसंगतियां संज्ञान में आती रहती हैं। जिला पंचायत द्वारा भवन आदि मानचित्रों की स्वीकृति किस प्रावधान के तहत् दी जाती है तथा उनकी विधिमान्यता सम्बन्धी स्पष्ट दिशा-निर्देश राज्य के सभी निकायों को दिया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में धान क्रय केन्द्र तथा मण्डी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत मण्डी परिषद् में खाद्य एवं विपणन शाखा द्वारा धान क्रय

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केन्द्र संचालित किए जाते थे परन्तु इस वर्ष कोला घाट, रामगंगा नदी पर पुल टूट जाने के कारण विकास खण्ड मिर्जापुर एवं कलान के कृषकों को अपनी धान की उपज का समर्थन मूल्य दिए जाने हेतु जलालाबाद मण्डी परिषद को आवागमन ठप्प हो गया है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी शाहजहाँपुर को धान क्रय केन्द्र स्थापित कराये जाने हेतु अवगत कराया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि विकास खण्ड मिर्जापुर, कलान में धान की उपज कम होती है जिस कारण उपरोक्त जगह धान क्रय केन्द्र नहीं स्थापित किये जा सकते हैं, जबकि दोनों ब्लाकों में गन्ना की फसल नाम मात्र पैदा की जाती है, पूरी जमीन पर केवल व केवल धान, गेहूं की ही फसल पैदा होती है। उपरोक्त विकास खण्ड कलान के ग्राम कुण्डरिया पंचायत घर, परौर पंचायत घर तथा विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम ककोड़ा, श्री शंकर जी शिक्षा सदन उ0मा0 विद्यालय में विपणन शाखा द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कृषकों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य मिल सके।

जनपद-शाहजहाँपुर के पड़ोसी जनपद बरेली में मण्डी क्षेत्र बरेली फरीदपुर में मण्डी न होने के कारण खाद्य एवं विपणन शाखा द्वारा विकास खण्ड कुआडॉडा, जनपद बरेली में धान क्रय केन्द्र संचालित किए गए। उसी तर्ज पर मण्डी क्षेत्र कटरा, जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत ब्लाक जैतीपुर परिसर में विपणन शाखा द्वारा धान क्रय केन्द्र स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। जबकि जैतीपुर से मण्डी परिषद् तिलहर एवं जलालाबाद की दूरी लगभग 30 से 40 किमी0 है व रोड निर्माणाधीन है तथा दो रेलवे फाटक भी पड़ते हैं जिस कारण कृषकों को अपनी उपज मण्डी परिषद् ले जाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में खाद्य एवं विपणन अधिकारी शाहजहाँपुर अपनी हठधर्मिता के कारण सरकार की मंशा के विपरीत कृषकों को समर्थन मूल्य न मिल सके। विपणन शाखा के धान क्रय केन्द्र संचालित नही किए जा रहे हैं।

अतः नियम-301 के इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त स्थानों पर खाद्य एवं विपणन शाखा के धान क्रय केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने तथा तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[महोदय, तहसील बिलारी, जिला-मुरादाबाद की नगर पालिका परिषद् बिलारी में जर्जर बन्च केबिलों को हटाकर उनके स्थान पर नये विद्युत तारों को बिछवाने, ओवरलोड का शिकार झेल रहे पुराने ट्रांसफार्मरों के स्थान पर क्षमता वृद्धि किये जाने वाले ट्रांसफार्मरों के सम्बन्ध में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दो माह पूर्व शासन से बजट भी जारी हो गया था, बजट जारी होने के बाद टेन्डर भी हो गया था। परन्तु दो माह बीतने के बावजूद भी अभी तक बिलारी में जर्जर बंच केबिलों को हटाया नहीं जा सका है और न हीं ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हो पाई है। लगातार जर्जर तार टूट-टूट कर गिर रहे है, ओवरलोड होने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति भी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के नगर पालिका परिषद् बिलारी में जर्जर बंच केबिलों को अतिशीघ्र बदलवाये जाने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता अतिशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर के बाईं पट्टी के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर की बाईं पटरी पर निर्मित सिंचाई विभाग की सड़क लगभग 15 किमी0 की लम्बाई में रानेपुर पुल से नरौली विगनिया पुल से अमानीगंज पुल तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके कारण इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांव के छात्र-छात्राओं, किसानों व आमजन को आवागमन में कठिनाई हो रही है। कई बार जिले की बैठकों में व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मेरे द्वारा भी उक्त मार्ग की मरम्मत कराने हेतु लिखित व मौखिक रूप से निवेदन किया गया। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण क्षेत्रवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त नहर की पटरी की मरम्मत कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम नगला से किरावली मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 91-फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम नगला श्यौराम से वाया अभुआपुरा से किरावली कागारौल मार्ग तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है। आम जनमानस को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड सुभाष मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पालिका परिषद पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) के अन्तर्गत जी0टी0 रोड सुभाष पार्क से सुभाष नगर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 2.0 किमी0 है, जो पिछले कई वर्षो से नहीं बन पाया है, जिससे राहगीरों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्थानीय नगरवासियों द्वारा प्रशासन स्तर व विभागीय स्तर पर अनेकों बार शिकायतें की गई हैं, परन्तु इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जनहित में इस समस्या का निदान कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि उक्त नगरवासियों व ग्रामवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्वनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे स्थित ग्राम सभा मेढ़ा में पम्प कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे स्थित ग्राम-मेढ़ा में पम्प कैनाल की स्थापना कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। विधान सभा के आखिरी छोर पर स्थित ग्राम सभाओं में किसानों को सिंचाई कार्य करने में कठिनाईयां होती हैं। पम्प कैनाल की स्थापना से अगल-बगल के लगभग 25 से ज्यादा ग्राम सभाओं के किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा प्राप्त होगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के केराकत से गाजीपुर जिला मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[महोदय, जनपद जौनपुर में जौनपुर, केराकत, ओड़िहार, गाजीपुर जिला मार्ग था, जो अब एन0एच0 हो गया है। जब से एन0एच0 बना तब से आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। पुरानी रोड है, इस समय वर्षा से अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने से जगह-जगह जल भराव रहता है, वहाँ दुर्घटनाएं अत्यधिक हो रही हैं। उक्त मार्ग पर आवागमन बहुत ज्यादा रहता है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तुरन्त अगर पैच बनाकर जगह-जगह मरम्मत नहीं किया गया तो हालात और खराब हो जायेंगे, इसे तुरन्त बनाने की भी आवश्यकता है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि उक्त मार्ग का निर्माण हो जाये।]

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ की मेरी विधान सभा क्षेत्र-176 मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कालेज न होने के कारण वहां के निवासियों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा शिक्षा ग्रहण करने हेतु घर से कई किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने की मांग वहां के निवासियों द्वारा पहले से की जा रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने एवं शिक्षा प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के विकास खण्ड निचलौल में कराये गये रि-बोर कार्यों का शासन स्तर से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पेटल-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद महरागंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिसवां के वि0ख0 निचलौल में कराये गये रि-बोर कार्यों की शासन स्तर से त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर जाँच कराना अति आवश्यक है क्योंकि वि0ख0 की सभी ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर रि-बोर कराने में भारी धांधली हुई है। जिन ग्राम पंचायतों में रि-बोर हुआ है उन ग्राम पंचायतों की जांच त्रिस्तरीय जांच कराना जनहित में आवश्यक है ।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

[11:41] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत आज 01 सूचना श्री अभय सिंह जी ने दी है। श्री अभय सिंह जी मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के गठन के सन्दर्भ में आपकी सूचना

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते है तो इसको नहीं सुना जायेगा। वो सुनाने के लिए तैयार नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्यों को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग विधान सभा के सदस्यों का बर्थडे विश कीजिये। आप लोग बैठ जाईये। आप लोग अपने सदस्यों का बर्थडे विश नहीं करेंगे ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला, निर्वाचन क्षेत्र सहजनवा, जिला-गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा से प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यदेव शुक्ला है। आपका जन्म 07 अगस्त, 1981 को संतकबीरनगर में हुआ था। अपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नफीस अहमद, निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा से द्वितीय बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री अल्ताफ अहमद खान है। आपका जन्म 07 अगस्त, 1980 को आजमगढ़ में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, निर्वाचन क्षेत्र उतरौला, जिला बलरामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा से द्वितीय बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री श्याम लाल वर्मा जो पूर्व विधायक थे। आपका जन्म, 07 अगस्त, 1983 को ग्राम-इमलिया, वांग्घुसरा, बलरामपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की माननीय सदस्य श्रीमती मंजू त्यागी, निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर, जिला लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा से द्वितीय बार निर्वाचित होकर आयी हैं। आपके पिता का नाम श्री मुकेश चन्द्र है। आपका जन्म 07 अगस्त, 1982 को ग्राम सवासी, सीतापुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर, बी0एड0 तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवां संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या- 13 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश

---

† छापा नहीं गया।

के दिनांक 28 फरवरी, 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 †

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 मार्च, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 03 मार्च, 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-19

बदली हुई परिस्थितियों के आलोक में नई नियमावली प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

यह मद बहुत महत्वपूर्ण है। 1958 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली बनी। 1958 के बाद लगभग 65 वर्ष के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करने के पश्चात् अब नई नियमावली प्रख्यापित हो रही है क्योंकि 1958 में जो परिस्थितियाँ थी, उस समय न टैबलेट था, न फोन था, न कुछ था तो तब और आज 65 वर्ष बाद बहुत अन्तर आया है। नई नियमावली प्रख्यापित करने के लिए आज इस सदन में प्रस्तुत हो रही है। यह सारी नियमावली आज सब लोगों को मिल जायेगी। इसके ऊपर चर्चा के लिए मैं अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है 65 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश विधान सभा से सम्बन्धित जो कार्य-संचालन नियमावली है, उसके लिए भी आप गम्भीर नहीं है तो फिर किसके लिए गम्भीर होंगे। मेरा आप से फिर से निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जायें और इस नियमावली के बारे में आप उसको सुने, उसको पढ़े और अपने सुझाव दें ताकि आगे आने वाले समय में इसको अच्छी तरह से किया जा सके। जो नई नियमावली प्रख्यापित करने के लिए यहाँ पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है, आप अपनी सीट पर चलें, उसको देखें। मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि सब लोगों को सीट पर वापस

---

† छापा नहीं गया।

भेजें। आप तो बहुत समझदार हैं आप तो उन लोगों से बैठने के लिए बोलें कि नई नियमावली प्रख्यापित हो रही है, 65 सालों के बाद कितनी महत्वपूर्ण बात है।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 से सम्बन्धित)†

श्री रामपाल वर्मा-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा की ''नियम समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 2023 से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 हेतु पुरानी नियमावली, 1958 के नियम-251(क) में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन को कालावधि मानने विषयक प्रस्ताव

श्री रामपाल वर्मा-

मान्यवर, इसी प्रतिवेदन से सम्बन्धित एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं इस प्रस्ताव को रख दूँ।

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि 'उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958' के नियम-251 (क) में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन के उपवेशन की समाप्ति को कालावधि समझी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-251 (क) में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन के उपवेशन की समाप्ति तक कालावधि समझी जाय। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों, वह कृपया हां कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों, वह नहीं कहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-20 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-21

---

† छापा नहीं गया।

[11:52] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की याचिकाएं हैं अगर वह सीट पर बैठे होंगे तो उनकी याचिका स्वीकार की जायेगी। जो मा0 सदस्य अपने आसन पर न जाकर वेल में मौजूद रहेंगे उनकी याचिकाएं प्रस्तुत नहीं मानी जाएंगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत सदस्य विधान सभा की महाराजा अग्रसेन नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ में पाण्डेय काम्प्लेक्स से लेकर न्यू एरा इण्टर कालेज, लखनऊ के गेट नं0-01 तक सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती शिमला देवी, निवासी सीतापुर रोड, लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य विधान सभा के वेल में होने के कारण जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम बम्हेरा में स्थित तालाबों पर हुए अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रेम नरायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग गोड़वा पक्की सड़क से थड़क्की पट्टी सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रज माधव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका †

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के नवाबगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम शिवरई मठ मजरा रशीदाबाद वल्लभ से जहांनपुर लगभग 700 मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में रामपुर से कुनुहा डेरा शिवरी घाट में रिन्द नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू निषाद व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज भरपुरवा में नव निर्माण/वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चिन्ताराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के पसका में 33/11 के0वी0 पावर हाउस स्थापना की जाने के सम्बन्ध में श्री जंग बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी सदर के ग्राम आलापुर से मुबारकपुर तक पक्की सड़क निर्माण कराये गये के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका †

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर अन्तर्गत सदनशाह से बुढ़वार पी0एम0जी0एस0 मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा के वेल में होने के कारण जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत नगर बिलारी में स्थित प्राचीन मंदिर पौड़ाखेड़ा को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री चिराग अग्रवाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत दामोदरपुर उर्फ डिहवा को होती हुई गंगा नदी तक जाने वाली सड़क का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य, निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की नगर पंचायत एका के दत्तगढ़ में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत गोसाईगंज में नहर की माइनर किमी0 10 पर 8.50 मी0 पक्की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार तिवारी व अन्य, निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दरशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत ग्राम नगला जीराजपुर से बम्बे की पटरी, पटरी ग्राम मनापुर तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा के वेल में होने के कारण जिला फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जेवड़ा में साईबाबा के मंदिर से धर्मवीर के घर तक का सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में मेडिकल कालेज के सामने सेवा अस्पताल के बगल वाली गली से गोविन्द यादव के घर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द यादव निवासी जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के बहरियाबाद तिराहा से भरतपुर होते हुए आजमगढ़ सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकान्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला इलाहाबाद से ग्राम गांगरौला तक काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमन्त कुमार गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बी0के0टी0 के विकास खण्ड चिनहट, गंगोत्री विहार, फेस-2, भैंसोरा, खरगापुर, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ स्थित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा के वेल में होने के कारण जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत भोपा रोड से तिस्सा तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका †

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर कस्बे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर में 50 शैय्या का मैटरनिटी विंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जिला आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम पनवारी में कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया के अन्तर्गत देवरिया-गोरखपुर रोड से बैतालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम सभा बलुआ, बाजार होते हुए गौरीबाजार हाटा सम्पर्क मार्ग तक टू लेन पिच रोड (लम्बाई लगभग 12 किमी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के नानपारा शहरी भाग में सआदत इण्टर कालेज से रूपइडिहा मार्ग एन0एच0 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील उरई के अन्तर्गत एट बंगरा भीकेपुर स्टेट हाई-वे पर एट के पास रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिंस निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री राम फरेन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फरेन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत मथुरा घाट पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज दुबे व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई ।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के वेल में होने के कारण जनपद रायबरेली के अन्तर्गत बछरावां-महाराजगंज पक्के से सलेथू तक पक्के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष त्रिपाठी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप अपने आसन पर चलें, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें सब के साथ मिल कर तय होती है और सभी सहमति व्यक्त करते हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने आसन पर चलें।

---

† छापी नहीं गयी।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से नारेबाजी करते रहने पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 अगस्त, 2023 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 07 अगस्त, 2023 से दिनांक 11 अगस्त, 2023 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 07 अगस्त, 2023 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जाएं।

2-दिनांक 07 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया जाये तथा दिनांक 07, 08 अगस्त, 2023 को उक्त प्रतिवेदन में संशोधन प्राप्त कर दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उक्त प्रतिवेदन के संशोधन पर चर्चा करा ली जाये, तदुपरान्त सत्र के अन्तिम दिन सदन के पटल पर रखे जाने की कालावधि पूर्ण मानी जाएगी।

3-मा0 सदस्य जिन्हें अभी तक सदन में बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, उनको दिनांक 08 अगस्त, 2023 को सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

4-दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-103 के अन्तर्गत गत सत्र के चर्चाधीन एवं प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राह्य प्रस्ताव ले लिये जायें।

तद्नुसार दिनांक 07 अगस्त, 2023 से दिनांक 11 अगस्त, 2023 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>अगस्त, 2023</u>

07 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
	2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
	3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
08 मंगलवार	1-विधायी कार्य।
	2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
09 बुधवार	1-विधायी कार्य।
	2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
10 गुरुवार	1-विधायी कार्य।
	2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

11 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

जिन माननीय सदस्यों को अभी तक सदन में बोलने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है उनको दिनांक 08 अगस्त, 2023 को सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया जायेगा, अगर आज भी इस प्रकार के कुछ सदस्य हैं यदि वह मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं आज भी उन्हें सुन लूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, कोई नहीं है।

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष महोदय, मा0 योगी जी की सरकार जिस दिन से आयी है, उस दिन से अपराधों में कमी हुयी है, हमारे पास आंकड़े हैं और आज पब्लिक परसेप्शन यह है कि पूरा देश उत्तर प्रदेश को आज हर मामले में रोल मॉडल मानकर नकल करना चाहता है। यह लोग केवल आन्दोलन और विधान सभा का समय खराब कर रहे हैं। इनको चर्चा करनी चाहिए, इनको अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार हर तरह से तैयार है और मान्यवर, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। महिलाओं के प्रति हो या बच्चों के प्रति हो, चाहे आमजन हो, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रोल मॉडल बनी हुयी है। पूरे प्रदेश में जहां कहीं अपराध हुये वहां जीरो टोलरेंस के तहत उन्हें सजा दी गयी। उसमें कोई कोताही नहीं बरती गयी, कम से कम समय में पॉक्सो ऐक्ट में उन्हें सजा दी गयी। यह लोग केवल समय खराब कर रहे हैं, यह लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की कार्यवाही थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि अगर आप सभी मा0 सदस्य अपनी सीट पर चलें तो आपकी हर बात का जवाब मा0 मुख्य मंत्री जी,

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी देने को तैयार है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि सदन का समय थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जो पुरःस्थापित होने हैं। मैं सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी)

(12 बजकर 33 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(अपराह्न 12 बजकर 43 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(वेल में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य मणिपुर पर निन्दा प्रस्ताव पारित करो, पारित करो के नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान जारी रहा।)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर जिस तरह की घटनायें हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष-

मा0 शिवपाल सिंह जी, दो मिनट के बाद कार्य-स्थगन का मद आ रहा है। कृपया बैठ जाइये।

नोट :-† दिनांक 07-08-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(श्री शिवपाल सिंह यादव के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान)

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शिवपाल सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मणिपुर प्रदेश में स्थिति बहुत भयावह है । ...

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सवेरे ही बात कर ली है। मैंने नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया था, वह मेरी बात से सहमत थे। कृपया आप बैठिये।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

नोट :-† दिनांक 07-08-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नोट :-† दिनांक 07-08-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

नोट :-† दिनांक 07-08-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† दिनांक 07-08-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

[12:54] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप पहले सदन व्यवस्थित करा दें फिर मैं सुनूंगा। आप इन लोगों को इनकी सीट पर भेज दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें फिर मैं बिठा दूंगा।

नोट :-† दिनांक 07-08-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

हर मा0 सदस्य की एक-एक सीट है, सबका नाम लिखा हुआ है, सबके नम्बर हैं। मैं आपको पांच मिनट सुनूंगा।

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग (क्रमागत)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय शिवपाल जी ने आपके पास एक प्रस्ताव भेजा है। वह इस सदन की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रस्ताव है। अगर देश के किसी भी भाग में इस तरह की वीभत्स घटना हो जाए और उसकी हम निन्दा करेंगे तो इससे इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ कि उस प्रस्ताव को ग्राह्य करते हुए उस पर इस सदन में चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रस्ताव अग्राह्य है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह लगातार पीठ की अवहेलना कर रहे हैं। पीठ से बार-बार यह निर्देश दिया गया, उसके बाद भी लगातार उसकी अवहेलना हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह उम्मीद नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप स्वयं देख लें। हमारे पास नियमावली है। नियमावली के नियम-110 में आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

क्या नियमावली के नियम-110 में यह लिखा है कि किसी भी राज्य के बारे में चर्चा की जा सकती है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पीठ की लगातार अवहेलना हो रही है। यह सही नहीं है। विधान सभा के मा0 अध्यक्ष जिस उपवेशन में एक विषय को मना कर चुके हैं, बार-बार उसी विषय के लिए आग्रह करना यह पीठ के निर्देशों की अवहेलना है। यह गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत आज उत्तर प्रदेश में वर्षा न होने के कारण कहीं सूखे की स्थिति है और कहीं-कहीं अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति है। आप नियम-56 पर बोलिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए और क्या हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश

में अतिवृष्टि और सूखा दोनों की स्थिति है। आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। आप क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप पूरे प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप सूखा और अतिवृष्टि पर बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे रहते हुए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में गलत परम्परा नहीं पड़ सकती है।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी करने पर घोर व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह लोग दूसरे राज्यों से बयाना लेकर आये हैं और उस कमिटमेन्ट को सदन से पूरा कराना चाहते हैं। इसका उत्तर प्रदेश राज्य से कोई वास्ता नहीं है।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी करने पर घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में जो समस्या है, मेरा आपसे एक और आग्रह है।

(घोर व्यवधान जारी)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आपकी पार्टी की एक और सूचना है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, वह भी मैंने स्वीकार की है। आप प्रदेश में महंगाई के बारे में बात कर रहे थे और टमाटर डाल कर आए थे वह भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप उसको नही सुनाना चाहते हैं। आप दूसरे प्रदेश की ज्यादा चिन्ता कर रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की समस्याओं के बारे में चिन्ता नहीं है। आप उसके ऊपर चिन्ता करिए मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपकी सुनूंगा यह मेरा वादा है, लेकिन जो ग्राह्य है वह बोलिए नहीं तो मैं नहीं सुनूँगा। सॉरी।

नियम-56 के अन्तर्गत आज जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जिस विषय से प्रदेश की विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी, कोई किसी के प्रति आक्षेप नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, पीठ की लगातार अवहेलना हो रही है। यह ठीक नहीं है, यह गलत परम्परा है। यह पीठ की अवहेलना है।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उस घटना पर आपने दुःख जताया है, जब आपने दुःख जताया है, जब आप उस घटना की निन्दा का प्रस्ताव करेंगे, तो उससे इस सदन की गरिमा बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं, तो देश में हर प्रदेश में क्या हो रहा है, हम निन्दा करके उत्तर प्रदेश की गरिमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वह सब अपना देखें और हम अपना देखेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर उससे गरिमा बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। जहां पर भी इस तरह की घटना हो हमको उसकी निन्दा करनी चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब नहीं सुनेंगे। नियम-56 के अन्तर्गत कुल-08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री उमाशंकर सिंह और श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की है। प्रदेश में अनियमित वर्षा होने से किसानों की फसल खराब होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय उमाशंकर सिंह जी आप बोलिए। वर्मा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपने मेरी गरिमा मुझे बता दी थी कि यह नहीं सुना जा सकता है। आपको भी पता है कि नहीं सुना जा सकता है और मुझे भी पता है कि नहीं सुना जा सकता है। उमाशंकर जी आप बोलिए। आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड में आ रही है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐसे में नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आगे जब नोटिस आएगी तब देखेंगे। कोई भी विषय किसी से भी सम्बन्धित हो यह भी मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि नियम-56 के अन्तर्गत यदि कोई एक विषय ग्राह्यता पर ले लिया गया है, तो उस सत्र में वह दोबारा नहीं लिया जाएगा। यह भी मैं बता रहा हूँ। उस सत्र में दोबारा नहीं लिया जा सकता है, यह भी नियम है। माता प्रसाद पाण्डेय जी इस

बात को जानते हैं और मेरी बात से सहमत हैं। एक विषय नियम-56 के अन्तर्गत जो स्वीकार हो गया है, उसको मैं इस सत्र में दोबारा नहीं लूंगा, क्योंकि यह नियमावली कहती है, मैं नहीं कहता हूं तो अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर चर्चा करनी है तो आप बोलिए। आप भी बोलिए वर्मा जी और आपको मालूम है कि मैं बाद में इसको नहीं लूंगा। आपको पता है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है तो आप उसको बोल सकते हैं। एक बार उस सत्र में अगर एक विषय को ले लिया गया है सुनने के लिए, तो उस सत्र में दोबारा नहीं लिया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कल ले लो तो मैं नहीं लूंगा। आज आपके पास अवसर है, आप बोलिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि आप इसको अभी स्वीकार करने के बजाय इसको आगे बढ़ाइए।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि यह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

अगर यह महत्वपूर्ण है, तो फिर आप बोलिए। पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। आपका माइक ऑन है और पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इस पर दो दिन चर्चा की बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप पहले विषय तो रखिए अभी तो ग्राह्यता के ऊपर आप नहीं बोले हैं। चर्चा की आप पहले बात कर रहे हैं। पहले ग्राह्यता के ऊपर बोलेंगे तब तो चर्चा होगी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसको आगे बढ़ा दीजिए।

(श्री रविदास मेहरोत्रा जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, आप बोलिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको आगे बढ़ा लीजिये। व्यवस्था देना आपका अधिकार है। सदन में व्यवस्था बनाना आपके अधिकार क्षेत्र में है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी, मैंने आपकी बात मान ली है। हम इसको स्थगित कर रहे हैं।

मा0 मोना जी, आप तो इण्डिया की बात कर रही हैं। आप इण्डिया की बात कर रही हैं, तो इनको वापस भेजिये और बोलिये। आप सब तो एक ही हैं। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ, आप बोलिये। आप इनसे कहिये कि अपने स्थानों पर वापस जायें।

मणिपुर की घटना के सम्बन्ध में सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग (क्रमागत)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इण्डिया की ही बात कर रही हूँ। मैं जिस मणिपुर के बारे में बोलना चाहती हूँ, वह इण्डिया का ही हिस्सा है। मणिपुर विदेश में नहीं है, बल्कि वह इण्डिया का ही हिस्सा है, इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये। आप इस पर चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूँ कि केरल भी इण्डिया का हिस्सा है। मैं कह रहा कि बंगाल भी इण्डिया का हिस्सा है, लेकिन उनकी चर्चा इस सदन में नहीं हो सकती।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विषय इण्डिया की बेटियों के सम्मान का विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

[01:00] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं।

पहली सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर के जिला पंचायत में दिनांक 03-07-2021 से वर्तमान तक किये गये अधोमानक कार्यों के भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर के नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत में सीवर लाइन सफाई एवं नये सीवर लाइन का कार्य सही ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डॉ0 रागिनी की प्रदेश के आयुष विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में है

तथा पांचवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' की कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विषधन-अर्मापुर फोर लेन मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के गंज फतेहपुर चौराहे से केवलानन्द निगम धामगंज तक क्षतिग्रस्त सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड चरथाल में कतिपय सड़क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती गुड़िया कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में ग्राम पंचायत कुशगवां अहिरान में खेल मैदान हेतु कतिपय सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज अझारा को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा कतिपय घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कमलाकान्त राजभर की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज में जर्जर तार बदलवाने व ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में पशुओं के लिये चारे की किल्लत, अतिवृष्टि से लोगों के घरों के गिरने/परिवारजनों की मृत्यु के मुआवजा के सम्बन्ध में है तथा आठवीं सूचना श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मुंगराबादशाहपुर कस्बे में जर्जर तार बदलवाने व ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री अतुल प्रधान, श्री चन्दन चौहान, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री अवधेश प्रसाद, श्री मनोज कुमार पारस, श्री नीरज बोरा, श्री वीर विक्रम प्रिंस, श्रीमती पल्लवी पटेल, श्री ओम प्रकाश, श्री अनिल कुमार, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री उमाशंकर सिंह, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री लालजी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री तसलीम अहमद, श्री विपुल दुबे, श्री राम चन्द्र यादव, श्री बाबूलाल, श्री आशुतोष शुक्ल, श्री राजेश्वर सिंह, श्री राम सिंह, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अनिल प्रधान, श्री अजय सिंह, श्री विजय पाल आढ़ती, श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रमेश जायसवाल, श्री अमरेश कुमार तथा इंजी0 सरवन कुमार निषाद।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 07 अगस्त, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-25-26 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर का संलग्नक।

भारत सरकार द्वारा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धित आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति हेतु ''एकीकृत बाल विकास सेवायें'' (आई0सी0डी0एस0) दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गयी थी। समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं :-

1-अनुपूरक पोषाहार

2-स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण)

3-स्वास्थ्य जाँच

4-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

5-स्कूल पूर्व शिक्षा

6-सन्दर्भन सेवायें

विभाग द्वारा वर्तमान में लगभग 2.06 करोड़ लाभार्थियों को विभागीय सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम-

बच्चों एवं महिलाओं को कैलोरी व प्रोटीन सम्बन्धी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिमाह निर्धारित मात्रा में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस0ए0जी0)-

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस0ए0जी0) के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देश के क्रम में प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों में 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं को पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिमाह निर्धारित मात्रा में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज-

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों के पोषण स्तर के सही चिन्हांकन एवं नियमित वृद्धि निगरानी हेतु 04 प्रकार की ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज यथा-इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, चाइल्ड वेइंग स्केल व एडल्ट वेइंग स्केल उपलब्ध करायी गयी है, जिसके माध्यम से नियमित

वजन एवं माप का अंकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित ''पोषण ट्रैकर'' पर किया जा रहा है।

सम्भव अभियान-

बच्चों के पोषण स्तर का चिन्हांकन एवं आवश्यकतानुसार उपचार हेतु सन्दर्भन तथा पोषण सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तन के लिए विभाग द्वारा सम्भव अभियान माह जुलाई से सितम्बर के मध्य आयोजित किया जाता है।

पोषण पाठशाला अभियान-

विभाग के लाभार्थियों व जनमानस में पोषण सम्बन्धी जागरूकता हेतु विभाग द्वारा पोषण पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। शीघ्र स्तनपान, केवल स्तनपान तथा पूरक आहार विषय पर वेबकास्ट के माध्यम से अब तक 04 पोषण पाठशालायें आयोजित की गयी हैं।

समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन-

वर्ष 2018 से पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह समुदाय आधारित गतिविधियों यथा-अन्नप्राशन, गोदभराई, सुपोषण दिवस, वॉश डे, वजन दिवस आदि का आयोजन किया जाता है।

पोषण माह व पोषण पखवाड़ा का आयोजन-

सामुदायिक जन सहभागिता व पोषण के प्रति जन-जागरूकता हेतु वर्ष 2018 से प्रति वर्ष सितम्बर माह में पोषण माह व मार्च माह में पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है।

बेबी रानी मौर्य मंत्री,

मंत्री।

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-49 पर)

लेबल-1 से लेबल-3

क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	लखनऊ	भावराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर लखनऊ	12	9	3
2	लखनऊ	लोक बन्धु राज नरायण, संयुक्त चिकित्सालय	47	25	22
3	लखनऊ	रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम, लखनऊ	16	6	10
4	लखनऊ	राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय, सादामऊ बी0के0टी0 लखनऊ	24	19	5
5	लखनऊ	टी0बी0 सह संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ	22	13	9
6	हरदोई	100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय हरदोई।	31	11	20
7	बुलन्दशहर	एस0एस0एन0जी0 चिकित्सालय, खुर्जा, बुलन्दशहर	4	3	1
8	हापुड़	जिला संयुक्त चिकित्सालय, हापुड़	17	15	2
9	मेरठ	स0व0मा0प0 चिकि0 मेरठ	6	4	2
10	गाजियाबाद	जिला संयुक्त चिकित्सालय संजयनगर गाजियाबाद	31	15	16
11	बागपत	जिला संयुक्त चिकित्सालय बागपत	29	11	18
12	गौतमबुद्धनगर	राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर	26	10	16
13	सम्भल	जिला संयुक्त चिकित्सालय सम्भल	21	2	19
14	अमरोहा	जिला संयुक्त चिकित्सालय अमरोहा	29	10	19
15	बरेली	महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली	26	2	14
16	आजमगढ़	100 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौलिया, आजमगढ़	30	12	18
17	आजमगढ़	100 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय तरवां, आजमगढ़	23	0	23
18	वाराणसी	पं0 दीन दयाल उ0 राज0 चिकि0 वाराणसी	28	18	10
19	वाराणसी	एल0बी0एस0 रामनगर चिकि0 वाराणसी	19	12	7
20	चन्दौली	प0क0प0त्रि0 जिला संयुक्त चिकित्सालय चन्दौली	45	18	27
21	चन्दौली	जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया, चन्दौली	15	13	2
22	चित्रकूट	संयुक्त जिला चिकित्सालय, चित्रकूट	33	9	24

क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
23	सोनभद्र	जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र	17	11	6
24	भदोही	एम0बी0एस0 चिकि0 भदोही	14	7	7
25	प्रयागराज	टी0 बी0 सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज	32	19	13
26	प्रतापगढ़	100 बेड चिकित्सालय प्रतापगढ़ अधीन मु0चि0अ0 प्रतापगढ़	31	0	31
27	कौशाम्बी	जिला संयुक्त चिकित्सालय, कौशाम्बी	21	15	6
28	फिरोजाबाद	जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	17	9	8
29	मथुरा	जिला संयुक्त चिकित्सालय, वृन्दावन, मथुरा	23	5	18
30	अलीगढ़	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पं0 दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय, अलीगढ़	23	8	15
31	अलीगढ़	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय अतरौली, जनपद अलीगढ़	24	2	22
32	हाथरस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय हाथरस	7	8	-1
33	कानपुर	मा0 कांशीराम संयुक्त चिकि0 एवं ट्रामा सेन्टर कानपुर नगर	33	18	15
34	कानपुर	के0पी0एम0 चिकित्सालय कानपुर नगर	17	6	11
35	औरैया	जिला संयुक्त चिकित्सालय, औरैया (50 शैय्यायुक्त)	11	5	6
36	कन्नौज	जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज	25	11	14
37	कन्नौज	100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय छिबरामऊ/ कन्नौज	20	5	15
38	अयोध्या	100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, कुमारगंज, अयोध्या	30	11	19
39	बाराबंकी	100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, सिरौली गौसपुर	29	15	14
40	अमेठी	200 शैय्यायुक्त जिला रेफरल चिकित्सालय, तिलोई	27	7	20
41	अमेठी	जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौरीगंज	31	17	14

क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
42	बलरामपुर	जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर	28	5	23
43	श्रावस्ती	जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती	29	17	12
44	गोरखपुर	100 शैय्यायुक्त क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर	23	3	20
45	कुशीनगर	जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	21	12	9
46	महराजगंज	जिला संयुक्त चिकित्सालय, महराजगंज	36	16	20
47	सिद्धार्थनगर	जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर	27	7	20
48	संतकबीरनगर	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर	45	21	24
			1175	**507**	**668**

नत्थी (ग)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-88 का उत्तर पीछे पृ0सं0-87 पर)

Chc Ramnagar Bbk

Figure In Lakhs

FY 16-17	Budget	Expenditure	रंगाई पुताई	वायरिंग	धोबी	सफाई कर्मी	सेफ्टी किट	वायण्ड्री मास रिपेरिंग	कार्टेज	पेपर	जनरेटर सर्विस	शीशा	Total
UnTide Fund	5	4.98	1.44	0.56	0.4	0.96	0.24	0.27	0.48	0.19	0.2	0.28	4.98
NRHM Budget	186.36	155.56											
State Budget	0	0											
Total	191.36	160.54											

FY 17-18	Budget	Expenditure	रंगाई पुताई	वायरिंग	धोबी	सफाई कर्मी	सेफ्टी किट	कुर्सी गेज	कार्टेज	पेपर	जनरेटर सर्विस		Total
UnTide Fund	5.02	4.24	1.52	0.09	0.4	0.96	0.24	0.2	0.48	0.19	0.2		4.24
NRHM Budget	164.87	129.06											
State Budget	0	0											
Total	169.89	133.3											

FY 18-19	Budget	Expenditure	रंगाई पुताई	वायरिंगय अन्य	धोबी	सफाई कर्मी	सेफ्टी किट	अलमीरा	कार्टेज व प्रिन्टर	पेपर	जनरेटर सर्विस	गैट्री	Total
UnTide Fund	5	5.59	1.52	0.64	0.4	0.96	0.24	0.28	0.72	0.19	0.2	0.48	5.59
NRHM Budget	121.05	116.12											
State Budget	0	0											
Total	126.05	121.71											

FY 19-20	Budget	Expenditure	रंगाई पुताई	वायरिंग व रिपेरिंग	धोबी	सफाई कर्मी	सेफ्टी किट	सोलर गैट्री	कार्टेज	पेपर	जनरेटर सर्विस	शीशा	Total
UnTide Fund	5.58	5.08	1.44	0.56	0.4	0.96	0.24	0.35	0.48	0.19	0.22	0.28	5.08
NRHM Budget	249.48	224.02											
State Budget	0	0											
Total	255.06	229.1											

FY 20-21	Budget	Expenditure	रंगाई पुताई	वायरिंग	धोबी	सफाई कर्मी	सेफ्टी किट	फैटिस कैबर	कार्टेज	पेपर	जनरेटर सर्विस	शीशा	Total
UnTide Fund	6.02	4.89	1.44	0.46	0.4	0.96	0.24	0.27	0.48	0.2	0.2	0.28	4.89
NRHM Budget	187.08	172.87											
State Budget	0	0											
Total	193.1	176.76											

FY 21-22	Budget	Expenditure	रंगाई पुताई		धोबी	सफाई कर्मी			कार्टेज	पेपर	जनरेटर सर्विस		Total
UnTide Fund	4.16	3.15	0.89		0.4	0.96			0.52	0.22	0.2		3.15
NRHM Budget	120.6	121.82											
State Budget	0	0											
Total	124.76	124.97											

अधीक्षक
रा0मु0 स्वा0 केन्द्र रामनगर
बाराबंकी

CHC RAMNAGAR BARABANKI

Figure in lakhs

FY 16-17

	Budget	Expenditure
Untide Fund	5	4.98
NRHM Budget	186.36	155.56
State Budget	0	0
Total	191.36	160.54

FY 17-18

	Budget	Expenditure
Untide Fund	3.02	4.22
NRHM Budget	184.87	129.06
State Budget	0	0
Total	189.89	133.3

FY 18-19

	Budget	Expenditure
Untide Fund	5	5.59
NRHM Budget	121.05	116.12
State Budget	0	0
Total	126.05	121.71

FY 19-20

	Budget	Expenditure
Untide Fund	5.58	5.08
NRHM Budget	249.48	224.02
State Budget	0	0
Total	255.06	229.1

FY 20-21

	Budget	Expenditu
Untide Fund	6.02	5.89
NRHM Budget	187.08	171.87
State Budget	0	0
Total	193.1	176.76

FY 21-22

	Budget	Expenditure
Untide Fund	4.16	3.95
NRHM Budget	120.6	121.82
State Budget	0	0
Total	124.76	124.97

22.7.23
Demo (RCH)

DPM
BRC

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-99 का उत्तर पीछे पृ0सं0-93-94 पर)

20/07/2023

District Firozabad Block wise Ayushman card count

Sr. No	District Name	Block Name	Ayushman card count
1	Firozabad	KHAIRGARH	5824
2	FIROZABAD	Sirsaganj (NPP + OG)	1371
3	FIROZABAD	MADANPUR	23115
4	FIROZABAD	SHIKOHABAD	24236
5	FIROZABAD	NARKHI	29226
6	FIROZABAD	Firozabad (NPP)	43058
7	Firozabad	Sirsaganj (NPP)	64
8	Firozabad	TUNDLIA	7144
9	FIROZABAD	FIROZABAD	30576
10	FIROZABAD	TUNDLA	24892
11	FIROZABAD	EKA	19171
12	Firozabad	Tundla (NPP)	5279
13	Firozabad	Fariha (NP)	726
14	FIROZABAD	JASRANA	15385
15	FIROZABAD	Shikohabad (NPP)	7496
16	FIROZABAD	HATHWANT	13602
17	FIROZABAD	ARAON	20302
Total			271467

नत्थी (ङ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-124 का उत्तर पीछे पृ0सं0-108-109 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के 1-सोमवार हेतु निर्धारित श्री जय प्रकाश अंचल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-124 का संलग्नक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	1	2
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	0	1
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	1	0
6	डार्करूम सहायक	1	1	0
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	3	0
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	2	1
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	1	0
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	1	0
6	डार्करूम सहायक	1	0	1
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	3	0
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसुधरपाह, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	3	0
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	0	1
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	0	1
6	डार्करूम सहायक	1	1	0
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	0	3
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयप्रकाश नगर, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	3	0
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	0	1
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	0	1
6	डार्करूम सहायक	1	1	0
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	2	1
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटवा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	2	2	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	एल0टी0	1	1	0
5	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरलीछपरा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	2	2	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	एल0टी0	1	1	0
5	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुबेछपरा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौरंगा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णछपरा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवन टोला का राय, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	0	1
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलहरी, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवही, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसुधरपाह, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नत्थी (च)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-135 का उत्तर पीछे पृ0सं0-114-115 पर)

S.No	DISTRICT	HOSPITAL_NAME	NO. OF BEDS	Sero +	Sero -	VENDOR_NAME
1	Agra	District Hospital (Male)	11	1	10	M/s Heritage Hospitals Limited
2	Aligarh	PDDU Hospital	12	2	10	M/s Heritage Hospitals Limited
3	Ambedkar Nagar	District Hospital (Male)	18	3	15	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
4	Amethi	Malik Muhammad Jayasi District Hospital Gauriganj	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
5	Amroha	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
6	Ayodhya	Combined Hospital, Darshan Nagar	10	1	9	M/s Heritage Hospitals Limited
7	Azamgarh	District Hospital (Male)	18	2	16	M/s Heritage Hospitals Limited
8	Baghpat	District Hospital (Male)	7	2	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
9	Ballia	District Hospital (Male)	16	2	14	M/s Heritage Hospitals Limited
10	Balrampur	District Hospital (Male)	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
11	Banda	District Hospital	10	1	9	M/s Heritage Hospitals Limited
12	Barabanki	District Hospital (Male)	7	2	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
13	Bareilly	Maharana Pratap Combined Hospital	10	1	9	M/s Heritage Hospitals Limited
14	Basti	OPEC Kailly Hospital	18	2	16	M/s Heritage Hospitals Limited
15	Bhadohi	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
16	Bijnor	District Hospital (Male)	7	2	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
17	Bulandshehar	District Hospital (Male)	7	2	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
18	Chandauli	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
19	Chitrakoot	District Hospital (Male)	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
20	Deoria	District Hospital (Male)	18	3	15	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
21	Etah	District Hospital (Male)	11	2	9	M/s Heritage Hospitals Limited
22	Etawah	District Hospital (Male)	12	1	11	M/s Heritage Hospitals Limited
23	Farrukhabad	District Hospital (Male)	15	3	12	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
24	Fatehpur	District Hospital (Male)	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
25	Firozabad	SNM District Hospital	20	4	16	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
26	G B Nagar	District Hospital (Male)	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
27	Ghaziabad	District Combined Hospital	20	3	17	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
28	Ghazipur	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
29	Gonda	District Hospital (Male)	12	3	9	M/s Heritage Hospitals Limited
30	Gorakhpur	District Hospital	21	2	19	M/s Heritage Hospitals Limited
31	Hamirpur	District Hospital (Male)	10	2	8	M/s Heritage Hospitals Limited
32	Hardoi	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
33	Hathras	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
34	Jalaun	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s Heritage Hospitals Limited
35	Jaunpur	District Combined Hospital	15	1	14	M/s Heritage Hospitals Limited
36	Jhansi	District Hospital	14	5	9	M/s Heritage Hospitals Limited
37	Kannauj	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
38	Kanpur	UHM Hospital	12	3	9	M/s Heritage Hospitals Limited
39	Kanpur Dehat	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
40	Kasganj	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
41	Kaushambi	District Combined Hospital	10	2	8	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
42	Kushinagar	District Hospital (Male)	20	2	18	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
43	Lakhimpur Kheri	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
44	Lalitpur	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
45	Lucknow	Balrampur Hospital	15	4	11	M/s Heritage Hospitals Limited
46	Maharajganj	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd

S.No	DISTRICT	HOSPITAL_NAME	NO. OF BEDS	Sero +	Sero -	VENDOR_NAME
47	Mahoba	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
48	Mainpuri	District Hospital (Male)	15	3	12	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
49	Mathura	District Hospital (Male)	15	3	12	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
50	Mau	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
51	Meerut	PL Sharma Hospital	14	4	10	M/s Heritage Hospitals Limited
52	Mirzapur	District Hospital (Male)	13	1	12	M/s Heritage Hospitals Limited
53	Moradabad	District Hospital (Male)	15	3	12	M/s Heritage Hospitals Limited
54	Muzaffar Nagar	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
55	Pilibhit	District Hospital (Male)	10	1	9	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
56	Pilkhua (Hapur)	CHC Pilkhua	8	2	6	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
57	Pratapgarh	District Hospital (Male)	14	2	12	M/s Heritage Hospitals Limited
58	Prayagraj	Motilal Nehru District Hospital	18	3	15	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
59	Prayagraj	TB Sapru Hospital	19	3	16	M/s Heritage Hospitals Limited
60	Raebareli	District Hospital (Male)	15	2	13	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
61	Rampur	District Hospital (Male)	10	2	8	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
62	Saharanpur	SBD District Hospital	19	4	15	M/s Heritage Hospitals Limited
63	Sambhal	District Hospital (Male)	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
64	Sant Kabir Nagar	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
65	Shamli	District Hospital (Male)	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
66	Shrawasti	District Combined Hospital	6	1	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
67	Siddharth Nagar	District Hospital (Male)	20	3	17	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
68	Sitapur	District Hospital (Male)	10	2	8	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
69	Sonbhadra	District Combined Hospital	10	2	8	M/s Heritage Hospitals Limited
70	Sultanpur	District Hospital (Male)	13	2	11	M/s DCDC Health Service Pvt Ltd
71	Unnao	Uma Shankar Dixit District Hospital	7	2	5	M/s Eskag Sanjeevani Pvt Ltd.
72	Varanasi	Pt. Deen Dayal Upadhyay Hospital	24	5	19	M/s Heritage Hospitals Limited
			884	144	740	

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

नत्थी (छ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-144 का उत्तर पीछे पृ0सं0-118-119 पर)

Hospital Name	Hospital ID	District	Hospital Typ	Bed Strength
Vijay Super Speciality Hospital	HOSP9P123980	Azamgarh	Private	170
Tahir Memorial Hospital And Trauma Centre	HOSP9P152377	Azamgarh	Private	49
Vedanta Hospital	HOSP9P02942	Azamgarh	Private	150
Rama Multi Speciality Hospital & Trauma Cen	HOSP9P80389	Azamgarh	Private	70
Lotus Multisuperspeciality Hospital Private Lir	HOSP9P125020	Azamgarh	Private	100
Global Multi Specialty & Trauma Center	HOSP9P54009	Azamgarh	Private	80
Azad Hospital	HOSP9P124607	Azamgarh	Private	100
Saroj Multispeciality Hospital And Trauma Cei	HOSP9P07227	Azamgarh	Private	40
Sharda Poly Clinic	HOSP9P01507	Azamgarh	Private	35
Vidya Hospital	HOSP9P04665	Azamgarh	Private	35
Rainbow Children Hospital	HOSP9P131485	Azamgarh	Private	100
Konark Health Care	HOSP9P145361	Azamgarh	Private	20
M M Khan Nursing Home	HOSP9P159460	Azamgarh	Private	20
M K Rai Deep Adarsh Hospital	HOSP9P124605	Azamgarh	Private	110
Bhs Hospital	HOSP9P150262	Azamgarh	Private	100
Eye Care Azamgarh Pvt Ltd	HOSP9P03124	Azamgarh	Private	10
Shiva Hospital And Trauma Centre	HOSP9P90263	Azamgarh	Private	90
Dev Vrat Hospital	HOSP9P148232	Azamgarh	Private	20
Prakashnursinghome	HOSP9P01463	Azamgarh	Private	43
Raj Lalit Netralaya And Hospital	HOSP9P114449	Azamgarh	Private	10
Anand Hospital Multispeciality	HOSP9P03048	Azamgarh	Private	50
Sahaj Hospital	HOSP9P123359	Azamgarh	Private	120
Aditya Vikram Singh Smriti Hospital & Researc	HOSP9P164445	Azamgarh	Private	150
Shri Sai Baba Multi Speciality Hospital	HOSP9P140428	Azamgarh	Private	49

Hospital Name	Hospital ID	District	Hospital Ty	Bed Strength
Govt. Medical College & Super Facility Hospit	HOSP9G06498	Azamgarh	Public	500
Divisional District Hospital Azamgarh	HOSP9G04198	Azamgarh	Public	212
Chc Mubarakpur	HOSP9G06373	Azamgarh	Public	30
Chc Lalganj	HOSP9G06318	Azamgarh	Public	30
Chc Atraulia	HOSP9G06166	Azamgarh	Public	30
100 Beded Combined District Hospital	HOSP9G07425	Azamgarh	Public	100
C H C Phoolpur	HOSP9G06190	Azamgarh	Public	30
District Women Hospital Azamgarh	HOSP9G04226	Azamgarh	Public	100
Chc Bilariyaganj Azamgarh	HOSP9G06159	Azamgarh	Public	30
Chc Ahiraula	HOSP9G111159	Azamgarh	Public	30
Chc Bardah	HOSP9G108035	Azamgarh	Public	30
Chc Harriya	HOSP9G112006	Azamgarh	Public	30
Chc Jianpur	HOSP9G112249	Azamgarh	Public	30
Chc Jigani Azamgarh	HOSP9G112300	Azamgarh	Public	30
Chc Koilsa	HOSP9G107949	Azamgarh	Public	30
Chc Kolhukhor	HOSP9G108033	Azamgarh	Public	
Chc Mahrajganj	HOSP9G108023	Azamgarh	Public	30
Chc Martinganj	HOSP9G108171	Azamgarh	Public	30
Chc Mehnagar	HOSP9G108018	Azamgarh	Public	30
Chc Mehnajpur	HOSP9G111916	Azamgarh	Public	30
Chc Mirzapur	HOSP9G108025	Azamgarh	Public	
Chc Palhani	HOSP9G108013	Azamgarh	Public	30
Chc Parshurampur	HOSP9G112003	Azamgarh	Public	30
Chc Pawai	HOSP9G108024	Azamgarh	Public	30
Chc Tahbarpur	HOSP9G108036	Azamgarh	Public	30

नत्थी (ज)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-151 का उत्तर पीछे पृ0सं0-122 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के 1-सोमवार हेतु निर्धारित श्री जय प्रकाश अंचल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-151 का संलग्नक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	1	2
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	0	1
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	1	0
6	डार्करूम सहायक	1	1	0
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	3	0
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	2	1
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	1	0
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	1	0
6	डार्करूम सहायक	1	0	1
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	3	0
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसुधरपाह, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	3	0
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	0	1
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	0	1
6	डार्करूम सहायक	1	1	0
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	0	3
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयप्रकाश नगर, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चीफ फार्मासिस्ट	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	3	3	0
3	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	0	0	0
4	लैब टेक्नीशियन	1	0	1
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	0	1
6	डार्करूम सहायक	1	1	0
7	फिजियोथेरेपिस्ट	0	0	0
8	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	0	0	0
9	स्टाफ नर्स	3	2	1
10	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
11	चतुर्थ श्रेणी	6	6	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटवा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	2	2	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	एल0टी0	1	1	0
5	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरलीछपरा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	2	2	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	एल0टी0	1	1	0
5	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुबेछपरा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौरंगा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णछपरा, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवन टोला का राय, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	0	1
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलहरी, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	1	0
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवही, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसुधरपाह, बलिया पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्साधिकारी	1	1	0
2	फार्मासिस्ट	1	1	0
3	एल0ए0	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी	3	3	0

नत्थी (झ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-193 का उत्तर पीछे पृ0सं0-145 पर)

	ट्रामा सेन्टर की अद्यतन स्थिति					
क्रम सं0	ट्रामा सेन्टर का नाम	कार्यरत चिकित्सक	कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ	ट्रामा सेन्टर की स्थिति	ट्रामा सेन्टर की क्रियाशीलता	अभियुक्ति
1	लालगंज प्रतापगढ़	आर्थोपेडिक-01 ई0एन0ओ0-02	स्टॉफ नर्स-8	लालगंज सी0एच0सी0 के पास	ओ0पी0डी0, इमरजेन्सी, क्रियाशील	
2	औयल लखीमपुर खीरी	एनेस्थेटिस्ट-01 ई0एन0ओ0-02	स्टॉफ नर्स-08 एफा-रे टेक्नीशियन-03	जिला चिकि0 के साथ	100 शैय्या जिला चिकि0 लखीमपुर (औयल) के साथ आंशिक क्रियाशील	
3	टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज	एनेस्थेटिस्ट-01 आर्थोपेडिक-02 ई0एन0ओ0-02	स्टॉफ नर्स-06	जिला चिकि0 के साथ	क्रियाशील	
4	सामु0स्वा0केन्द्र खतौली, मुजफ्फरनगर	एनेस्थेटिस्ट-01 आर्थोपेडिक-01 जनरल सर्जन-01 ई0एन0ओ0-03		सी0एच0सी0 खतौली के साथ	आंशिक क्रियाशील सी0एच0सी0 स्टाफ के सहयोग से।	
5	जिला चिकित्सालय, पुरुष कानपुर देहात	आर्थोपेडिक-03			आंशिक क्रियाशील जिला चिकि0 स्टाफ के सहयोग से।	
6	नरसिंह कछुआ, कौशाम्बी	आर्थोपेडिक-02		स्टैण्ड अलोन, मुख्यालय से 25 किमी0 दूर	ओ0पी0डी0 संचालित।	

7	ट्रामा सेन्टर, औरैया (भगौतीपुर)	शून्य	शून्य		अक्रियाशील	एच0आर0 स्वीकृत है तैनाती नहीं है। उपकरण (परिशिष्ट) प्रस्ताव शासन में पुनः 12.05.2023 को प्रेषित किया जा चुका है।
8	धामपुर, बिजनौर	आर्थोपेडिक–1 ई0एम0ओ0–03	स्टॉफ नर्स–03	धामपुर सी0एच0सी0 के कैम्पस में स्थित है।	इमरजेन्सी चल रही है।	
9	युसुफनगर, मोहम्मदाबाद गाजीपुर	एनेस्थेटिस्ट–01 आर्थोपेडिक–01	स्टॉफ नर्स–03	स्टैण्ड अलोन, मोहम्मदाबाद पी0एच0सी0 1.5 किमी0	अक्रियाशील दो ई0एम0ओ0 पोस्टिंग के बाद से नहीं आये है। ओ0पी0डी0 संचालित है।	उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्रय किये हैं।
10	औराई, भदोही	आर्थोपेडिक–01 ई0एम0ओ0–02	स्टॉफ नर्स–04	सी0एच0सी0 औराई के कैम्पस में स्थित	माइनर सर्जरी, इमरजेन्सी संचालित है।	
11	जगदीशपुर अमेठी	एनेस्थेटिस्ट–01 आर्थोपेडिक–01		सी0एच0सी0 के कैम्पस में स्थित	ओ0पी0डी0 संचालित। (अक्रियाशील)	पद, उपकरण स्वीकृत है।
12	रानीगंज, प्रतापगढ़	आर्थोपेडिक–01 ई0एम0ओ0–01	स्टॉफ नर्स–06	सी0एच0सी0 रानीगंज के साथ	आंशिक क्रियाशील।	
13	सिकन्दराराव, हाथरस	आर्थोपेडिक–01 ई0एम0ओ0–03			ओ0पी0डी0 चल रही है।	
14	जसरथपुर, अलीगढ़	ई0एम0ओ0–02		स्टैण्ड अलोन, मुख्यालय से 25 किमी0 दूर	ओ0पी0डी0 संचालित।	

15	जगैलपुर, सीतापुर	एनेस्थेटिस्ट–01 आर्थोपेडिक–01 ई0एम0ओ0–03	स्टॉफ नर्स–02	स्टैण्ड अलोन एन0एच0एम0आई0 का बनाया है।	क्रियाशील	चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत ई0एम0ओ0 जिला चिकि0 से सम्बद्ध हैं। (जिलाधिकारी द्वारा)
16	जिला चिकित्सालय मुरादाबाद	ई0एम0ओ0–02	स्टॉफ नर्स–09		आंशिक क्रियाशील जिला चिकि0 स्टाफ के सहयोग से।	
17	मोठ, झांसी	एनेस्थेटिस्ट–01 आर्थोपेडिक–02 ई0एम0ओ0–02	स्टॉफ नर्स–07	सी0एच0सी0 मोठ के कैम्पस में स्थित है।	क्रियाशील	
18	जिला चिकित्सालय बांदा	एनेस्थेटिस्ट–01 आर्थोपेडिक–02 ई0एम0ओ0–03	स्टॉफ नर्स–07 एक्स–रे टेक्नीशियन–03 लैब टेक्नीशियन–02		क्रियाशील	
19	जिला चिकित्सालय बलिया	आर्थोपेडिक–02 ई0एम0ओ0–02		कैम्पस में स्थित	ओ0पी0डी0 चल रही है।	10 शैय्या का बना है, जिला चि0 में ईमरजेन्सी सर्जरी होती है।
20	जिला चिकित्सालय, उन्नाव	एनेस्थेटिस्ट–01 आर्थोपेडिक–02 ई0एम0ओ0–02	स्टॉफ नर्स–10 एक्स–रे टेक्नीशियन–03 लैब टेक्नीशियन–01		क्रियाशील	
21	जिला चिकित्सालय, बाराबंकी	एनेस्थेटिस्ट–01 जनरल सर्जन–01 ई0एम0ओ0–03	स्टॉफ नर्स–14 एक्स–रे टेक्नीशियन–03 लैब टेक्नीशियन–01		क्रियाशील	

22	एस0एस0एम0जे0 खुर्जा चिकित्सालय, बुलन्दशहर	एनेस्थेटिस्ट-01			अक्रियाशील	कोविड एल-02 के रूप में चल रहा था।
23	मण्डलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़	आर्थोपेडिक-02 ई0एम0ओ0-01	स्टॉफ नर्स-15 एक्स-रे टेक्नीशियन-03 लैब टेक्नीशियन-02	चिकित्सालय परिसर में स्थित	क्रियाशील	
24	जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज	ई0एम0ओ0-03	स्टॉफ नर्स-03 एक्स-रे टेक्नीशियन-01		इमरजेन्सी चल रही है।	
25	हौज, सिनकोनी, जौनपुर	एनेस्थेटिस्ट-01 आर्थोपेडिक-01	स्टॉफ नर्स-0 एक्स-रे टेक्नीशियन-01 लैब टेक्नीशियन-01	स्टैण्ड अलोन, 07 किमी0 वाराणसी रोड पर सी0एच0सी0 जलालपुर के पास	ओ0पी0डी0 चल रही है।	नर्सिंग अटेंडेंट-09, एम0टी0डब्लू-09 तैनात हैं।
26	म0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर कानपुर नगर	एनेस्थेटिस्ट-02 आर्थोपेडिक-02 जनरल सर्जन-01 ई0एम0ओ0-03	स्टॉफ नर्स-14 एक्स-रे टेक्नीशियन-01		क्रियाशील	
27	पी0डी0डी0यू0 चिकित्सालय, वाराणसी	एनेस्थेटिस्ट-01 आर्थोपेडिक-02 जनरल सर्जन-01 ई0एम0ओ0-03	स्टॉफ नर्स-14 एक्स-रे टेक्नीशियन-02	चिकित्सालय परिसर में स्थित	क्रियाशील	
28	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजय नगर, गाजियाबाद	एनेस्थेटिस्ट-01 ई0एम0ओ0-03	एक्स-रे टेक्नीशियन-02		इमरजेन्सी चल रही है।	

29	एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय, सहारनपुर	आर्थोपेडिक–01		जि0 चिकित्सालय परिसर में स्थित	आंशिक क्रियाशील, स्थानीय व्यवस्था पर क्रियाशील जि0चि0 के स्टाफ से क्रियाशील।	
30	डा0 भीम राव अम्बेडकर, जिला संयुक्त चिकित्सालय, (पुरुष) इटावा	एनेस्थेटिस्ट–01		चिकित्सालय परिसर में स्थित	अक्रियाशील।	
31	जिला चिकित्सालय, उरई, जालौन	ई0एन0ओ0–02	स्टॉफ नर्स–09	चिकित्सालय परिसर में स्थित	इमरजेन्सी चल रही है।	
32	जिला चिकित्सालय, बस्ती ट्रामा सेन्टर	आर्थोपेडिक–01 जनरल सर्जन–01 ई0एन0ओ0–02	एक्स–रे टेक्नीशियन–03 लैब टेक्नीशियन–02	चिकित्सालय परिसर में स्थित	आंशिक क्रियाशील है।	
33	ट्रामा सेन्टर जानकीपुरम, विस्तार योजना सेक्टर–02 लखनऊ		मानव संसाधन तथा उपकरणों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित।			
34	ट्रामा सेन्टर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़	मानव संसाधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित।	उपकरण–स्वीकृत, क्रय यू0पी0एन0एस0सी0एल0 द्वारा किया जा रहा है।		बिल्डिंग पूर्ण नहीं है।	

पी0एस0यू0पी0 एल0 301 विधान सभा (492)-21-03-2024-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।